लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 58, सोमवार, 15 मई, 1978/25, वैशाख 1900 (शक)
No. 58 Monday, May 15, 1978/Vaisakha 25, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral answers to questions**	
तारांकित प्रश्न संख्या 1068,1069 और 1072 से 1075	*Starred Questions Nos. 1068, 1069 and 1072 to 1075	1-12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 1070,1071 और 1076 से 1088	Starred Questions Nos.. 1070, 1071 and 1076 to 1088	12-22
अतारांकित प्रश्न संख्या 10001 से 10134	Unstarred Questions Nos. 10001 to 10134	22-101
एक स्विस बैंक के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख डालर की अदायगी के बारे में विदेश मंत्री द्वारा सभा में दिये गये कथित भ्रामक वक्तव्य के संबंध में उनके विरुद्ध विशेष अधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Minister of External Affairs re Alleged Misleading Statement about payment of 11 million dollars through a Swiss Bank.	101-109
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	109-113
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377 .	113-116
(एक) शाह आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन का सभा पटल पर रखे जाने का मामला	(i) Laying of Reports of Shah Commission of Inquiry on the Table of the House . . .	113
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	113
(दो) सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्ज लिमिटेड, बरेली द्वारा तैयार किये गये सिंथेटिक रबड़ की विभिन्न किस्मों के मूल्यों का मामला	(ii) Prices of Various qualities of synthetic rubbers manufactured by Synthetices and Chemicals Limited, Bareilly. . . .	114
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram . .	114
(तीन) हिंडालकों मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों की छटनी का समाचार	(iii) Reported retrenchment of workers by the management of Hindalco, Mirzapur U.P.	115
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen. . . .	115

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

(चार) सलाल परियोजना के पूरा होने में धीमी प्रगति का कथित समाचार	(iv) Reported slow progress in the completion of the Salal Project	115
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	Shri Baldev Singh Jasrotia	115
(पांच) ग्वालियर रेयन्स एन्ड सिल्क मैनुफैकचरिंग एण्ड वीविंग कंपनी मवूर (केरल) के लुगंदी डिवीजन के श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच विवाद की कथित समाचार	(v) Reported dispute between workers and management of Pulp Division of Gwalior Rayons and Silk Manufacturing and Weaving Company, Mavooi (Kerala)	115
श्री के० ए० राजन	Shri K.A. Rajan.	115
(छः) निर्यात और अन्तरिक उपयोग के लिए चमड़े और रबड़ के कपड़ों के उत्पादन सम्बन्धी मामला	(vi) Production of leather and rubber wear for export as well as for internal consumption.	116
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	116
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश तथा 8वां प्रतिवेदन	Committee on Papers Laid on the Table Minutes and Eighth Report.	
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	116-119
समाचार पत्र संस्थानो के कर्मचारियों का हड़ताल करने का कथित निर्णय	Reported decision of the employees of newspaper establishments to go on strike	116
श्री छविराम अर्गल	Shri Chhabiram Argal	116
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma.	117
विभिन्न तेल कंपनियों की वर्तमान तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) वितरण प्रणालियों के पुनर्गठनों के बारे वक्तव्य	Statement regarding restructuring of Liquified Petroleum Gas Distributorships of different oil companies and creation of New Agencies. . .	118
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H.N. Bahuguna	118
रुग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति के बारे वक्तव्य	Statement re. Policy of Sick Industries	119-122
श्री जार्ज फर्नान्डीस	Shri George Fernandes . .	119
संविधान (45वां संशोधन) विधेयक- पुनः-स्थापित करने का प्रस्ताव	Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill Introduced.	123-124
	Motion to introduce	123
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	123
श्री पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar.	123
हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक पुरःस्थापित	Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Bill—Introduced. .	124-125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पावन्धी) विधेयक-पुरःस्थापित	Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Bill-Introduced. .	125
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill Introduced. . . .	125
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Taxation Laws (Amendment) Bill-Introduced.	125-126
नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion Under Rule 388 . .	126-127
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक	Multi-State Co-operative Societies Bill	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion for reference to Joint Committee	127-129
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक	Mental Health Bill	129-131
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion for reference to Joint Committee	131
प्रैस परिषद विधेयक	Press Council Bill	131
संयुक्त समिति के लिए सदस्य नियुक्त किये जाने के बारे प्रस्ताव	Motion to nominate Members on Joint Committee . . .	131
विश्वविद्यालयों में बढ़ते हुये असंतोष के बारे प्रस्ताव	Motion re. Growing studentunrest in Universities .	131-140
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta.	131
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	134
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	135
श्री एच० एल० पटवारी	Shri H.L. Patwary	135
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	136
श्री अरविन्द बाला पनजोर	Shri A. Bala Panjanor	136
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	138
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari.	138
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan.	139
श्री मुकुन्द मंडल	Shri Mukunda Mandal	139
सभा का अवमान	Contemptof the House .	140

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 15 मई, 1978/25 वैशाख, 1900(शक)
Monday, May 15, 1978/Vaisakha 25, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 376 के अधीन कार्यसूची के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के समाप्त होने के बाद व्यवस्था का यह प्रश्न उठायें।

कृषि श्रमिकों को रोजगार तथा कल्याण की सुरक्षा के लिये विधान

*1068. **श्री भगत राम** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों को रोजगार तथा कल्याण की सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक व्यापक विधान बनाने की इच्छा रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विधान की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई): (क), (ख) और (ग) कृषि श्रमिकों को रोजगार तथा कल्याण की सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में ग्रामीण असंगठित श्रमिकों से संबंधित एक विशेष सम्मेलन में विचारविमर्श किया गया, जो 25 जनवरी, 1978 में हुआ था । उक्त विशेष सम्मेलन में अभिव्यक्त किये गये मतों और दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से आगे सलाह-मशविरा लिया जा रहा है ।

Shri Bhagat Ram : May I know the names of the representatives of the rural organised labour, who had participated and the suggestions made by them and Government's proposals in regard thereto ?

Shri Larang Sai : The representatives of agricultural labour, backward workers, big landlords and owners, trade Unions and States had participated. Two major points have come to light in this conference. Firstly, unless agricultural labour is organised the laws enacted for them will not be implemented properly and their interests will not be protected. A law should be enacted to protect their interests and to ensure reasonable wages to them and their welfare.

Shri Bhagat Ram : I had asked what are government's proposals in this regard.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे विचाराधीन हैं ।

Shri Bhagat Ram : May I know the names of the States which have been consulted and the views expressed by them ? The time by which all the States will be consulted and it will be given a final shape ?

Shri Larang Sai : A communication has been addressed to each state to send its comments by 31st May, 1978 positively so that further action can be taken.

Shri Keshavrao Dhondge : May I know the names of the States which have passed such laws ? Whether you have formed your own opinion before their comments are received so that interests of agricultural labour are protected or whether you will form an opinion after their comments are received ?

Shri Larang Sai : The Central Government and State Governments want that some sort of law is passed for rural labour and agricultural labour. So far as law in Kerala is concerned, it has also been considered and in the changed circumstances it has been felt that states should be consulted again because enactment of law is not so important as its implementation.

Shri Keshavrao Dhondge : May I know which of the States have so far passed this law ?

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है ।

श्री के० मालन्ना : क्या सरकार ने असंगठित मजदूरों की दशा का कोई अध्ययन किया है, और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, ? उनकी हालत सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी विचाराधीन है ।

Shri Larang Sai : There are different wages in different States. Steps are being taken to ensure their social security.

Shri Balbir Singh : Whether Government will take any action to organise them or the persons already working in this field will do this work ? There is no implementation machinery in the States where laws exist. Agriculture is a State subject. Whether the Centre propose to enact their own law in this regard ?

Shri Larang Sai : The Centre will enact a model law on the basis of which States have the right to enact their laws. It is not possible for the Government to organise them. Moreover, there is no such provision. However, if the unorganised labour wants to form an organisation and require some sort of assistance from Government, Government will certainly do so.

Cases of Blood Pressure and Heart Diseases

1069. Shri Daya Ram Shakya : Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state :

(a) whether his Ministry has conducted a survey in the capital recently to find out the cases of blood pressure and heart diseases; and

(b) if so, the percentage of persons found suffering from these diseases and the causes thereof ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No epidemiological survey has been undertaken to find out the incidence of hypertension and heart diseases in the capital.

(b) Does not arise.

Shri Daya Ram Shakya : Whether Government have under consideration any special scheme to treat cases of blood pressure and heart diseases where mortality is very quick and high ?

Shri Raj Narain : Government propose to set up study centres at Delhi, Srinagar, Calcutta, Pune or Kolhapur, Hyderabad or Nilgiri, Jabalpur and Bhagalpur to go into the causes of heart diseases.

Shri Daya Ram Shakya : The hon. Minister has said that smoking and drinking are the main causes of this disease. But Doctors prescribe alcoholic medicines for the patient suffering from low blood pressure. Whether Government will try to ascertain the causes of this disease through a special study group ?

Shri Raj Narain : Taking of sprouted grams prevents heart diseases. . . . **(Interruption)**

Shri Vijay Kumar Malhotra : In the Medical Institute every patient is asked to pay Rs. 10-15 thousand to go in for open heart surgery due to which many persons are not in a position to undergo operation and they have to die consequently. Whether Government propose to arrange open heart surgery for poor and needy persons free of cost ?

Shri Raj Narain : An open heart surgery operation costs Rs. 12-14 thousand. The Medical Institute does not have adequate funds to arrange free operations. The Ministry has got its discretionary fund to the tune of about Rs. 5 lakhs. We have set up a fund. We have not sent back any person so far. Hon. Members should approach rich persons and persuade them to donate money in this fund.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि बेलोर अस्पताल में हार्ट सर्जरी का सर्वोत्तम प्रबन्ध है जहां पर आपरेशन के लिये कम से कम 15,000 रुपये की जरूरत पड़ती है ? ऐसे कई मामले हैं जहां पर रोगियों ने केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को आवेदन किया है परन्तु बहुत ही कम मामलों में इन्हें सहायता मिल पाई है । क्या माननीय मंत्री इस संबंध में कुछ करेंगे ?

Shri Raj Narain : I want that there should be adequate funds at our disposal so that we may not send back any heart patient, kidney patient or cancer patient and we are able to provide them free medical facility.

श्री बी० र.चैया : मंत्री जी ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सुझाव दिया है जो बहुत ही सस्ती क्या यह एक ऐसी पुस्तक लिखेंगे जिसमें हृदय रोग, उच्च रक्त चाप, निम्न रक्त चाप से पीड़ित रोगियों के लिये दवाइयां लिखी हों ?

Shri Raj Narain : Recently a seminar was held in the Indian Institute. It was found there that Ayurvedic system is most suited to cure inner diseases. But Ayurvedic system is also becoming costly. We have set up a Committee to go into the whole issue. We have divided the indigenous system into four departments and each department will give its own opinion.

डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस

*1072. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोकने के लिये कोई नियम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) and (b) Government do not propose to frame any rule for banning private practice by Government medical doctors because the matter is one for the State Governments to consider. The Fourth Joint Conference of Central Council of Health and Central Family Welfare Council held in New Delhi from 29th to 31st January, 1978 has recommended unanimously that private practice by Government doctors as also those in medical colleges should be banned and that compensatory non-practising allowance may be given. This recommendation has been forwarded to all the State Governments for necessary follow-up action. There is already a ban on private practice by doctors working under the Government of India.

Shri Gananath Pradhan : I want to know whether the Government of India has received any recommendation from the Ministers of State Governments or State Governments, if so whether the Central Government have taken any action to frame guidelines ? I want to know the time by which these guidelines will be framed and whether Government will enact any law under which the doctors will have to serve in rural areas compulsory for some time ?

Shri Raj Narain : The hon. Member should know that health is a State subject. The State Governments can enact suitable laws in this regard. We had decided in the Fourth Joint Conference of Central Council of Health that private practice by Government doctors should be banned, but we cannot make laws in this regard. Therefore recommendations have been made to State Governments for taking necessary action. We have no power to make any law in this regard.

Shri Gananath Pradhan : Mr. Speaker, Sir, the Central Government has not done anything to send doctors in rural areas to serve there. It should be made compulsory and the State Governments should be given guidelines in this regard.

Shri Raj Narain : It is a good suggestion. I knew that this question will definitely be raised in this House one day or the other.....**(Interruption)** We also want that it should be made compulsory, but we are not empowered to do so. The State Governments are empowered to frame laws in this regard. We have asked the State Governments that in the Centre we have banned the private practice and they should also follow us. We have set up an expert Committee under the Chairmahship of the Director General Dr. Sankaran. This Committee comprises the chairman of Indian Medical Council and Dr. Ramlingam Swamy of the Indian Institute of Medical Sciences. We want this Committee to consider different aspects as to what should be the period of internship; when they should be given the house job; should the house job and internships be merged; five years' Course should be made 3 years course and the degree should be given to them only when they have served in rural areas for 2 years.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से बहुत आगे बढ़ गये हैं ।

श्री राज नारायण : यह इस बारे में जानना चाहते हैं।

श्री विनोद भाई बो० सेठ : यदि सरकार सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने का विचार कर रही है तो क्या यही नियम आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापकों तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों पर भी लागू होगा, जिन्हें प्रैक्टिस न करने का भत्ता नहीं मिलता; वेतन निर्धारित करने में कई समस्यायें हैं । यदि बढ़ती हुई जीवन-निर्वाह लागत के अनुसार वेतन दिया जाये तो फिर डाक्टरों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का लालच पैदा नहीं होगा । मैं आपका ध्यान विशेष रूप से वेतन प्रैक्टिस न करने के भत्ते आदि को निर्धारित करने की बहुत पुरानी शिकायत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह शिकायत जामनगर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने अध्यापकों की है ।

अध्यक्ष महोदय : हम एक सामान्य प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं ।

श्री विनोद भाई बो० शेठ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आयुर्वेदिक कालेजों के अध्यापकों पर भी वही फार्मूला लागू होगा ?

Shri Raj Narain : I have already pointed out that a Committee has been appointed to go into all these aspects and 29th has been fixed for its meeting. When Dr. Sankaran met me in Geneva, I asked him about convening a meeting of the Committee and he had said that he had fixed 29th for the meeting of the Committee. All these things will be considered there. We have increased the stipend of interneas by one hundred rupees.

Opening of Automatic Telephone Exchange in Districts and Sub-divisions at Bhagalpur

†*1073. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to lay a statement showing :

(a) the criteria for installing an automatic telephone exchange;

(b) the number of places in the District and sub-divisional headquarters where automatic telephone exchanges have been installed;

(c) whether there is no automatic telephone exchange at Bhagalpur, Bihar, which is not only a District but is headquarters for the commissionary and the University and if so, the reasons therefor; and

(d) the time by which an automatic telephone exchange is to be installed there ?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) The availability of suitable automatic telephone switching equipment has been the major constraint in regard to the installation of automatic telephone exchanges in replacement of existing a manual exchanges. It has been possible to take up replacement of only a very small number of manual exchanges by automatic ones each year. The manual exchanges, for this purpose, are divided into 2 groups; one—exchanges of over 500 lines; and two—exchanges of 500 lines and less. The exchanges in the first category are replaced by MAX-I type of equipment those of the second by MAX-II type of equipment. Within each group, the main criteria for taking up the automatic exchanges are :—

(i) The total telephone demand at each station. Stations having larger demand are given priority.

(ii) Wehther the station is a State or District Headquarter. Such administrative headquarters are given priority.

(iii) Availability of a suitable piece of land for construction of an automatic exchange building particularly at station in the first category.

(b) Automatic exchanges have been installed at 225 out of 385 District Headquarters; and 415 out of 872 sub-Divisional Headquarters in the Country.

(c) Bhagalpur is still served by a manual exchange. Due to non-availability of a suitable piece of land, installation of an automatic exchange could not be planned earlier. Land has been taken over in 1977 and action has been initiated to plan the automatic exchange.

(d) Subject to any unforeseen circumstances, it is hoped to commission an automatic exchange at Bhagalpur by 1983.

Dr. Ramji Singh : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has given three criteria. So for as Bhagalpur is concerned, its population is 2 lakhs. It is not only a District but is headquarters for the commissionary also. Besides this, Jain Teerth Champa and Vikran Shila Universities are there. The Minister has accepted that the land has already been acquired. When it is so, I find no reason to prolong it upto 1983.

Shri Brij Lal sharma : Mr. Speaker, until land is available, order for exchange can not be placed; because the exchange is to be constructed having in view the area of the land. It took 3-4 years in acquiring the land. Now the land is available and keeping in view the area of land, order has been placed for installation of Exchange. The exchange will be available by 1980 and it is expected that it will start functioning by 1983.

Dr. Ramji Singh : The total number of automatic exchanges in the country is 4,642 out of which 611 are in Andhra Pradesh, 337 in Gujarat, 310 in Kerala, 394 in Karnatak and 527 in Tamilnadu. In Bihar there are only 229 automatic exchanges whereas 10 per cent of the total population of India is in Bihar alone. I request the Hon. Minister to remove regional inbalance in Bihar, because Bihar has been constantly ignored during the last 30 years. Automatic exchanges should be set up wherever needed including Bhagalpur.

Shri Brij Lal Verma : We will certainly pay our attention to it.

Shri Surat Bahadur Shah : Is the Hon. Minister aware of the fact that in several new automatic telephone exchanges discarded exchanges are used as a result the efficient working is affected. If he is aware of it, whether sound machinery will be used there ?

Shri Brij Lal Verma : We have not received any such complaint, but if you bring any such instance to our notice, we will eertainly look into that.

Shri Hukamdeo Narain Yadav : Dr. Ramji Singh just now gave the State-wise figures about automatic telephone exchanges. The Minister has said that necessary land has been acquired for setting up a automatic exchange in Bhagalpur and the exchange will start functioning in 1983. I want to know whether the Government will expedite the work so that this exchange may start functioning before 1983 ? There are several other important places like Gaya in Bihar. I want to know whether the Hon. Minister will consider to set up such exchanges in those places also ?

Shri Brij Lal Verma : Yes Sir. We will definitely look into it. There is the same difficulty of availability of land in Gaya. As soon as land is available we will undertake the work.

Persons trained in Madhya Pradesh under Public Health Workers, Scheme

†1074. **Shri Laxminarayan Nayak :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of persons trained in Madhya Pradesh upto 31st March, 1978 under the Public Health Workers, Scheme;

(b) the amount given to them as assistance during training period and whether this amount has been paid to all of them and if not, District-wise number of trainees who have not so far received, this amount; and

(c) the number of persons trained in Tikamgarh and Chhattarpur Districts and whether all these persons have been employed after training ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The total number of Community Health Workers trained upto 31st March, 1978 is 1671.

(b) The first batch of 819 community Health Workers were trained upto 31st December, 1977 and were paid stipend @ Rs. 200/- p.m. for three months i.e. Rs. 600/- each in the month of January 1978. The information about the payment of stipend to the 2nd batch i.e. 852 community Health Workers who completed their training by 31st March, 1978 is awaited from the District Health Officers, who have been given the sanction for the payment of stipends for the second batch.

(c) 37 persons were trained in Tikamgarh District and 24 in Chhattarpur District. These workers are not Government employees. After getting training these workers have started working as Jan Swasthya Rakshak in their respective villages.

Shri Lakshmi Narayan Nayak : Will the Hon. Minister state whether the person trained under Public Health Workers' Scheme have been provided with medicines and other equipment so that they may go to villages and treat the villagers properly ? Would Government keep them in the matter ?

Shri Raj Narain : Yes Sir. All the persons who have received training as Public Health Workers are provided with a kit of medicines which always contains medicines. Apart from that they are paid Rs. 50/- per month till they continue to work as such.

Shri Laxminarayan Nayak : Secondly, may I know when it was decided to pay then a stipend ?

Shri Raj Narain : It was sanctioned from the very inception of the scheme. It was known to everyone, since then, that grants are being given to them by the Centre regularly. In certain states there are some technical difficulties as to from which department the money should come and whether it has the approval of the Finance Ministry. There has been some delay in some states like Madhya Pradesh.

Shri Nirmal Chandra Jain : Mr. Speaker, Sir, so far no grant has been provided to Siwani district. Will the hon. Minister state if money has been distributed in the district or not ? If it has not been distributed, by when it would be distributed now ?

Shri Raj Narain : We will give information in this regard. I do not at present leave the particulars in respect of the said district. I can assure that the amount would be given to Public Health Workers. No body dare misappropriate it so long as we are alive.

Shri Nirmal Chandra Jain : By when it would be distributed ?

Shri Raj Narain : Very soon and it would be distributed every month.

श्री बी०के० नायर : स्वास्थ्य मंत्री ने आज बताया कि कि इस योजना की क्रियान्वित में 25,000 सहायकों की नियुक्ति की आवश्यकता है । शुरू शुरू में तो यह ठीक है परन्तु बाद में राज्य सरकारों पर यह लोग भार बन जाते हैं ; जिसे राज्य सरकारें वहन नहीं कर सकतीं । सरकार जबकि इन कठिनाइयों से अवगत है । राज्य सरकारों के लिये क्या विकल्प रखेगी और उन्हें क्या सहायता देगी ?

Shri Raj Narain : I have not been able to understand.

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि क्या आप नहीं समझन कि राज्य सरकारों को इस प्रतिष्ठान को बनाये रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बाद में संगठित होकर वे स्थायी नियुक्ति की मांग करेंगे ।

Shri Raj Narain : If the State Governments follow our advice, they will not face any difficulty. We willl give them assistance as much as possible. Health is purely State subject. The entire responsibility falls on the State Government. It is not possibe for us to give them money every time.

Shri Reet Lal Prasad Verma : The public Health Visiters will be given a box of medicines and fifty rupees for a month so that they may carry on the programmes for a month. Is this amount adequate ? I want to know whether the Minister does not think that the Public Health Visitors will start charging money from the patients as they are not given adequate quantity of medicines and enough money ? What action has been taken in this regard ?

Shri Raj Narain : Mr speaker, Sir, unless a person is found dishonest, we have full faith in him We do not belive on hear say. After keeping everything in view, we decided that the Public Health Visitors should distribute medicines honestly.

The Hon. Member has said that the amount of fifty rupees is not adequate. World Health Organisation praised this scheme. They also accepted that no country in the World ever undertook such a vital scheme. About 6 lakhs Public Health Visitors will be engaged to implement this programme. For a population of every five lakhs there will be 2 doctors and a mid-wife in each village. Later on there will be three doctors instead of two. In this way about 15-16 lakhs people will get employment under this scheme. The Health Department has provided employment to such a big number of unemployed persons. Had it been done in any other country it would have been much appreciated.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री जी०ए० रेड्डी

Shri Ishwar Chaudhry : Mr. Speaker, Sir, I want to make a submission that during the Fifth Lok Sabha any member used to give indication by getting up from his seat for asking a supplementary question and the Speaker used to permit him. Now in the Sixth Lok Sabha we have to raise our hands. I have been continuously raising my hand and getting up from my seat also.

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए । यदि आप नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर मैं अगला प्रश्न ले लूंगा । सूची में अभी बहुत प्रश्न बचे हुए हैं । यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं प्रत्येक सदस्य को अवसर नहीं दे सकता ।

श्री ईश्वरी चौधरी**

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में मत रखिए ।

श्री ईश्वरी चौधरी**

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी यह वाद-विवाद नहीं है । क्या आप अपना प्रश्न पूछेंगे ? अन्यथा मैं अगला प्रश्न ले लूंगा ।

बिना डाक्टर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*1075. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1978 के अन्त तक ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे जिनमें डाक्टर नहीं थे;

(ख) उन केन्द्रों में डाक्टर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों में कब तक डाक्टर नियुक्त किये जाने की आशा की जा सकती है ?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The number of Primary Health Centres without doctors at the end of March, 1978 was 60. Information from the States of Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Nagaland is awated.

**कार्यवाही वृतांत में सम्मलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

(b) The reason for not posting doctors to those centers very from state to state In most of these cases the State Public Service Commissions had been requested to recruit suitable doctors and their recommendations were awaited. In some cases the recommendations of the Commission had been received and efforts were being made to appoint doctors out of the recommended list. Resignations, unauthorised absence, deputation to Post-Graduate courses, transfers, etc. caused some of these vacancies.

(c) It is expected that doctors would be posted to these centres very shortly.

Shri Ishwar Chaudhry : The Nation is build with Cooperation of Villages. The Central Government has been showing sympathy towards the villages. But when the doctors are asked to go to villages, they make lame excuses. I want to know whether it is a fact that they do not go to villages because they are not allowed private practice, whereas the State Government doctors are allowed to do so ? Is it one of the reasons for their reluctance to go to villages ? You have said that the States Public Services Commissions are sending names for appointment even then by giving appointment to them they are not being sent to the villages.

Shri Raj Narain : The facts stated by the hon. member are correct and our Ministry is engaged in solving these problems. Cooperation of every section is required in this regard. It is true that there are no proper facilities for doctors to live in villages. It is also true that doctors who get education in cities become habitual of seeing movies and roaming here and there and they do not want to go to villages. Therefore, some attempts was made to impose a restriction on them. There, the Indian Medical Association asked us not to frame any law and we will see that required number of doctors are posted to Primary Health Centres. They have not yet implemented their promise. Now we have set up a Committee which will examine all these things and make suggestions so that good doctors might be available in villages.

Shri Ishwar Chaudhry : The position is clear about the appointments of doctors. But Compounders and mid-wives, who assist doctors in their work, are also not willing to serve in villages, because they do not get adequate facilities there. Therefore, I want to know whether you will have talk with concerned Ministries for constructing roads, chool r etc. in villages and recommend the Public Service Commission to make appoinments of doctors immediately so that they may be posted in the Primary Health Centres'

Shri Raj Narain : The hon. member is fifty per cent correct. But the problem is how to overcome these difficulties. Roads should be constructed there; small Cinema halls should also be opened there and other necessary facilities should be provided there for their recreation. All these things are to be done on a large scale. But the Health Ministry alone can not do all this. We have asked the Prime Minister to ask the State Chief Ministers as to know their difficulties. The figures about some States available with us show that their condition is pitiable and the State Health Ministers are not in a position to inprove it.

Shri Yuvraj : In Bihar most of the Primary Health Centres are incomplete. Most of the Centres are running without doctors. You have not received any information about Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir and Nagaland. But which are the other States including Bihar where these are Primary Health Centres, but doctors are not available in these centres ?

Shri Raj Narain : It will take much time if I read out the lists of each state.

अध्यक्ष महोदय : केवल बिहार।

Shri Raj Narain : There are 31 districts and 587 Blocks in Bihar at present. The total number of Primary Health Centres to be opened is 12. The number of Primary Health Centres already working in the State is 575. In 485 Health Centres there are two doctors in each centre. In 82 centres there is only one doctor in each centre. In 8 centres there is no doctor. **(Interruption).**

श्री एस०आर० दामाणी : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि डाक्टरों की अत्यधिक कमी है । दूसरी ओर डाक्टर विदेशों को जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार डाक्टरों को विदेशों में जाने से रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ? हम प्रत्येक डाक्टर की शिक्षा पर लगभग 2 लाख रुपये व्यय करते हैं और वे विदेशों को चले जाते हैं । यह राष्ट्रीय हानि है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने डाक्टरों को विदेशों में जाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

Shri Raj Narain : The Hon. Member can himself easily guess that the doctors in other countries are getting more pay in comparision to what their counterparts in India. That is why our doctors are so much eager to go abroad. For instance, the Ministry of External Affairs asks us to send 20 doctors to Kuwait or Nepal or West Germany. We try to send them there and the doctors gladly accept the offer. They are prepared to go to any country. But when they are posted in rural areas, they have to lead a simple life there. They have to keep in mind the ideal of simple living and high thinking. They go abroad only for more money.

Shri Krishan Chander Halder : The Hon. Minister has not stated in his reply as to how many doctors are in the Primary Health Centres in West Bengal. It appears from the figures available that the M.B.B.S. doctors are not willing to go to villages and that is why there is shortage of doctors in rural areas. I therefore, want to know whether the Hon. Ministerr will take some steps to introduce L.M.F. Course ?

Shri Raj Narain : The position of West Bengal is better than all the other States. There are 16 districts and 335 Blocks. The number of Health Centres to be opened there is 19. Out of 316 Primary Health Centres, 278 centres have doctors. In 38 centres there is one doctor in each centre. There is not a single centre without a doctor. There is doctor in each block in West Bengal. Most of the blocks have two doctors and very few blocks have one doctor.

श्री एस०के० डोले : श्रीमन्, इस प्रश्न का संबंध क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मामले से है । मैं यह जानता हूं और हमारा यह कटु अनुभव रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी इसलिये नहीं है कि डाक्टरों की कमी है बल्कि यह कमी वहां इसलिये है क्योंकि डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री एल० के० डोले : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के लिये इस बात पर विचार करना संभव नहीं है कि वह उन डाक्टरों को प्रैक्टिस की अनुमति दे दें जिन्हें वह ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिये भेजना चाहती हैं ? उन्हें गांवों में काम करने के लिये राजी करने हेतु उनका वेतन पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि डाक्टर गांवों में काम करें क्या आप इसके लिये उनके वेतन में वृद्धि करने जा रहे हैं ?

Shri Raj Narain : I have already submitted that what should be the inspiration for them so that they may gladly accept work in rural areas. We are considering it just now. I cannot say how much their pay etc. will be increased but we want to give them some incentive so that they might be anxious to go in villages themselves.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

"डायरेक्ट रिडेक्शन प्रोसेस" का अध्ययन

*1070. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकॉन द्वारा 'डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस' को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की सम्भाव्यता का कोई अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस में कोई प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जस्ते के मूल्य में कमी

*1071. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक ने जस्ते के मूल्य में कमी पर खेद प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जस्ते के पूल-मूल्य शुरु करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को जस्ते के मूल्य में कमी से भारी हानि होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां ।

(ख) जस्ते के मूल्य-निर्धारण के अध्ययन का काम जनवरी, 1978 में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपा गया है । देसी जस्ते के उचित मूल्य निर्धारण और उसके लिए समेकित (पूल्ड) मूल्य अपनाए जाने के बारे में कोई फैसला औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से रिपोर्ट मिलने के बाद ही किया जा सकता है ।

(ग) अप्रैल, 1977 से जस्ते के बिक्री मूल्य में कमी हो जाने के फलस्वरूप 1977-78 में हिन्दुस्तान जिंक लि० के लाभ में काफी कमी रही । अप्रैल, 1978 से जस्ते के मूल्यों में और कमी हुई है और यदि ये मूल्य साल भर कम रहते हैं तो 1978-79 में कंपनी का लाभ और भी कम हो जाएगा । लेकिन 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कम्पनी के वित्तीय परिणामों में किसी प्रकार के शुद्ध घाटे की संभावना नहीं है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र को अधिक सक्रिय बनाने के लिए सोवियत अध्ययन

*1076. **श्री आर० बी० स्वामी नाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिनसे भिलाई इस्पात संयंत्र को अधिक सक्रिय बनाने के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है;

(घ) विशेषज्ञों के उक्त प्रतिवेदन से सरकार को कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) रुसी विशेषज्ञों को उक्त मामला सौंपने के क्या मुख्य कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) भिलाई इस्पात कारखाने का आगे और विकास तथा आधुनिकीकरण करने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भिलाई इस्पात कारखाने और रूस के मैसर्स त्याजप्रोगेक्सपोर्त के बीच 10 अप्रैल, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे । आशा है यह रिपोर्ट फरवरी, 1979 तक प्राप्त हो जाएगी ।

(घ) और (ङ) सोवियत विशेषज्ञों को भेजे गए मुद्दों में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया में सुधार करना, नई प्रौद्योगिकी लागू करना, कारखाने की मुख्य कर्मशालाओं की इकाइयों का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करना ताकि न्यूनतम पूंजी-निवेश से इष्टतम और अधिकतम उत्पादन किया जा सके ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास उर्वरकों और रसायनों के वितरकों की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र

*1077. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उर्वरक और रसायन डिवीजन के पास उर्वरकों और रसायनों के वितरकों की नियुक्ति के लिए अनेक शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों/संगठनों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) उक्त आवेदन-पत्रों के निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेश मंत्रालय में आई० एफ० एस० (ए) और आई० एफ० एस० (बी) संवर्ग होने के कारण

*1078. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में आई० एफ० एस० (ए) और आई० एफ० एस० (बी) नाम से दो पृथक संवर्ग हैं और यदि हां, तो कब से और वे किस आधार पर रखे गये हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दोनों संवर्गों का विलय करने और एक जैसी सेवा शर्तों और लाभों सहित उसे एक सेवा बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब और कैसे, और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जी, हां । विदेश मंत्रालय में एक भारतीय विदेश सेवा (क) और एक भारतीय विदेश सेवा (ख) संवर्ग है । मंत्रिमंडल ने भारतीय विदेश सेवा संवर्ग बनाने का निर्णय 1946 में लिया था और भारतीय विदेश सेवा (ख) संवर्ग बनाने का 1952 में । मंत्रिमंडल ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया कि यह कार्यात्मक रूप से आवश्यक समझा गया कि विदेशों में कार्य करने के लिए विदेश सेवा में कनिष्ठ पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए एक संवर्ग हो जिसका संबंध भारतीय विदेश सेवा (क) के साथ वही हो जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा का संबंध भारतीय प्रशासनिक सेवा से है ।

(ख), (ग) और (घ) भारतीय विदेश सेवा के संवर्गों की स्थायी रूप से पुनः गठित करने का प्रश्न तृतीय वेतन आयोग के समक्ष रखा गया था जिसने 1973 में यह पाया कि भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) के संबंध में अपनायी जा रही वर्तमान भर्ती संबंधी नीतियों में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है । इस संबंध में आगे यह भी विचार व्यक्त किया गया कि सभी सचिवालयी सेवाओं को प्रभावित करने वाले मामलों की विस्तृत जांच किये बिना इस प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं होगा ।

Commemorative Stamp for Maulana Hasrat Mohani

†*1079. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have been approached for the release of a commemorative postal stamp on the birthday on 21st May, 1978 of Maulana Hasrat Mohani, a freedom fighter; and

(b) if so, Government's reaction thereto and in case it is not proposed to release the same, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Communication (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal was placed before the meeting of the Plilatelic Advisory Committee held on the 14th April, 1978, but was not recommended.

Official Language Implementation Committee

*1080. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Official Language Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions out of them fully implemented; and

(d) the reasons for delay in fully implementing the remaining decisions ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A meeting was held on 18th July, 1977. A statement in respect of the decisions taken in the meeting and their implementation is laid on the Table of the House.

STATEMENT

During 1977, the Official Language Implementation Committee met on 18th July, 1977 to review the implementation of the Official Language Act and the Rules framed thereunder along with administrative instructions issued from time to time. The decisions taken at the meeting and the action taken thereon, are given below :—

Decisions	*Action taken*
1. Orders regarding writing of subject-matter on files bilingually should be reiterated.	Necessary orders have been issued and are being implemented progressively.
2. The check-points in the Central Registry should be strengthened to ensure issue of general orders, circulars etc. billingually.	The check-points have been strengthened, and as a result general orders etc. are being issued billingually in most of the cases.
3. Meetings of Section Officers should be held to ensure compliance of the Official Language Act and the Rules framed thereunder.	Such meetings were held resulting in greater awareness amongst staff about the provisions of the Act and the Rules.
4. To ensure timely submission of quarterly reports for progressive use of Hindi.	All concerned have been asked to submit the reports regularly
5. In Hindi-speaking areas only Hindi-Typewriters should be purchased and the time-scale clerks engaged on Hindi typing be given special pay.	Instructions have been issued to purchase Hindi Type-writers in adequate numbers. The question of grant of special pay for Hindi Typists has been taken up with the Department of Official Language.
6. Arrangements should be made for processing the cases of staff requirements for Hindi work upto circle level.	Propoasals are being processed and are at final stages of sanction.
7. More and more departmental telegrams intended for Hindi speaking areas should be sent in Hind	Instructions have been issued.
8. Attention of the concerned offices be drawn to the fact that telegraphic codes in Hindi are only the transliteration of English codes in Devanagari script and their wider use should be encouraged.	Necessary instructions have been issued.
9. Instructions should be issued that the question papers for departmental examinations should be both in Hindi and English.	Instructions have been issued and are being implemented.
10. There should be uniform rate of honorarium for taking extra classes in English, Hindi and regional languages in departmental training centres.	Tne matter is being examined.

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार

*1081. **श्री दुर्गा चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे मिशनों द्वारा विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अधिकारियों को विदेशों में नियुक्त करने से पूर्व भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : हमारे मिशनों के कार्य का एक अंग यह भी है कि वे भारत के सांस्कृतिक व्यक्तित्व को उजागर करें । भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा हमारे मिशनों के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है । अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार विदेश में भारत की सांस्कृतिक छवि को निखारने के लिए उसकी सिफारिशों के आधार पर विभिन्न कदम उठाने का प्रस्ताव है जिनका अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) प्रेस तथा सांस्कृतिक अताशे के रूप में हमारे विदेश-स्थित मिशनों में जाने वाले अधिकारियों सहित विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे भारत की सांस्कृतिक परम्परा का अच्छा ज्ञान और जानकारी रखें । इस प्रशिक्षण के एक अंग के रूप में इसमें सुधार का प्रस्ताव है । देश से विदा होने के पूर्व सरकार के सम्बद्ध विभाग उन्हें विशेष ब्रिफिंग करते हैं ताकि जब वे विदेश स्थित मिशनों में अपना कार्यभार ग्रहण करें तो मिशन के सांस्कृतिक कार्यकलापों की योजना बना सकें तथा उनमें समन्वय स्थापित कर सकें ।

Loss Due to Fire in Indian Embassy in Manila

†*1082. **Shri Sukhendra Singh :**
Shri Vijay Kumar Malhotra :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether loss suffered as a result of breaking out of fire in a six-storeyed building in Manila on 15th April, 1978, where Indian Embassy is housed, has been estimated; and

(b) whether Government of India have made a demand from the Government of that country for compensation under any law ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Our Mission in Manila was located in a rented building and the loss suffered by Government as a result of the fire on April 14/15, 1978 was on account of movable property only. We are presently engaged in estimating the extent of loss. As all the records have been destroyed in the fire, calculation of the total damage will take some more time.

(b) No, Sir.

चिकित्सा स्नातक

*1083. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कालेजों से पास होकर कितने चिकित्सा स्नातक निकले;

(ख) उन्हें राष्ट्र की सेवा में खपाने के लिए प्रतिवर्ष रोजगार के कितने नए अवसर पैदा किये जा रहे हैं;

(ग) यहां डिग्रियां प्राप्त करने के बाद उनके किन्हीं अन्य देशों में जाने की कोशिश करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनायण) : (क) पिछले तीन वर्षों, 1973-76 में कुल 35257 चिकित्सा स्नातक अर्थात् 1973-74 में 11364, 1974-75 में 11911 और 1975-76 में 11982 कालेजों से निकले हैं ।

(ख) इन स्नातकों को खपाने के नए अवसर (1) राज्य और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विस्तार द्वारा (2) अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा और (3) प्राइवेट संगठनों द्वारा जिनमें निजी प्रेक्टिस भी शामिल है, उपलब्ध कराये जाते हैं । लोगों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य देखरेख संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाने से बहुधा चिकित्सा स्नातक या तो सरकारी सेवा में या निजी प्रेक्टिस में खप जाते हैं ।

(ग) चिकित्सा स्नातकों द्वारा विदेशों में जाकर काम करने के मुख्य कारण हैं: (1) वहां पर परिलब्धियों का अधिक होना, (2) काम-काज की दशा का अपेक्षाकृत बेहतर होना, (3) हमारे देश में शिक्षा की किस्म और उपलब्ध नौकरियों में असमानता का होना और (4) उच्चतर शिक्षा/प्रशिक्षण विशेषकर कुछ अति विशिष्ट विषयों में उच्च प्रशिक्षण की सुविधाओं का उपलब्ध होना ।

(घ) सरकार ने चिकित्सा स्नातकों को विदेशों में जाने से रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वे हैं—(1) स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाना, (2) लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार उन उम्मीदवारों को अग्रिम वेतनवृद्धि देना जिनके पास विशेष योग्यताएं हैं, (3) चिकित्सा स्नातकों के काम-काज की हालत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में सुधार लाना और (4) चिकित्सा-शिक्षा को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना और उसमें स्वास्थ्य देखरेख की सेवाओं के निरोधी, संवर्धक, उपचारी और पुनर्वास पक्षों पर बल देना ।

वर्षा ऋतु में टेलीफोन व्यवस्था को ठप्प न होने देने के लिए कार्यवाही

*1084. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है जिससे वर्षा ऋतु में महानगरों में टेलीफोन व्यवस्था ठप्प न हो या टेलीफोन सेवा में शिथिलता न आये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : मानसून के दौरान बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न चरणों वाले एक कार्यक्रम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है । इस कार्यक्रम के ब्यौरे सभा-पटल पर रखे जाते हैं ।

विवरण

मानसून के दौरान टेलीफोन सेवाएं भंग होने / उनके स्तर में गिरावट होने की स्थिति रोकने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम :

(1) जहां कहीं व्यवहार्य है, जंक्शन और मुख्य केबुलों को धीरे-धीरे गैस प्रेशराइजेशन में रखा जा रहा है ।

(2) वितरण केबुलों में विभिन्न चरणों में आर्द्रता रोधक लगाना ताकि वर्षा ऋतु में कम से कम क्षति हो ।

(3) उपभोक्ताओं के वितरण केबुल जाल के प्रेशराइज न किए हुए भाग में जेली भरे वितरण केबुलों का उत्तरोत्तर इस्तेमाल करना ।

(4) खम्भों पर दी गई तार लाइनों की जगह उत्तरोत्तर भूमिगत केबुल बिछाना ।

(5) जंक्शन सर्किटों की, जिनमें आंतरिक उपस्कर भी शामिल हैं, योजनाबद्ध जांच और ओवर-हालिंग करना ।

(6) उपभोक्ताओं की सभी पुरानी फिटिंग व उपकरणों का उत्तरोत्तर निरीक्षण करना और पुरानी फिटिंग और उपकरणों की पुनर्व्यवस्था करना ।

(7) किसी केबुल लाइन पर काम हो जाने के बाद खाइयां को बंद करने से पहले पानी भर कर या गैसलीकेज परीक्षण के जरिए केबुल ज्वाइंटों का परीक्षण करना ।

(8) मानसून से पहले सड़क की खुदाई या इसी प्रकार के अन्य कार्य के दौरान केबुल खुल जाने पर उसमें कहीं पानी तो नहीं भर गया है, इसका पता लगाना ताकि पहले से ही दोषों को ढूंढने में सुविधा हो ।

(9) सड़कों की खुदाई कराने वाली विभिन्न एजेन्सियों के बीच तालमेल स्थापित करना ताकि सभावित दोषों की संख्या कम हो सके ।

बोकारो में धातु मल (स्लैग) उत्पादन

*1085 **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो में प्रति दिन धमन भट्टी और इस्पात प्रद्रावक "शाप" में उत्पादित धातुमल के तत्व क्या हैं और वह कितनी मात्रा में उत्पादित होता है;

(ख) क्या यह धातुमल सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य बहुत सी चीजों के लिए बहुमूल्य कच्चा माल है परन्तु इस समय इसे व्यर्थ में फेंका जा रहा है ; और

(ग) क्या उस धातुमल का उपयोग करने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की धमन भट्टियों तथा स्टील मैल्टिंग शाप से निकलने वाले धातुमल की मात्रा तथा उसके तत्व नीचे दिए गए हैं :—

विवरण	इकाई	धमन भट्टी से निकलने वाला धातुमल	स्टील मैल्टिंग शाप से निकलने वाला धातुमल
1	2	3	4
कारखाने के 17 लाख टन चरण में एक दिन में जितना धातुमल निकलता है	टन	4,290	890
औसत विश्लेषण			

1	2	3	4
सी० ए० ओ०	प्रतिशत	32-34	46.7
एम० जी० ओ०	प्रतिशत	8.2—9.2	6.4
एस० ओ० 2	प्रतिशत	33-35	13.6
ए 1 $2^{\circ}3$	प्रतिशत	21-22	4.3
पी० $2^{\circ}5$	प्रतिशत	—	2.46

(ख) धमन भट्टी से निकलने वाले धातुमल की दानेदार बनाने वाले कारखाने में दानेदार बना दिया जाता है । फिर से सीमेंट के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है । कुछ समय पहले किए गए अध्ययनों से पता चला था कि स्टील मैल्टिंग शाप से निकलने वाले धातुमल का मृदा अनुकूलक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसको परिवर्तित करने की लागत महंगी पड़ेगी । धमन भट्टियों तथा स्टील मैल्टिंग शाप से निकलने वाला धातुमल इस समय किसी काम में नहीं लाया जा रहा है ।

(ग) बोकारो में धातुमल को दानेदार बनाने के लिए एक कारखाना लगाया जा रहा है जिसकी वार्षिक क्षमता 13.5 लाख टन होगी । आशा है यह कारखाना मार्च, 1979 तक काम करना शुरू कर देगा ।

नसबन्दी के लिये प्रोत्साहन राशि

*1086. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 4 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नसबन्दी के लिए प्रेरित करने हेतु कुल कितनी राशि अदा की गई तथा दिल्ली में नसबन्दी के लिए जिन पहले दस व्यक्तियों को सबसे अधिक राशि मिली उनके नाम क्या हैं ;

(ख) नसबन्दी की वास्तविकता का और बाद में पड़े उसके प्रभावों का पता लगाने के लिए दिल्ली प्रशासन, और भारत सरकार द्वारा नसबन्दी शिविरों और अस्पतालों के रजिस्टरों का परीक्षण-स्वरुप की गई जांच का क्या परिणाम निकला और क्या यह स्वेच्छा से कराई गई थी तथा अविवाहित व्यक्तियों की नहीं की गई थी

(ग) दिल्ली में जबरदस्ती नसबन्दी अथवा अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में सरकार तथा निजी पार्टियों द्वारा नसबन्दी पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि विभिन्न कार्यान्वयन ऐजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1976–77 वर्ष में प्रेरणा कार्य के लिए

12,82,529 रुपए की राशि दी गई। पहले दस प्रेरकों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	प्रेरक का नाम	स्वयं प्राप्त प्रेरणा धनराशि	प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त प्रेरणा धनराशि	अपनाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रेरणा धनराशि
1.	श्री ललित माकन	17,617.00	—	—
2.	श्रीमती के० राधा रमण	13,060.00	17,610.00	—
3.	श्रीमती रूखसाना सुल्ताना	2,290,00	81,840.00	—
4.	श्री हरचरण सिंह जोश	11,449.00	—	—
5.	श्री अर्जन दास	6,350.00	5,370.00	—
6.	श्री पूरण सिंह आजाद	8,560.00	1,590.00	—
7.	श्री इन्द्र सिंह आजाद	4,650.00	280.00	—
8.	श्री एस० आर० चटर्जी	4,340.00	—	—
9.	श्री जगदीश टाइटलर	3,910.00	1,200.00	—
10.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	50,849.00	1,17,710.00

(ख) दिल्ली प्रशासन ने नसबन्दी आपरेशनों की सच्चाई और वे स्वेच्छा से करवाए गए या नहीं, यह जानने के लिए जो परीक्षण के तौर पर जाँच की थी और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में 1976-77 के आपरेशन नसबन्दी और लूप पहनने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने जो नमूने के तौर पर जाँच की थी, इन दोनों जाँचों की रिपोर्ट अतारांकित प्रश्न संख्या-6201 संबंधी आश्वासन की पूर्ति के सिलसिले में 6-4-1978 को सभा-पटल पर रख दी गई है। दिल्ली प्रशासन ने आगे यह बताया है कि आपातकाल के दौरान की गई 1,18,969 पुरुष नसबन्दियों और 39,812 महिला नसबन्दी आपरेशनों में से 331 पुरुष नसबन्दी आपरेशनों में से और 314 महिला नसबन्दी आपरेशनों में कुछ अहित प्रभाव हो गए थे जिनमें उन्हें अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो गया था। जहाँ तक पात्रता/अपात्रता का संबंध है, दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है कि आपरेशन के समय भरे गए सहमति के फार्मों के अनुसार ये मामले नसबन्दी के पात्र मामले थे। लेकिन बाद में कुछ व्यक्तियों से ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें उन्हें यह कहा गया कि वे आपरेशन के समय इस कार्य के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते थे।

(ग) आपातकाल के दौरान दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्रों में परिवार-नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में केन्द्रीय सरकार ने एक तथ्यान्वेषण समिति नियुक्त की थी। इस तथ्यान्वेषण समिति की रिपोर्ट न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में बने जाँच आयोग को भेज दी गई है और जबर्दस्ती नसबन्दी अथवा अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही तभी की जा सकती है जब जाँच आयोग की सिफारिशें/निष्कर्ष उपलब्ध हो जाएंगे।

(घ) दिल्ली प्रशासन/भारत सरकार द्वारा 1975–76 और 1976–77 में नसबन्दी पर 1,16,86,385 रूपए की राशि खर्च की गई बतलाई गई है । इसके अतिरिक्त भारतीय रेड क्रास सोसायटी, दिल्ली ब्रांच ने भी प्रोन्नति कार्यक्रम के लिए 33,43,821 रूपए की राशि खर्च की, बतलाई जाती है । जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने बतलाया है, इस कार्यक्रम की क्रियान्विति पर अन्य प्राइवेट पार्टियों में कितना पैसा खर्च होगा, इसकी जानकारी उस प्रशासन को नहीं है ।

बैरकपुर और भाटपाड़ा एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना

*1087. **श्री सौगत राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बैरकपुर और भाटपाड़ा एक्सचेंजों को तत्काल स्वचालित बनाने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) भाटपाड़ा में 25-2-78 को एक आटोमैटिक एक्सचेंज चालू कर दिया गया है ।

बैरकपुर में एक आटोमैटिक एक्सचेंज लगाने की योजना पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है । यदि कोई प्रत्याशित विलम्ब न हुआ तो आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1983–84 में चालू हो जाएगा ।

नौकरियों के इच्छुक भारतीयों की शोचनीय स्थिति

1088. **श्री शकरसिंह जी वाघेला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार की तलाश में विदेश जाने वालों पर प्रतिबंध लगाने वाले हाल के भारत सरकार के निदेशों में काम कर रहे भारतीयों के सामने कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है और भारतीय राजदूतावास उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) रोजगार की तलाश में विदेश जाकर अकथनीय दुख और संकट की जोखिम उठाने वाले व्यक्तियों के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार ने हाल में कोई निर्देश जारी नहीं किया है । उत्प्रवास अधिनियम 1922 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत रोजगार के प्रयोजन से विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों को कतिपय औपचारिकतायें पूरी करनी होंती हैं, जिसका उद्देश्य विदेशों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है । भारतीय राजदूतावासों को ये अनुदेश दिये

गये हैं कि वे विदेशों में भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दें और इस बात का निश्चय करें कि नियोजन की शर्तें पूरी की जाएं। उत्प्रवास अधिनियम 1922 का प्रयोजन ही यह है कि विदेशों में भारतीय श्रमिकों के शोषण को रोका जाये और उनकी मजदूरी तथा आवास की परिस्थितियों को सुधारा जाये ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Central Provident Fund Office Jaipur, Rajasthan

10001. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state.:

(a) whether red-tapism is prevailing in the Central Provident Fund Office, Jaipur (Rajasthan) and if so, the reasons therefor ;

(b) whether a large number of subscribers of Sawai Madhopur District have not received their annual accounts after 1975 and if so, the reasons therefor; when their accounts will now be sent to them and whether a list of such subscribers will be laid on the Table ;

(c) the number of subscribers of the district who have applied for withdrawal of their fund but have not got the payment so far together with the reasons therefor and when they are likely to get the payment ;

(d) whether, even after several communications from public representatives to the senior officers, no appropriate action is taken and even the communications are not reported to and if so, reasons therefor; and

(e) whether action will be taken against officers concerned in this regard and if so, the nature thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) and (b). As reported by the Provident Fund authorities Annual Accounts have not been issued to 4171 subscribers employed in 13 establishments in Sawai Madhopur District. Out of these 3970 subscribes employed in M/s. Jaipur Udyog Ltd. Sawai Madhopur and Phalodi Quarry have not been issued annual accounts as the factory and quarry had not worked for nearly 8 months in 1975-76, and the management had also not submitted the requisite returns during the period. The reconciliation of these accounts is in progress. These accounts as also the remaining 201 annual accounts are expected to be issued soon. A list of the 13 establishments showing the number of subscribers to whom accounts are to be issued is enclosed.

(c) No case of withdrawal in respect of provident fund members of Sawai Madhopur district is pending in the Regional Provident Fund Commissioner's Office at Jaipur.

(d) The Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan has reported that communications received in his office are attended to promptly.

(e) Does not arise.

Statement

S. No.	Name of the establishment	No. of subscribers
1.	M/s. Jaipur Udyog Ltd. Sawaimadhopur	2500
2.	M/s. Jaipur Udyog Ltd. Phalodi Quarry	1470
3.	M/s. Sawaimadhopur Sahkari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Sawaimadhopur	25
4.	M/s. Jethmal Heeralal, Gangapurcity	6
5.	M/s. Sriniwas Rice & Oil Mills, Gangapurcity	4
6.	M/s. Subh Laxmi Industries, Gangapurcity	29
7.	M/s. Gangapur Co-operative Marketing Soceity, Ltd., Gangapurcity	17
8.	M/s. Ganesh Rice Mills, Gangapurctiy	7
9.	M/s. Gram Sewa Mandal, Karauli	40
10.	M/s. Bhonrey Lal Jain Birdhi Chand Jain, Karauli	25
11.	M/s. Tiwari Jhumar Lal, Karauli	36
12.	M/s. Shah Kastocr Mal Gaudi Soap-stone Mine, P.O. Morrah, Distt. Sawaimadhopur	10
13.	M/s. Abhinandan Oil & Flour Mills, Gangapurcity	2
	TOTAL	4171

जी० सी० आई० चादरों पर नियंत्रण

10002. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी० सी० आई० चादरों के मूल्य पर नियंत्रण है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति टन नियंत्रित मूल्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने जनता में खपत के लिए कोई निश्चित कोटा निर्धारित किया है और यदि हां, तो इसके वितरण की क्या प्रक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि जनता को 300 रुपये प्रति टन की दर से भुगतान करने पर खुले बाजार में जी०सी०आई० चादरें खरीदनी पड़ती है ; और

(ङ) क्या सरकार का अग्नि पीड़ितों को नियंत्रित दर पर जी० सी० आई० चादरें सप्लाई करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंतालय में राज्य मंत्री (श्री कढ़िया मुण्डा) : (क) से (ग) लोहा और इस्पात (जस्ती नालीदार चादरें शामिल हैं) की किसी भी श्रेणी के वितरण अथवा मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए सार्वजनिक खपत के लिए कोई विशिष्ट कोटा निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जस्ती नालीदार चादरों का बाजार भाव अलग-अलग स्थानों पर तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग होता है । यह भाव उस समय इन चादरों की मांग और उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(ङ) चूंकि लौहा और इस्पात के मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए "कण्ट्रोल रेट" पर माल सप्लाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में लघु इस्पात संयंत्र

10003. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने लघु इस्पात सयंत्र काम कर रहे हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं

(ख) आगामी दो वर्षों में कितने लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस के लिये कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जैसा कि नीचे दिखाया गया है मार्च 1978 में विभिन्न राज्यों में 124 इकाइयां काम कर रही थी :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	काम कर रही इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	6
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	3
5.	हरियाणा	12
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	कर्नाटक	9
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	
10.	महाराष्ट्र	23
11.	पंजाब	8
12.	राजस्थान	7
13.	तमिलनाडु	3
14.	उत्तर प्रदेश	19
15.	पश्चिम बंगाल	18
		124

(ख) और (ग) 145 इकाइयों में से, जिन के पास 33 लाख टन वार्षिक क्षमता के लिए लाइसेंस हैं, अब तक केवल 124 इकाइयां चालू की गई है जिनकी वार्षिक क्षमता 28.2 लाख टन है जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दिखाया गया है । असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में शेष 21 इकाइयां कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं ।

to state :

(a) the names of the cities linked so for with direct circuits of trunk exchange in Rajkot city in Saurashtra region of Gujarat;

(b) the number of additional cities or towns which will be linked with direct circuit-lines of Rajkot upto 31st March, 1979; and

(c) the programme therefor and the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Ahmedabad Gandhinagar and Jamnagar have direct dialling facility to Rajkot.

(b) Baroda, Surat.

(c) The linking of Rajkot, Baroda Auto Exchanges with the Trunk Automatic Exchange at Ahmedabad is in progress and is expected to be completed by March, 1979. This will provide inter-dialling facilities for Rajkot with Barcda.

भारतीय राजदूतावासों में राष्ट्रीय नेताओं के चित्र

10005. **श्री समर गुहा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के कार्यालयों में भारत के राष्ट्रीय नेताओं के चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी भी कार्यालय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन कार्यालयों में विशेष रूप से अफगानिस्तान, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, इटली, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, हांगकांग, चीन, जापान, इंगलैंड, अमरीका, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशों में स्थित अपने मिशन कार्यालयों में नेताजी के चित्र का प्रदर्शन करने का निदेश देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार ने सभी मिशनों को अनुदेश दिए हैं कि महात्मा गाँधी और भारत के राष्ट्रपति के चित्रों को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए । सरकार की यह भी नीति है कि राष्ट्र के महत्वपूर्ण और सम्मानीय नेताओं के चित्रों को भारतीय मिशनों में लगाया जाना जारी रहना चाहिए । लेकिन विशेष रूप से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का प्रदर्शन करने अथवा न करने के लिए विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार का उन लोगों को आगे अनुदेश देने का प्रस्ताव नहीं है जिन्हें अनुदेश दिए जा चुके हैं कि महात्मा गाँधी और राष्ट्रपति के चित्रों को महत्व देना चाहिए ।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम

10006. **प्रद्युमन बाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्य किये गये;

(ग) भारतीय तकनीनी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम से किन-किन देशों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना;

(घ) सहायता देने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ङ) क्या इस शीर्ष के अन्तर्गत सहायता कार्यक्रम में वृद्धि करने की कोई सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, जोकि विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार ने विकासशील देशों को नीचे लिखे अनुसार सहायता दी है।

1975-76	2,78,77,000.00
1976-77	2,88,29,000.00
1977-78	2,64,06,283.35**

**(लेखाधिकारी द्वारा फरवरी, 1978 के अंत तक खाते में दर्ज व्यय) लेकिन वर्ष 1977-78 के लिए अंतिम आंकड़े मार्च 1978 में प्रत्याशित नाम खाते में लिखी जाने वाली राशियों के कारण काफी ऊँचे रहने का अनुमान है।

(ख) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग के नीचे लिखे रूपों की परिकल्पना की गई है:

(i) भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(ii) विशेषज्ञों की विदेशों में दीर्घ और अल्प-कालिक प्रतिनियुक्ति।

(iii) संभाव्यता अध्ययन और तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता;

(iv) पूंजीगत माल, उपस्कर, दवाइयों आदि की भेंट।

(v) कतिपय देशों में विशिष्ट परियोजनाएं आरम्भ करना।

(ग) जिन देशों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुँचा हैं उनमें अफगानिस्तान, मारीशस, श्रीलंका, मालदीव, तन्जानिया, वियतनाम समाजवादी गणराज्य, सूडान, यमन लोकतान्त्रिक जन गणराज्य, घाना और गुयाना शामिल हैं। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग देशों को दी गई सहायता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में हुआ खर्च एकमुश्त में "भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग शीर्षक के अन्तर्गत दर्ज है।

(घ) विकासशील देशों को उनसे प्राप्त अनुरोध और उन देशों की प्रमुख आवश्यकताओं के आधार पर सहायता दी जाती है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत पड़ोसी देशों को अपेक्षाकृत अधिक सहायता मिली है।

(ङ) 1964 में भारतीय तकनीकी एवं सहयोग योजना में आरम्भ होने के समय से विगत वर्षों के दौरान सहायता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और यह उम्मीद की जाती है कि 1977-78 के अंतिम आंकड़े 5 करोड़ से ऊपर ही बैठेंगे।

पिछड़े जिलों में दूर संचार सुविधाएं देने के मापदण्ड

10007. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े हुए घोषित किये गये जिलों में उनके मंत्रालय द्वारा दूरसंचार सुविधाएं देने के लिये क्या मानदंड निश्चित किये गये हैं;

(ख) कुल कितने जिलों में यह उदार प्रक्रिया लागू की गई है तथा टेलीफोन प्रदान किये गये हैं और चालू वर्ष में कौन-कौन से कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम में राज्यवार कितने जिले शामिल किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) दूरसंचार सुविधाएं देने की नीति सामान्य इलाकों की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिक उदार बनाई गई है मसलन पिछड़े इलाकों में राजस्व की बिना किसी शर्त के ऐसे गांवों में दूरसंचार की सुविधाएं दी जा सकती हैं, जहां कि न्यूनतम आबादी 2500 हो जबकि सामान्य इलाकों के स्थानों के लिए आबादी की न्यूनतम सीमा 5000 रखी गई है । इसी प्रकार पिछड़े इलाकों में पर्यटक/तीर्थ स्थलों, दूरवर्ती स्थानों, सबइंसपैक्टर के अधीन थानें, बिजली/सिंचाई परियोजना स्थलों और टाउनशिपों में ये सुविधायें देने के लिए न्यूनतम राजस्व उनके वार्षिक आवर्ती व्यय का 15 प्रतिशत रखा गया है जबकि सामान्य इलाकों में न्यूनतम राजस्व की सीमा वार्षिक आवर्ती व्यय की 25 प्रतिशत है ।

(ख) दूरसंचार की सुविधाएं देने के लिए 271 जिलों के सभी भाग और 34 जिलों के कुछ भाग पिछड़े इलाके घोषित किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान देहाती पिछड़े इलाकों में 2000 सार्वजनिक टेलीफोनबूथ और 2000 संयुक्त डाक-तार घर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) पिछड़े इलाकों की राज्यवार सूची संलग्न अनुबंध में दे दी गई है ।

(ग्रन्थालय में रखी गई । देखि संख्या एल० टी०, 2340/78)

Eye Camps

10008. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a village in Kandhar Tehsil in Nanded in Maharashtra a big Eye Camp was organised on behalf of Eye Camp Samiti, Kandhar on 16th April, 1974;

(b) the number of persons operated in this Camp; and

(c) the amount of assistance given to this eye camp in Kandhar and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) 185 operations were performed out of whjch 184 were for cataract and one for Dicrydeystits,

(c) The question regarding release of financial assistance will be considered on receipt of a request from the Eye Camp Samit, Kandhar

Providing Telephone connection to Darbhanga Division

10009. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applicants in the general list registered for telephone connections in Darbhanga Division by the end of 1976 and the number of these, out of them, who have been provided with telephone connections so far; and

(b) The time by which the remaining applicants are proposed to be provided with telephone connections ?

Minister for State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) The number of applicants in general category as on 31-12-76 in Darbhanga Telegraph Division was 14 and all of them have been provided telephone connections.

(b) The question does not arise.

विलिंगडन अस्पताल में कान, नाक गला और आंख विभाग

10010. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन में कान, नाक, गला और आंख विभागों में बहिरंग रोगियों को देखने के लिए केवल चार दिन नियत हैं जबकि अन्य विभागों में उसके लिए सप्ताह में छः दिन नियत हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इन विभागों को जनता के लिए बहिरंग चिकित्सा के लिए पूरे सप्ताह खुले रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) इन विभागों में इस समय कुल जितना स्टाफ है उससे सप्ताह में छः दिन तक बहिरंग रोगी विभाग की सेवाओं की व्यवस्था सम्भव नहीं है। फिर भी, पूरा सप्ताह ये सेवाएं उपलब्ध करवाने के सारे मामले की समय-बद्ध आधार पर जांच की जा रही है।

Disruption of Telephone Line in Calcutta and Delhi due to Tornado

†10011. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of telephone lines disrupted in Calcutta as a result of tornado on 16th April, 1978 and the loss suffered by Government on this account;

(b) the number of telephone lines disrupted in Delhi as a result of tornado there last month and the expenditure to be incurred by Government on repairing these lines; and

(c) whether the Central Govenment have evolved any scientific method to ensure that telephone lines are not affected by tornado and if so, the detals thereof ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) The number of telephone lines disrupted in Calcutta as a result of tornado on 16-4-78 is about 1300. No separate account has been kept for repair of faults caused by tornado.

(b) The number of telephone lines disrupted in Delhi in March, 1978 as a result of tornado is 391. The expenditure incurred by Government on reparing these lines is about Rs. 76,000.

(c) No, Sir.

नये डाक तथा तार घर खोलना

10012. **श्री पद्मचरण सामन्त तिहेरा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुरे जिले में नये डाक तथा तारघर खोलने के बारे में बहुत से आवेदनपत्र और सुझाव दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने अभ्यावेदन पत्र और सुझाव दिये गये हैं तथा ये कब प्राप्त हुये; और

(ग) उन पर अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) **डाकघर** : वर्ष 1977 के दौरान 24 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 11 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई थी। 13 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। वर्ष 1978 में 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और बाकी 18 प्रस्तावों की जांच की जा रही है। आशा है कि बाकी आवेदन-पत्रों का जुलाई 1978 तक अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया जाएगा।

तारघर : पिछले छह वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिए 70 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। 17 प्रस्तावों को स्वीकृत दे दी गई थी और 53 प्रस्ताव समाप्त कर दिए गए थे क्योंकि ये प्रस्ताव मानदंडों के दायरे में नहीं आते थे।

Stipend to Medical Students

10013. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount of the stipend to medical students in Delhi will be increased; and

(b) whether it is also a fact that in order to provide employment to twelve thousand students, appointment of these students will be made in such States in the country which are Union Territories and have also shortage of doctors and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare: (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The question regarding increase in the rate of stipend to the interns in the Central institutions/hospitals is under consideration of the Government.

(b) There is no such proposal under consideration of the Government.

हिमको लैबोरेटरीज सोनीपत

10034. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जुलाई, 1975 को करनाल (हरियाणा) के औषधि निरीक्षक ने हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा निर्मित हिमको गोलियों का बैच नं० 144 पकड़ा था;

(ख) क्या पकड़ी गई गोलियों को विश्लेषक के प्रतिवेदन के अनुसार स्तर का नहीं पाया गया था और इस कम्पनी की इस घटिया औषधि के बारे में भारत के औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली को 26 अगस्त, 1975 को जानकारी भेज दी गई थी,

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने औषधि और शृंगार-प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 18क के उपबंधों का उल्लंघन करके बिना खरीद वाउचर के ही उक्त गोलियां बेच दी थीं;

(घ) क्या यह सच है कि हिमको लेबोरेटरीज ने ये गोलियां बिना लाइसेंस के बनाई थीं, और

(ङ) यदि हां, तो इस कम्पनी को घटिया किस्म की औषधियों को जनता द्वारा खपत निर्माण करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) ऐसा अनुमान है कि कम्पनी का नाम हिमको लेबोरेटरीज है न कि हिमको लेबोरेटरीज। हिमको लेबोरेटरीज के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में बेरोजगारों के लिए बेरोजगार भत्ता

10015. **श्री किरित विक्रय देव बर्मन** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तुत बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की योजना के बारे में 6 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ते की व्यवस्था की जायेगी और योजना के लिए अनुमानित कितने परिव्यय की आवश्यकता होगी ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जैसा कि 6 अप्रैल, 1978 को अतारांकित प्रश्न सं० 5819 के उत्तर में बताया गया था, त्रिपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा विधान सभा द्वारा 29 जून, 1977 को पारित किए गए संकल्प की केवल एक प्रति भेजी थी, जिसमें केन्द्रीय सरकार से अन्य बातों के साथ, यह अनुरोध किया गया था कि बेरोजगार व्यक्तियों को निर्वाह-स्तर पर बेरोजगारी भता प्रदान किया जाए। इस संकल्प में त्रिपुरा में ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई, जिनके लिए राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना चाहती है और न ही इसमें इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित अनुमानित वार्षिय परिव्यय दिया गया था। प्रश्न सं० 5819 के भाग (ग) का उत्तर त्रिपुरा राज्य में बेरोजगारी की समस्या तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह सम्पूर्ण देश में बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में था।

विलिंगडन अस्पताल में "हैल्थ विजिटर"

10016. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में 'हैल्थ विजिटर' के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं,

(ख) उनमें से प्रत्येक अस्पताल में 'हैल्थ विजिटर' के पद कब बनाये गये थे तथा आज तक कितने 'हैल्थ विजिटरों' को अगले ऊंचे ग्रेड में पदोन्नत किया गया,

(ग) कितने हैल्थ विजिटरों की सेवावधि 16 वर्ष से अधिक हो गई तथा उन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इस श्रेणी के कर्मचारी सदा कुंठाग्रस्त न रहें और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हेल्थ विजिटरों के कोई पद नहीं हैं।

सफदरजंग अस्पताल में 1954, 1955 और 1975 में हेल्थ विजिटरों के तीन पद बनाए गए थे। इनमें से दो विजिटर 16 वर्ष तक की सेवा पूरी कर चुकी हैं। उच्च ग्रेड में कोई ऐसे पद नहीं हैं जिन पर हैल्थ विजिटरों को पदोन्नत किया जा सके। फिर भी, जो हैल्थ विजिटर ग्रेजुएट हैं और इस ग्रेड में पांच वर्ष के कार्य का अनुभव रखती हैं वे हेल्थ एजुकेटर के पद की पात्र हैं और यह ग्रेड हैल्थ विजिटर के 330-560 रुपये के वेतनमान के मुकाबले में 425-700 रुपये के उच्च ग्रेड में हैं।

विशाखापत्तनम स्पात संयंत्र के लिये स्वीकृत धनराशि

10017. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी:** क्या **स्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशाखापत्तनम स्पात संयंत्र के निर्माण के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है, और

(ख) उक्त संयंत्र की स्थापना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख): सलाहकारों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम अप्रैल, 1975 में सौंपा गया था। उन्होंने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अक्तूबर, 1977 में प्रस्तुत कर दिया था। स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि० इसकी जांच कर रही है। इस बीच, भूमि अर्जन, मिट्टी की जांच, कच्चे माल के परीक्षण आदि जैसे प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं।

प्रारंभिक कार्यों को जारी रखने के लिए वर्ष 1978-79 के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मद्रास में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

10018. **श्री ए० मुरुगेसन:** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तमिलनाडु में अनुसूचित जातियोंअनसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु क्षेत्र के कार्यालय में उक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कुल कर्मचारियों की संख्या में उनका अनुपात क्या है;

(ग) इनकी कम प्रतिशतता के क्या कारण हैं और उनके कोटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती के स्टेंडर्ड में छूट देने का है जिससे और अधिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को उसे पास करने की सुविधा हो; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बीमा इंस्पेक्टरों के कडर में पदोन्नति के लिए भी स्टेण्डर्ड में छूट देने का है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) (क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि 1-1-1978 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु क्षेत्र में उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग तक कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति को प्राप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति इस प्रकार हैं:—

कुल संख्या	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
664	76	2	11.4	0.3

प्रधान लिपिक और उससे ऊंचे पदों को अखिल भारतीय आधार पर भरा जाता है। इसलिए उन्हें क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात संगत नहीं है।

(ग) उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना। अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में पिछले समय (बैक लॉग) को किलीयर करने के लिए अगस्त, 1977 में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया और कछ अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों को नियुक्त भी किया जा चुका है। कुछ पदों के संबंध में पिछले वर्ष के बकाया को आगे ले जाया गया है और उपयुक्त उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) ओपन/विभागीय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के संबंध में अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती करने के मानकों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार पहले ही ढील दी जा चुकी है।

(ङ) बीना निरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति के मानकों में भी इस सीमा तक छूट दी गई है कि जहां आम उम्मीदवारों की सूरत में पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में 9-10 वर्ष तक की नियमित सेवा के बाद ही विचार किया जाता है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए निचले ग्रेड में केवल 3 वर्ष की नियमित सेवा के बाद विचार किया जाता है।

Sale of Coke by Bhilai Steel Plant during last three years

10019. Shri Mohan Bhaiya: Will the Minister of **Steel and Mines be pleased to state :**

(a) the names of the parties to which mixed coke was sold by Bhilai Steel Plant during the last three years and at what rate; and

(b) whether the coke was sold to those two parties during the last month which neither deposited security money nor submitted tenders nor complied with the conditions thereof and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) The names of the parties to whom mixed coke was sold by Bhilai Steel Plant during the last three years and the prices at which it was sold are indicated in the list attached. [Placed in Library **See No. LT 2341/78**].

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विभिन्न उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिया जाना

10020. **श्री बैरागी जैना : क्या स्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि० जोडा एंड हीराकुड एल्युमिनियम लिमिटेड में हीराकुड के स्थानीय कुशल और अकुशल लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है ;

(ख) इन कंपनियों में से प्रत्येक में रोजगार पर लगे लोगों में स्थानीय लोगों की क्या प्रतिशतता है, और

(ग) स्थानीय लोगों के लिये रोजगार सुनिचित करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने के विचार है ?

स्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि० निजी क्षेत्र में है। 'हीराकुण्ड एल्युमिनियम लि०, हीराकुड' नाम की कोई कंपनी नहीं है। संभवत: अभिप्राय मैसर्स इंडियन एल्युमिनियम कंपनी से है जिसका उड़ीसा में हीराकुड के स्थान पर एल्यूमिनियम का स्मेल्टर है।

यह कंपनी भी निजी क्षेत्र में है। उपर्युक्त दोनों कंपनियों के बारे में प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर निम्नलिखित हैं :—

(क) जी, नहीं।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये कंपनियां निजी क्षेत्र में हैं।

(ग) सरकार का निजी क्षेत्र के इन दो उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निर्देश देने का विचार नहीं है।

Supply of Benzine to Synthetic and Chemicals Ltd. by H.S.L.

10021. Shri Surendra Bikram: Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether the benzine despatches made to the Synthetics and Chemicals Ltd. Bareilly by the factories of the Hindustan Steel Ltd., are found more in quantity on arrival, at Bareilly than the quantity actually shown in the despatch record;

(b) if so, whether the Hindustan Steel Ltd., always realised the cost of this excess quantity from M/s. Synthetics and Chemicals Ltd.; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a), (b) and (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

10022. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन** : क्या स्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, एक सरकारी उपक्रम, सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे पत्थरों को भी पीस देता है जिनमें सीसा और जस्ता नहीं होता ;

(ख) यदि हां, तो उपक्रम को प्रति वर्ष, कितनी हानि उठानी पड़ती है जिससे बचाया जा सकता है ; सकेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो खान से प्राप्त होने वाले ऐसे पत्थर की मात्रा कितनी थी जिससे जस्ते और सीसे की मात्रा नहीं थी और जिसे फेंक दिया गया था ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उपक्रमों को ऐसे बेकार पत्थरों को न पीसने के बारे में निदेश जारी करने का है ; यदि हां, , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) 1977-78 में खान विकास के दौरान ढुलाई मार्गों, क्रास-कटानों और शाफ्टों आदि से लगभग 74000 टन फालतू पत्थर मिला जिसका यथा-जरुरत सड़क बनाने, जमीन को समतल करने और निचले बांध बनाने में उपयोग किया गया तथा शेष पत्थर खेतों में जमा कर दिया गया।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Enquiry into the causes of death in Patna city hospitals

10023. Shri Chaturbhuj : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be please to state :

(a) whether Government have since completd the inquiry into the causes of deaths in Patna City Hospital during the pericd 18th July, 1977 to 10th January, 1978;

(b) if so, the broad outlines of the inquiry so conducted; and

(c) whether a copy of the report will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a), (b) and (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

होम्योपैथी विज्ञान

10024. **डा० भगवानदास राठौर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोकेमिक सूक्ष्मता के भिन्न-भिन्न ग्रेडों में समान 'टिशू साल्टस' द्वारा रोगियों की चिकित्सा करता है जो होम्योपैथी विज्ञान से भिन्न चिकित्सा पद्धति है जिसके परिणामस्वरूप, म्यूकस मेम्ब्रेन्सके "माइक्रोस्कोपिक सैल्स" द्वारा उन्हें तुरन्त जज्ब कर लिया जाता है और 'साल्ट्स' की कमी पूरी करने के लिए व सीधे रक्त में मिल जाते हैं और रोग पैदा करते हैं ; और

(ख) यदि, हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख): यह कहना ठीक नहीं है कि 12 टिशू-रेमेडी से रोग का बायोकैमिक उपचार होम्योपैथी से भिन्न चिकित्सा पद्धति है क्योंकि होम्योपैथी पद्धति में तथाकथित बायोकेमिकल दवाइयों का उपयोग भी शामिल है। 12 टिशू रेमेडीज़ से रोग का बायोकैमिकल उपचार डा० सस्सलर ने केवल अनुभव के आधार पर शुरू किया था। 1873 में छपे "सन्निजड होम्योपैथी थेराप्यूटिक्स" शीर्षक अपने एक लेख में उन्होंने कहा है कि यह तरीका उन्होंने सरलीकृत होम्योपैथी के रूप में शुरू किया था। उन्होंने इनआरगोनिक साल्टों को, जो शरीर के टिशुओं के अंग हैं, उच्चकोटि के उपचारात्मक ऐजेन्टों के रूप में चुना। होम्योपैथी के प्रवर्त्तक डा० सैम्यूल हनेमन्न ने पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि ये इनगार्निक साल्ट उपचार के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनके रोगजनक प्रभावों और चिकित्सीय उपयोगों के बारे में गहन छानबीन शुरु की थी। चूना और लवण, पोटाश और सिलिका के बारे में ये उन्हीं के निष्कर्ष थे, जिन्होंने बाद में शेष टिशू रेमेडिज का मार्ग प्रशस्त किया और उन औषधीय शक्तियों के भण्डार का पता बताया जो इन इनओर्गेनिक पदार्थों में पा जाती हैं, भले ही ये पदार्थ अपनी अपरिपक्व अवस्था में स्पष्टतः निष्क्रिय होते हैं। डा० हनेमन्न ने बताया कि इन शक्तियों को कैसे प्रकट किया जा सकता है और कैसे चिकित्सीय प्रयोजनों में इनका उपयोग किया जा सकता है। बाद में 1873 में डा० सस्सलर ने 12 टिशू रेमेडीज के उपयोग से रोग का तथाकथित बायोकैमिकल ट्रीटमेंट" शुरू किया। डा० सस्सलर के सिद्धान्त के अनुसार अपेक्षित साम्यावस्था में कमी के कारण जीवित टिशुओं में सैल साल्टों की आणविक (मोलेक्यूलर) गति में यदि कोई विक्षोभ उत्पन्न हो जाए तो थ थोड़ी मात्रा में उसी प्रकार के खनिज लवण (मिनरल साल्ट) देकर इसे ठीक किया जा सकता है। किन्तु डा० सस्सलर का यह दावा किसी वैज्ञानिक अन्वेषण से सिद्ध नहीं किया गया है। किसी रोग का इलाज केवल कुछ लवण देकर तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे लवणों के लक्षण रोग के लक्षणों से मेल न खाते हों। यहां तक कि डा० सस्सलर से पहले ही इसमें से कुछ टिशू लवणों की होम्योपैथी की दृष्टि से सिद्ध किया जा चुका था और बाद में होम्योपैथी के प्रवर्त्तक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रयोग करके और क्लिनिकी पुष्टियों से अन्य टिशू लवणों के गुणों का सूक्ष्म ब्यौरा भी दिया जा चुका था। ये टिशू रेमेडीज़ पोर्टखीज में तैयार की जाती

हैं जैसा कि डा० हनेमन्न और उनके अनुयायियों, विशेषकर डा० हेरिंग ने निर्देश वास्तव में शरीर के टिशू के इन इनआर्गेनिक लवणों का सही अनुप्रयोग उन्हें सादृश्यता नियम के अनुसार ही दिया जाता है किन्तु वस्तुतः व्यवहार में यह देखा गया है कि यदि ये लवण 'सादृश्यता नियम' के अनुसार दिए जायें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे और विश्वसनीय होते हैं। अन्य मामलों में इनके अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते। डा० सस्सलर ने इन लवणों के उपयोग के लिए केवल थोड़े से ही सामान्य संकेत दिए हैं किन्तु इससे पहले और इससे बाद के निष्कर्षों से इनके उपयोग के बारे में अधिक अच्छे और सुस्पष्ट संकेत मिलते हैं और इन्होंने बीमारी में इनके उपयोग का क्षेत्र बढ़ा दिया है। आज लगभग सभी लवण होम्योपैथी मैटीरिया मीडिया के अंग हैं।

इस बारे में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इससे देश और विज्ञान के हित को कोई क्षति नहीं पहुंचती है।

Production of Aluminium in Hindalco

10025. Dr. Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government will lay on the Table of the House a statement showing the total production of aluminium by HINDALCO in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 and the percentage thereof given to Government ?

The Minister of State in the Minister of Steel and Mines (Shri Karia Munda): Total production of aluminium by HINDALCO in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 was as follows :—

	(In tonnes)
1975 76	66,956
1976 77	86,998
1977-78	62,119

Since July, 1975 all the aluminium producers, including HINDALCO, are required by the Government to deliver 50% of their production as "levy metal" to cable/conductor manufacturers for the power transmission/distribution programme and for other approved electrical usages. The metal is not required to be supplied to Government.

HINDALCO has delivered the following percentage of their production as "levy metal" over the period since July 1975 ;

July 1975 —March 1976	51.7
1976-77	49.2
1977-78	49.3

Representation to workers in Management of factories

10026. Shri Anant Ram Jaiswal : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the decision of Government to give representation to workers in the management of factories in the public sector has been implemented in any Government factory till 10th April, 1978;

(b) if so, the names of such factories and the number of the members in the management of each of them as also the number of workers and the ratio thereof in the management; and

(c) the names of those factories which have not implemented this decision so far and the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) According to the latest information available, 143 factories in the Central Public sector including departmental undertakings and 167 in the State public sector have either implemented the

October 1975 Scheme of Workers' Participation in Industry at shop floor and plant levels or have initiated action to implement it. In addition 67 factories relating to Central public sector and departmental undertakings have made alternative arrangements.

(b) and (c) These details are not available with the Ministry of Labour.

Mines in Gujarat

10027. Shri Amarsingh V. Rathawa : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the number of mines in Gujarat with details thereof;

(b) the number of employee engaged therewith details of facilities provided to them;

(c) their labour strength and the daily wages being paid to them; and

(d) the arrangements made for their safety and the details of other facilities like accomodation, etc., provided to them ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) and (b) A statement showing district wise break up of the total number of mines and number of employees engaged therein is attached. Information about details of facilities provided at each individual mine is not available. Some mine owners have provided Auyrvedic/ allopathic dispensaries, holiday homes etc. for their employees.

(c) The labour strength is given in the enclosed statement. The daily wages in different mines vary widely and are generally between Rs. 3 to Rs. 9 for males and Rs. 3 to Rs 7.50 for females.In limestone, calcareous sand and clay mines the wages are higher, verying between Rs. 5.80 to Rs. 23.50 for males and Rs. 5.19 to Rs. 12.00 for females.

(d) The Directorate General of Mines Safety enforces the provisions of Mines Act, 1952 and rules and regulations framed thereunder for ensuring the safety of workers. The Gujarat State falls under the jurisdiction of the Western Zone of the Directorate General of Mines Safety . Officers of the Directorate regularly inspect the mines with a view to ensure compliance with safety requirements . They also conduct investigations in respect of fatal and other important accidents and occurrences, and ensure that appropriate remedial action is takenby the mine owners.

Some big companies have provided accommodation to some of their labour. However details of housing accommodation provided at each mine are not available. Assistance from Limestone & Dolomite Welfare Fund is available for provision of medical , housing and drinking water facilities for workers in limestone and dolomite mines.

Statement

District-wise number of mines and average number of persons employed therein in Gujarat State as on 31-12-1976

S. No.	Name of District	No. of Mines		Average number of persons employed during 1976	
		In Major Minerals	In Minor Minerals*	Major Minerals	Minor Minerals
1	2	3	4	5	6
1.	Ahmedabad	2	29	..	2718
2.	Amreli	17	175	41	464
3.	Banaskantha	14	80	165	872

*The information regarding quarry leases (in minor minerals) of sand, kankar and Gravel for Panchayat area are not included fully as it is not received from some district development officers.

1 2	3	4	5	6
4. Baroda . .	58	75	2241	2362
5. Bhavnagar .	37	236	252	1918
6. Broach	22	28	477	330
7. Bulsar	7	51	50	531
8. Dangs		..		42
9. Gandhinagar	..	24	..	540
10. Jamnagar .	67	131	620	2494
11. Junagadh .	199	424	2725	2516
12. Kaira	15	73	587	2946
13. Kutch	59	380	513	1371
14. Mehsana .	16	3	188	331
15. Panchmahals	44	203	196	1603
16. Rajkot	43	208	195	1121
17. Sabarkantha	43	183	401	3651
18. Surat	6	86	30	1483
19. Surendranagar . .	73	95	610	1667
	722	2485	9291	29250

ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स एसोसियेशन, जामनगर का अभ्यावेदन

10028. **श्री बसंत साठे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स एसोसियेशन आफ इंडिया, जामनगर अथवा किसी अन्य ऐसी एसोसियेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित की गई मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जी, हां।

(ख) इनमें जिन प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है उनका संबंध भारत में यूनाइटेड किंगडम के पासपोर्ट धारकों को भारत स्थित ब्रिटेन के हाई कमीशन द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्रों के जारी किए जाने में होने वाले असाधारण विलम्ब से है। इस अभ्यावेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसके परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा अस्त-व्यस्त हो जाती है।

(ग) यद्यपि इस मामले का संबंध ब्रिटेन के प्राधिकारियों से है फिर भी सरकार यह समझती है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार यू० के० पासपोर्ट धारक कहलाने वाले ऐसी श्रेणी के लोगों को शीघ्र प्रवेश प्रमाण-पत्र देने की कोशिश कर रही है जिन्हें उत्प्रवासियों के रूप में यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने का अधिकार है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दुर्घटनायें

10029. **श्री के० प्रधानी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन कोयला-खानों में प्रतिवर्ष दुर्घटनायें हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तो प्रत्येक कोयला-खान में जनवरी, 1975 से अप्रैल, 1978 तक, वर्षवार इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गये और गंभीर रूप से घायल हुए और इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कोई जांच कराई गई और यदि हां, तो इनके क्या परिणाम रहे ; और

(इ) इन खानों के प्रबन्धकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख), (ग) और (घ) : खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों से, जो खान अधिनियम, 1952 के अधीन निरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं ; उक्त अधिनियम के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक घातक दुर्घटनाओं की जांच करें। इन निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्टों के आधार पर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

एक विवरण संलग्न है जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अन्तर्गत आने वाली कोयला खानों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 2342/76]

दिल्ली के बच्चों में संक्रामक रोग

10030. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "स्पेट आफ वाइरल इन्फैक्शन अमंग दिल्ली चिल्ड्रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली के अस्पतालों में इलाज किये गये बच्चों में जो विषाणु रोग पाये गये हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) छोटी माता,

(2) खसरा,

(3) कनपेड़ा,

(4) पोलियो ।

कनपेड़ा, छोटी माता और खसरा रोग आमतौर पर सर्दियों के अन्त तक गर्मियों के शुरू होने अर्थात् मार्च से मई तक फैलते हैं जबकि पोलियो प्रायः वर्षा ऋतु अर्थात जून से सितम्बर के बीच होता है ।

वर्ष 1976-77 तथा मार्च 1978 तक कलावती सरन अस्पताल द्वारा सूचित किये गये पोलियो के रोगियों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

महीना	1976	1977	1978
अप्रैल	69	107	
मई	78	103	152
जून	84	114	(मार्च, 1978 तक)
जुलाई	85	225	
अगस्त	148	210	
सितम्बर	169	181	
अक्तूबर	96	129	
नवम्बर	76	78	
दिसम्बर	92	84	

दिल्ली में किए गए चेचक सम्बन्धी निगरानी कार्य के दौरान ददोरे के साथ बुखार से पीड़ित जितने रोगियों का पता चला उसका ब्यौरा (मार्च 1978 तक) इस प्रकार है :—

वर्ष	छोटी माता		खसरा	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
1976	4,075	2	1,113	8
1977	2,132	2	1,745	3

दिल्ली नगर निगम द्वारा सूचित किये गये कनपेड़ा से पोड़ित रोगियों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1976		1977	
	रोगी	मृत्यु	रोगी	मृत्यु
जनवरी	35		4	
फरवरी	30		7	..
मार्च	36		9	..
अप्रैल	30		17	
मई	19		17	..
जून	22		4	1
जुलाई	11		5	
अगस्त	8		11	..
सितम्बर	2		7	2
अक्तूबर	3		7	
नवम्बर	4	..	6	
दिसम्बर	2	..	..	..

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली चार बड़े अस्पतालों (अर्थात सफदरजंग अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, कलावती सरन अस्पताल और हिन्दू राव अस्पताल) और चार इंडेक्स औषधालयों (नामत: रूप नगर, जंगपुरा, लाजपत नगर और और एण्ड्रूज गंज) से सूचना एकत्र कर और रोगियों की जांच पड़ताल कर विषाणु रोगियों पर निगरानी रखे हुए हैं।

हालांकि पोलियो एक आशक्त बना देने वाला संचारी रोग है, फिर भी खाये जाने वाली पोलियो वैक्सीन के देने से इसे पूर्णतया रोका जा सकता है। क्लिनिकों तथा अस्पतालों में पोलियो के खिलाफ बचाव के उपाय किए जा रहे हैं।

छोटी माता के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। खसरा तथा कनपेड़ा के लिए देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 1977 में कुछ खसरा वैक्सीन दान के रूप में प्राप्त हुई थी और लगभग 40 000 टीके दिल्ली क्षेत्र में लगाये गये थे।

Building of Indian Embassy in England

†**10031. Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the building of Indian Embassy in England is the largest of all the buildings of the embassies of all the countries all over the world;

(b) if so, the number of Indian and foreign employees in the embassy as on 31st March, 1978, separately and the expenditure of the embassy during 1977-78 (upto March); and

(c) whether there is any necessity for such a large building for the embassy and if not the reasons for not reducing the expenditure thereon ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) In England, the building of the High Commission of India is not the largest building housing a diplomatic mission.

(b) As on 31-3-1978, the strength of the High Commission consisted of 353 Indian nationals and 33 foreign nationals. The total expenditure incurred on the Mission during 1977-78 was Rs. 3.05 crores.

(c) The building housing High Commission of India, London, is owned by the Government of India. The only rental liability which Government is paying on this building is an amount of £ 6,000/- per year as ground rent. By reducing the staff strength from 683 in 1971 to 391 as at present, Government has been able for the first time to bring under one roof, the different wings of the High Commission. This has resulted in considerable saving to Government on account of rental spent for those wings which had been housed in rented premises earlier.

टेलीफोन एक्सचेंज

10032. **श्री सरत कार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 से फरवरी, 1978 के अन्त तक कलकत्ता, बम्बई, कटक और दिल्ली में नए नए टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने तथा वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1978-78 के दौरान उपरोक्त स्थानों में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है; और

(ग) टेलीफोन प्रणाली के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) कलकत्ता बंम्बई कटक और दिल्ली में जनवरी 1973 से फरवरी, 1978 के अंत तक नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने में जो प्रगति हुई है, वह नीचे दिखाई गई है। वर्ष 1978-79 के दौरान नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार करने का अस्थायी कार्यक्रम भी किया गया है :—

	जनवरी 1973 से फरवरी 1978 तक				1978-79 के लिए अस्थायी कार्यक्रम			
	खोले गए नए एक्सचेंजों की संख्या और क्षमता		जिन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया उनकी संख्या और जोड़ी गई क्षमता		नए एक्सचेंज		मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार	
	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
कलकत्ता	13	39,200	8	6,150	4	27,600	3	6,400
बम्बई	10	32,600	15	37,650	4	25,400	10	11,800
कटक	1	5,000	..	..	..	..	..	..
दिल्ली	12	40,200	17	16,150	4	24,000	6	6,400

(ग) टेलीफोन प्रणालियों में सुधार लाने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया था कि टेलीफोन प्रणालियों के आन्तरिक एक्सचेंज उपस्करों और बाहरी संयंत्रों को विभिन्न चरणों में ओवरहाल किया जाए। वर्ष 1977-78 के दौरान उपभोक्ताओं के 50 प्रतिशत उपकरणों और फिटिंग का निरीक्षण किया गया है और दोषपूर्ण मदों को बदल दिया गया / ओवरहाल कर दिया गया है। आशा है कि शेष वर्ष 1978-79 के दौरान पूरा हो जाएगा।

मानसून के दौरान बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सेवाएं भंग न हों, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. जहां कहीं व्यवहार्य होगा जंकशन और मुख्य केबुलों को धीरे-धीरे गैस प्रेशराइजेशन में रखा जाएगा ।

2. वितरण केबुलों में आर्द्रता रोधक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि वर्षा ऋतु में क्षति कम हो ।

3. उपभोक्ताओं के वितरण केबुल जाल के प्रेशराइज किए हुए भाग में जेलीभरे वितरण केबेलों का और अधिक इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

Employees removed from service during emergency in Steel Plants

10033. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees removed from service in various factories of Hindustan Steel during the emergency without serving show cause notice and without conducting any inquiry;

(b) whether Government have issued any order to reinstate them and if so, the category-wise number of employees who have not been reinstated so far in each factory and the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that during the emergency Shri Shyam Parida, Personnel Manager and Shri Vipin Panda, Deputy Town Administrator of Rourkela factory were served show cause notice after submission of C.B.I. report and were exonerated after the report of Enquiry Committee, when at the same time other officers were removed from service without giving them this opportunity; and

(d) whether Government propose to reinstate all such officers after serving them show cause notice and conducting an inquiry and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कोयला खानों में दुर्घटनाओं के शिकार हुए श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को राहत देने के लिए निधि

10034. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में अनपेक्षित दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को राहत देने के लिए एक स्थायी विशेष निधि बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) कोयला खान कल्याण संगठन के अधीन 1963 से "कोयला खान घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना" नामक एक योजना अमल में है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(क) मृतक या विकलांग व्यक्तियों पर पूर्णतया निर्भर विधवा/पति/माता-पिता/या अन्य व्यक्तियों को 250 रु० की राशि ऐसे मामलों में, जहां एक से अधिक आश्रित हैं, राशि का बटवारा किया जाता है ।

(ख) विधवा को 75 रु० प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है और पांच वर्षों की अवधि के लिए विधवा को छोड़कर किसी और आश्रित को 50 रु० प्रति माह का भत्ता देय होता है, ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक आश्रित हैं, राशि का बटवारा किया जाता है।

(ग) स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में, जब तक वह 21 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता / हो जाती या उनकी शादी नहीं हो जाती या नियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शिक्षा संबंधी मासिक भत्ता :—

(1) श्रेणी आठ तक 20 रु० प्रतिमाह

(2) श्रेणी नव और दस के लिए 30 रु० प्रतिमाह।

(3) श्रेणी ग्यारह और बारह के लिए 50 रु० प्रति माह।

(4) श्रमिक और उसके आश्रितों को, जब वह पूर्णतया और स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं / हो जाती हैं और ऐसे मामलों में, जहां श्रमिक दुर्घटना में मारा

जाता है, उसके आश्रितों का मुफ्त डाक्टरी इलाज/आश्रितों की निम्न परिभाषा दी गई है ।

1. वैध पत्नी/पत्नियां

2. 21 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे ।

3. पूर्णतया आश्रित माता-पिता ।

चिकित्सा इलाज कोयला खान कल्याण संगठन के अस्पतालों में होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए डाक्टरी प्रमाण-पत्र

10035. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छुट्टी की मंजूरी और अन्य सुविधाओं के प्रयोजनार्थ दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनरों से लिये गये डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरे तथ्य और कारण क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में प्रचलित नीति में परिवर्तन करने का है ताकि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनरों से इलाज करा रहे सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में अनावश्यक परेशान न होना पडे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 14-7-1975 को जारी किए गए आदेशों में, यह वर्णित था कि केवल प्राधिकृत चिकित्सा कर्मचारियों (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन नियुक्त डाक्टरों सहित) द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र ही चिकित्सा के आधारों पर छुट्टी प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए जाने चाहिए । ये आदेश मुख्य रूप से जाली चिकित्सा प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए जारी किए गए थे। इसके बाद, 16-8-1976 को उल्लिखित आदेशों में निम्नलिखित अनुदेश/छूट दी गई थी :--

"ऐसे मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी के निवास से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई प्राधिकृत मेडिकल अटेन्डेंट न हो, यदि छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी बीमारी के तथ्यों के बारे में संतुष्ट हो जाए तो वह किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र को स्वीकार कर सकता है और परिणत छुट्टी के अतिरिक्त और प्रकार की छुट्टी जो सरकारी कर्मचारी को देय हो, मंजूर कर सकता है । परिणत छुट्टी की बात कुछ दूसरी है और इसके लिए प्राधिकृत मेडिकल अटैण्डेंट के प्रमाण पत्र के लिए ही जोर दिया जाए ।"

इसके अलावा, 14-1-1977 को निम्नलिखित आदेश भी जारी किए गए :--

"(1) दूरस्थ क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारी के निवास से अथवा उस स्थान से जहां वह बीमार पड़ा हो, 8 किलोमीटर के भीतर कोई प्राधिकृत चिकित्सक न हो, वहां सरकारी कर्मचारी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए छुट्टी मंजूर करने वाला प्रशासनिक अधिकारी, यदि वह बीमारी की सच्चाई के बारे में संतुष्ट हो, तो अपने विवेक पर परिणत छुट्टी मंजूर कर सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि किसी कारण से यह पाया जाए कि यह नियम भी सरकारी कर्मचारी पर एक कठोरता होगी, विभाग के अध्यक्ष रजिस्टर्ड चिकित्सक से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर परिणत छुट्टी दे सकते हैं।

(2) ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पताल में अन्तरंग होगी के रूप में उपचार करवा रहा हो, छुट्टी मंजूर करने वाला अधिकारी इलाज कर रहे डाक्टरों की सिफारिश

पर अंतरंग रोगी के रूप में उपचार की अवधि के साथ-साथ स्वास्थ्य -लाभ और आराम की अवधि के लिए परिणत छुट्टी मंजूर कर सकता है । तथापि, स्वास्थ्य-लाभ और विश्राम के मामले में परिणत छुट्टी अधिकतम छः सप्ताह तक की मंजूर की जा सकती है ।

(3) सार्वजनिक सूचना के लिए यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि सी० सी० एस० (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 19 के उपबंध चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली जाने वाली छुट्टी के मामलों पर लागू होते हैं अर्थात् ऐसी छुट्टी जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो, उदाहरण के लिए परिणत छुट्टी। इसलिए, अर्जित छुट्टी, आधा वेतन छुट्टी, अथवा असाधारण छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य नहीं। ऐसी छुट्टियां चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना भी मंजूर की जा सकती हैं।"

ये आदेश देश भर के सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए कोई अलग आदेश नहीं थे।

सी० सी० एस० (छुट्टी) नियमावली, 1972 की स्थिति यह है कि दिल्ली अथवा दिल्ली के बाहर कार्य कर रहे राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए सी० सी० एस० (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 18 के अंतर्गत छुट्टी के प्रयोजन के लिए किसी प्राइवेट चिकित्सक का डाक्टरी प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं है। तथापि, जहां तक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, 14-5-75 के आदेशों और उसके बाद के अनुदेशों को समाविष्ट करने के लिए सी० सी० एस० (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 19 में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है ।

(ग) वास्तविक मामलों की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से 14-7-1975 के मूल आदेशों में उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में यथा उल्लिखित दिनांक 16-8-1976 और 14-11-1977 के अनुवर्ती आदेशों में काफी सीमा तक छूट दे दी गयी है । तथापि, इस पूरे विषय की फिर से जांच करने का विचार है ।

पुनः प्रेषण केन्द्रों (रिटर्न लैटर आफिस) में पदोन्नति के अवसर

10036. **श्री सूरज भान : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पुनः प्रेषण केन्द्रों में पदोन्नति के अवसर बहुत कम हैं और टाइम स्केल क्लर्कों के रूप में भरती होने वाले अधिकांश कर्मचारियों को एक बार भी पदोन्नत हुये बिना सेवानिवृत्त हो जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पुनः प्रेषण केन्द्रों में सेवा करने वाले कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी पदोन्नति के क्षेत्र का विस्तार करके सर्किल कार्यालयों, जिनके साथ वे संबद्ध हैं, या डाकघरों/रेल डाक सेवा के कार्यालयों तक करने का है बजाये इसके उनको वर्तमान की तरह एक कार्यालय तक ही सीमित रखा जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी नहीं। पुनः प्रेषण केन्द्रों में भी पदोन्नति के अवसर बनाये जा चुके हैं। वहां क्लर्कों के 20 प्रतिशत पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें लोअर सेलेक्शन काडर में बदल दिया गया है ।

(ग) जी नहीं। ऊपर (क) और (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये ऐसा करना आवश्यक नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लेबनान में कथित रूप से अर्थलोलुप भारतीय सैनिक

10037. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सरकार ने लेबनान युद्ध में अर्थलोलुप भारतीय सैनिकों के बारे में तथ्य का पता लगाने के लिए लबनान में उच्च अधिकारी भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) क्या अर्थलोलुप भारतीय सैनिकों का उपयोग न करने के लिए भारत सरकार ने विदेशों को पत्र लिखा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आशय के प्रेस समाचारों की जांच की है कि लबनान में विभिन्न वर्गों द्वारा भारतीयों की सैनिक और सम-सैनिक कार्यों में लगाया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ङ) जैसा कि मैंने 10 अप्रैल, 1978 को सदन में बताया था, लेबनान में प्रतिद्वन्द्वी गुटों द्वारा फँसे हुए भारतीय राष्ट्रिकों के इस्तेमाल किये जाने की चिंताजनक रिपोर्टें प्राप्त होने पर मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को उस क्षेत्र में भेजा गया था। अपने प्रेषण के आधार पर उसने सरकार को रिपोर्ट दी तथा वहां की सरकारों एवं विभिन्न नेताओं के साथ बैठकें कीं। यह संतोष की बात है कि सभी नेताओं ने भारत सरकार की नीति को समझा तथा बेरूत स्थित हमारे राजदूत को अपना सहयोग देने का वचन दिया।

लबनान में जो भारतीय फँस गये थे और जिन्होंने बेरूत स्थित हमारे राजदूतावास से सहायता मांगी थी, उन सबको सरकारी खर्च से भारत वापस भेज दिया गया। लबनान के विभिन्न गुटों ने उन थोड़े से भारतीय राष्ट्रिकों को भी छोड़ दिया है जिन्हें उन्होंने इस संदेह में पहले रोक लिया था कि उनका इस्तेमाल भाड़े के सैनिक के रूप में किया जा रहा है।

सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाजेशन की सदस्य-संख्या और इन्हें बैठकों में आमंत्रित करना

10038. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय **कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों और वार्ताओं के लिए नेशनल सैन्ट्रल ट्रेड यूनियन के कितने आर्गेनाइजेशनों को आमंत्रित किया जाता है और पिछली सरकार की नीति की तुलना में इन ट्रेड यूनियन संगठनों को आमंत्रण देने संबंधी वर्तमान नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं;

(ख) क्या श्रम मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और विभागों को सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों को आमंत्रण देने के मामले में मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशनों की कुल सदस्य संख्या कितनी है जैसा कि उन्होंने वर्ष 1976 अथवा 1971 तक दावा किया है और सदस्य संख्या तथा सम्बद्ध यूनियनों के सदस्यों के अनुसार इनके राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) "मई, 1977 में हुए त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर गठित की गई व्यापक औद्योगिक संबंध कानून और भारतीय श्रम सम्मेलन के गठन संबंधी समिति ने राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सलाहकार फार्मों के गठन तथा उनमें प्रतिनिधित्व के पैटर्न की पुनरीक्षा की थी। इस समिति द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत सरकार के विचाराधीन हैं। इस बीच, राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलनों में उन सभी दस केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनका यह दावा है कि वे अखिल भारतीय स्वरूप के संगठन हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-तार विभाग में सिविल इंजीनियर के पदों का बनाया जाना और उन पर नियुक्ति

10039. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 के दौरान डाक-तार विभाग में सिविल इंजीनियरों के पदों को बनाने, उन पर चयन करने के बारे में इतनी असामान्य शीघ्रता की गई यहाँ तक कि पद बनाने और अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित होने का कार्य मात्र 24 घन्टे में पूरा हो गया था;

(ख) क्या उक्त अवधि में उसी विभाग के अन्तर्गत अनेक महीनों से वरिष्ठ वास्तुशिल्पियों के अनेक पद भरे नहीं गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं। वर्ष 1977-78 के दौरान 9-10-77 से 31-10-77 तक और 5-3-78 से 31-3-78 तक वरिष्ठ वास्तुक का केवल एक पद खाली रहा था। भर्ती के नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार कोई अधिकारी तरक्की के लिये पात्र नहीं था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लौह अयस्क खानों में छंटनी

10040. **श्री के० ए० राजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लौह अयस्क खानों में छंटनी के विरुद्ध श्रमिक आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक छंटनी किये गये श्रमिकों की संख्या क्या है ;

(ग) उनकी मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार को बैलाडीले जैसे कुछ स्थानों में अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल कर रहे खान श्रमिकों का दमन करने के लिए पुलिस को गोलीबारी का प्रयोग करना पड़ा था;

(ङ) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक मारे गए;

(च) क्या इन घटनाओं के बारे में कोई जांच की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक लौह-अयस्क की खानों में छंटनी किए गए कामगारों में अन्यों के साथ-साथ बैलाडिला के 1375, दोनीमलाई के 312 तथा उड़ीसा की खानों के 596 कामगार शामिल हैं।

(ग) सरकार विश्व में इस्पात उद्योग में आई मंदी के कारण, जिससे हमारे लौह-अयस्क के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, कम से कम छंटनी करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है ।

(घ) और (ङ) : 5 अप्रेल, 1978 को कुछ यूनियनों और बाहरी तत्वों ने श्रमिकों को गुंडागर्दी, घेराव और हिंसा के लिए भड़काया था। पता चला है कि लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में दांतेवाड़ा के उप-मण्डल दण्डनायक के नेतृत्व में भेजी गई पुलिस-पार्टी पर लाठियों और घातक हथियारों से हमला किया गया था और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी । कामगारों द्वारा हिंसा और पुलिस द्वारा गोली चलाने से 11 व्यक्ति मारे गए थे जिनमें पुलिस का एक हैड-कांस्टेबिल भी था।

(च) और (छ) : राज्य सरकार ने इस घटना की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर जांच के विवरण उपलब्ध हो जायेंगे।

एस० टी० डी० सेवा का कार्य-निष्पादन

10041. **श्री के० मालन्ना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों की तुलना में एस० टी० डी० सेवाओं के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) जी हां। भारत में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा सन्तोषजनक है और कई देशों से बेहतर है। एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में इस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कोएक्सियल केबुल प्रणालियों, और माइक्रोवेव प्रणालियों जैसे विकसित ट्रंक माध्यमों पर उच्च स्तर के और बहुत ही भरोसे के लम्बी दूरी वाले ट्रंक सर्किटों के बड़े ब्लाकों की स्थापना की जा रही है। नये ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं और मौजूदा ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इन उपायों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए सर्किटों की संख्या बढ़ेगी और उनके स्तर में भी सुधार होगा।

कलकत्ता स्टाकयार्ड से स्पेशल पर्पज स्टील की चोरी

10042. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कलकत्ता स्टाकयार्ड से हाल ही में बड़ी मात्रा में स्पेशल पर्पज स्टील चोरी हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसका कुल मूल्य कितना था और क्या इस चोरी के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तो उनकी संख्या कितनी है।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Number of employees of Bharat Aluminium Co. Ltd Kobra Including SC/ST Employees.

10043. Shri Govind Ram Miri : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of Officers/employees working in Bharat Aluminium Company Ltd. Korba, Madhya Pradesh as on 30th March, 1978, categorywise, and salarywise ;

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribe Officers/employees, among them, categorywise and whether the posts reserved for them have been duly filled up completely and if not, the reasons therefor.

(c) categorywise number of the residents of Madhya Pradesh and Chhatisgarh among the Officers/employees, referred in part (a) above separately ; and

(d) the definition criteria/basis being adopted there for treating a person as resident of Madhya Pradesh and Chhatisgarh ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda) (a), (b) and (c) ; A statement is attached showing the total number of employees in various categories and also the number belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and those resident in Madhya Pradesh. Statistics of employees on the basis of their regional origin are not maintained by the Company and so separate information in regard to Chhatisgarh region is not available.

Due to dearth of suitably qualified condidates some posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, particularly those in Groups 'A','B' and 'C' have not been filled up.

(d) The criteria laid down by the State Government for treating a person as a resident of Madhya Pradesh are followed :

Statement

Category salarywise	Total employees	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Residents of M.P.
GROUP 'A'				
Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1300 .	379	9	1	114
GROUP 'B'				
Posts carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900 but less than Rs. 1300	220	6	2	80
GROUP 'C'				
Posts carrying a 'pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290 but less than Rs. 900	2469	207	250	1337
GROUP 'D'				
Posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 290 or less.	1896	434	335	1580
Total :	4964	656	588	3111

Buildings for Telephone Exchanges in M.P.

10044. **Dr. Laxminaryan Pandeya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether in the absence of Government buildings for telephone Exchanges in Ratlam, Neemuch, Jawara and other places in Ujjain division in Madhya Pradesh inconvenience is experienced in working and the expansion thereof is also hindered;

(b) whether Government land (Madhya Pradesh Government) is also available at these places but there are some hurdles in acquiring it; and

(c) if so, the action taken to acquire land at such places and the time by which these hurdles will be removed and land acquired?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) (a) No Sir, except at Jawara.

(b) Yes Sir, State Government land is available at these places. State Government has been requested to make these land available to the P & T Department.

(c) State Government has agreed to transfer land at Neemuch. The matter is under correspondence with State Government in other cases.

At Jawara in order to overcome immediate problems a suitable building has been rented out and exchange is being shifted and expanded at the new premises.

Costing of Doctors to Backward Areas

10045. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state : wheter it is the policy of the Government of India that the Government doctors on deputation in developing countries will be posted on coming back to India compulsorily in backward or difficult areas, where specialists service is generally not available.

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : It is not a matter of policy but the current administrative guidelines in this regard are that as far as possible and subject to exigencies of service Central Health Service officers returning from deputation abroad should be posted outside Delhi in the various participating units of the Central Health Service including those in the difficult and backward areas.

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में पद बनाया जाना

10046. **श्री बंगा राम चौहान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में अप्रैल, 1974 से मार्च, 1978 तक की अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी और चुतर्थ श्रणी के कितने पद बनाये गये ;

(ख) इन पदों में से प्रत्येक पद किस तारीख को बनाया गया और मंजूर किया गया, और ये रिक्त स्थान किस-किस तारीख को भरे गये ;

(ग) रोजगार कार्यालय अथवा विज्ञापन अथवा स्वतंत्र चयन समितियों के माध्यम से कितने पद भर गये ; और

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाये बिना कितने पद भरे गये और भिन्न प्रक्रिया अपनाने का औचित्य क्या था ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

'रि-रोलेबल' इस्पात का उत्पादन और उसका आबंटन

10047. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भारत में ब्लूमों और बिलेटों जैसे 'रि-रोलेबल' इस्पात का उत्पादन कम है,

(ख) क्या यह सच है कि कमी होते हुए भी हिन्दुस्तान स्टील लि० के मंडी गोविन्द गढ़ स्टाकयार्ड को प्रति मास 25,000 टन 'रि-रोलेबल' सामग्री आबंटित की गई है जब तक गाजियाबाद स्टाकयार्ड (एक अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर) को यह सामग्री 5000 टन प्रति मास से भी कम मिल रही है जिसके परिणामस्वरूप 50% से भी अधिक रि-रोलिंग मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ग) इस कम सप्लाई के कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) गत तीन वर्षों में मुख्य इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों में पुनर्बेलन योग्य इस्पात सामग्री के उत्पादन में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है लेकिन अप्रेल, 1978 के महीने में इस वर्ष के अन्य महीनों की तुलना में उत्पादन कम हुआ है। इस कमी का एक कारण यह है कि मुख्य इस्पात कारखानों में भारी मरम्मत का कार्य सामान्यतः अप्रैल के महीने में किया जाता है और दूसरे इस महीने देश के विभिन्न भागों में मुख्य इस्पात कारखानों तथा लघु इस्पात कारखानों में बिजली की सप्लाई कम रही है।

(ख) और (ग) सेल के अधीन इस्पात कारखानों में उपलब्ध पुनर्बेलन योग्य इस्पात सामग्री का विभिन्न स्टाकयार्डों को प्रेषण ग्राहकों की पिछली खरीद तथा विभिन्न प्रकार की पुनर्बेलन योग्य सामग्री की पिछली मांग के आधार पर किया जाता है। तदनुसार मंडी गोविन्दगढ़ और गाजियाबाद स्टाकयार्डों के लिए क्रमशः 21,500 टन तथा 5,500 टन पुनर्बेलन योग्य सामग्री के प्रेषण की योजना बनाई जा रही है। गाजियाबाद क्षेत्र में पुनर्बेलकों द्वारा पुनर्बेलन योग्य सामग्री की जो कमी महसूस की जा रही है वह इस्पात कारखानों से कम माल भेजने के कारण नहीं है बल्कि लघु इस्पात कारखानों के, जिन पर स्थानीय पुनर्बेलकों को अपने माल की सप्लाई के लिए निर्भर रहना पड़ता है, उत्पादन में गिरावट के कारण हैं।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण

10048. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में या इसके आसपास के क्षेत्र में इसकी प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटड का एक संयंत्र अथवा आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करने वाले एक संयंत्र की स्थापना हेतु इस क्षेत्र का अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश में संयुक्त सेक्टर फार्मूलेशन यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर इंडियन ड्रग्स एंड फारमास्यूटिकल लिमिटड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के सहयोग से विचार किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का विचार अपने चिकित्सा-वानस्पतिक सर्वेक्षण कार्यक्रम में पंचमढ़ी के और इसके आसपास के क्षेत्र को भी यथासमय शामिल करने का है।

Telephone connection to Milk Producers Cooperative Society Pundhra

†10049. **Shri Motibhai R. Chaudhury** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a demand made by the Milk Producers Cooperative Society of Pundhra village for telephone connection from Bijapur Telephone Exchange in Gujarat is pending since 11th August, 1976 and money in this regard has been deposited ; and

(b) whether telephone connection will be provided to this Cooperative Society early keeping this fact in view that this village has a population of more than 5000 and there are

about 1000 members of this Society and these members have to frequently call the veterinary doctor from Mehsana dairy for treatment of cattles.

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narahari Prasad Sai) : (a) The telephone connection has been demanded from Lodra Exchange under general category and not from Bijapur Exchange and advance deposit money has been paid.

(b) This case was registered under general category on 11-8-76 and telephone is required at a distance of about 5 kms. from the exchange. Telephones under this category are given as per turn on the waiting list and after availability of stores. Recently a PCO has been opened at village Pundhira for the convenience of the public there.

उत्पादन में कमी होने से भिलाई इस्पात कारखाने को हुई हानि

10050. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इपात और खान मंत्री 20 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7588 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक औसत उत्पादन 482 टन से कम हो रहा है ;

(ख) क्या इससे कारखाने को लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भिलाई इस्पात कारखाने में लगभग 7.30 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन की हानि हुई है। उत्पादन में कमी मुख्यतः कोककर कोयले की अनियमित सप्लाई, विशेषतः अक्तूबर-नवम्बर, 1977 के दौरान, उत्पादन कायक्रम में बाधा और धमन भट्टी, स्टील मेल्टिंग शाप और ब्लूमिंग तथा बिलेट मिल में मालिक-मजदूर सम्बन्धों की समस्याओं के कारण हुई ।

फ्रांस द्वारा न्यूट्रोन बम का परीक्षण

10053. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस ने हाल में न्यूट्रोन बम का विस्फोट किया था ;

(ख) क्या ऐसे विस्फोट से निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विस्फोट पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है ; और

(घ) इस पृष्ठभूमि में निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने उन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिनमें यह कहा गया है कि फ्रांस ने हाल ही में दक्षिणी प्रशान्त में एक न्यूट्रोन बम का विस्फोट किया है। इसलिए भारत सरकार द्वारा असप्रन्नता प्रकट किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सभी नाभिकीय अस्त्रों के प्रति, जिनमें न्यूट्रोन बम भी शामिल है, भारत का सैद्धान्तिक और दृढ़ विरोध अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सुविदित है। भारत का विचार निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में नाभिकीय निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को सबसे पहली आवश्यकता के रूप में प्राप्त करने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रयास जारी रखने का है जिनमें निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी विशेष अधिवेशन भी शामिल है।

संयुक्त नदी आयोग के बारे में भारत और बंगलादेश के बीच होने वाली बैठक का स्थगन

10052. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि संयुक्त नदी आयोग की बैठक, जो 20 अप्रैल, 1978 को होने वाली थी, एक महीने तक स्थगित की जाये; और

(ख) इस बैठक की महत्ता को देखते हुए सरकार ने गंगा के जल के प्रवाह को बढ़ाने के लिये दीर्घ-कालिक योजना के विषय पर क्या निर्णय लिया है?

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी वाजपेयी): (क) जी हाँ।

(ख) गंगा का प्रवाह बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपना प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव की और इसी उद्देश्य से बंगलादेश ने जो प्रस्ताव तैयार किया था उसकी अदला-बदली 25 मार्च, 1978 को ढाका में की गयी थी। इन प्रस्तावों पर भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की अगली बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा जो शीघ्र ही होने वाली है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की तुलना में सर सुन्दर लाल अस्पताल के डाक्टरों के कम वेतन

10053. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन सर सुन्दर लाल अस्पताल के डाक्टर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के वेतन की तुलना में कम वेतन ले रहे हैं और उन्हें प्रैक्टिसबंदी भत्ता भी नहीं दिया जाता है और यदि हाँ, तो क्या ये डाक्टर गत चार वर्षों से समान कार्य के लिए समान वेतन और भत्ते प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त डाक्टरों की माँगों के प्रति मंत्रालय के प्रतिकूल रवैये के विरोध में प्राइवेट वार्डों में रोगियों का दाखिला बंद कर दिया गया है और 16 अप्रैल, 1978 से जनरल वार्डों और बहिरंग रोगी विभाग (ओ० पी० डी०) को भी बंद करने के लिए निर्णय लिया गया है जिससे हजारों रोगियों का जीवन खतरे में पड़ने की संभावना है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसरों, रीडरों और लैक्चरारों के, जो इस संस्था से सम्बद्ध सर सुन्दरलाल अस्पताल में भी काम करते हैं, वेतनमान वही है जो अन्य संकायों के समरूप पदों के लिए है। ये वेतनमान उन वेतनमानों से भिन्न है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। केवल आयुर्विज्ञान संकाय के शिक्षकों के लिए ही भिन्न वेतनमान निर्धारित करना सरकार के लिए संभव नहीं है। विश्वविद्यालय के सभी संकायों के अध्यापकों को भी वही वेतनमान लागू होते हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अस्पताल में भी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और उप चिकित्सा अधीक्षक हैं जिनके वेतनमान वही है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न प्रवर्गों के चिकित्सा अधिकारियों को देय हैं। जूनियर और सीनियर रेजीडेन्टों की मासिक परिलब्धियाँ उतनी ही हैं जितनी कि सरकार के प्रबंधाधीन अस्पतालों के इस स्टाफ की हैं।

जहाँ तक प्रैक्टिसबंदी भत्ते का संबंध है, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारियों को जिनका वेतनमान 700-1300 रुपये है, यह भत्ता 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिया जाता है और जिनका वेतनमान 1100-1600 रुपये है, उन्हें 300-750 रुपये प्रतिमास भत्ता दिया जाता है। केन्द्रीय

स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को भी इन्हीं दरों पर प्रैक्टिसबंदी भत्ता मिलता है, सिवाए उन कर्मचारियों के मामले में जिनका वेतनमान 1100-1800 रुपये है क्योंकि उन्हें यह भत्ता प्रतिमास 300 से 500 रुपये तक दिया जाता है। वास्तव में देय प्रैक्टिसबंदी भत्ते का हिसाब लगाते समय अवस्थाओं (स्टेजेस) में कुछ भिन्नता है। सीनियर रेजीडेन्टों को दोनों ही मामलों में समान प्रैक्टिसबन्दी भत्ता मिलता है। चिकित्सा शिक्षकों के प्रैक्टिसबंदी भत्ते में संशोधन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जब तक इस संबंध में निर्णय नहीं हो जाता, तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फैसला किया है कि इन अध्यापकों को संशोधन-पूर्व वेतनमान के आधार पर ही प्रैक्टिस-बंदी भत्ता दिया जाए अर्थात् लैक्चरारों के लिए 300 रुपये प्रतिमास, रीडरों के लिए 400 रुपये प्रतिमास और प्रोफेसरों के लिए 500 रुपये प्रतिमास।

(ग) इस संस्थान के चिकित्सा शिक्षकों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए रोगियों को स्पेशल वार्डों में दाखिला देना बंद कर दिया था। तो भी, उन्होंने आगे सीधी कार्यवाही करना स्थगित कर दिया है।

नामीबिया को नैतिक और वास्तविक सहायता

10054. **श्री सौगत राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत देशभक्त सेनाओं की नैतिक रूप से और वास्तविक रूप से सहायता में वृद्धि करेगा यदि नामीबिया के लिये कोई शान्तिपूर्ण समाधान नहीं खोजा जाता ;

(ख) यह वक्तव्य देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सोची गई नैतिक और वास्तविक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) : नामीबिया पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9 विशेष अधिवेशन में मैंने अपने वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था।

"अहिंसा, शांति तथा बातचीत के माध्यम से संघर्षों को निपटाने की अपनी परम्परा के अनुरूप हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विलम्ब की स्थिति में भी नामीबिया का प्रश्न रक्तपात और हिंसा के बिना शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाये।

लेकिन, इसके साथ ही हम उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रति भी सजग हैं जिन्होंने नामीबिया और जिम्बाब्वे के मुक्ति आंदोलनों पर सशस्त्र संघर्ष थोपा है। संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य राज्यों का यह दायित्व है कि वे अपने समस्त साधनों को जुटाकर इस बात की चेष्टा करें कि वहाँ वास्तविकता बहुमत शासन को सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता की प्रक्रिया द्रुतगति से पूर्ण हो ताकि वहाँ और रक्तपात न हो और उन लोगों को और अधिक यातनाओं तथा निराशाओं का शिकार न होना पड़े।

बातचीत द्वारा समझौते के प्रत्यक्ष मामले को खटाई में डालने या लीपापौती करने की चाल नहीं होनी चाहिए। मेरी सरकार उन सभी महलकदमियों को अपना समर्थन देगी जिनका उद्देश्य नामीबिया की जनता को पूर्ण स्वाधीनता का शांतिपूर्ण संक्रमण और रंगभेद तथा पृथग्वासन की निंदनीय प्रथाओं का पूर्ण उन्मूलन करना हो।

यदि परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। परन्तु यदि ये प्रयत्न दक्षिण अफ्रीकी शासन के हठ के कारण असफल हो जाते हैं और सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य हो जाता है तो भारत देशभक्त शक्तियों को नैतिक तथा भौतिक रूप से पूर्ण समर्थन और सहायता देता रहेगा।"

मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत का यह विश्वास है कि आत्मनिर्णय तथा वास्तविक स्वतंत्रता का नामीबियाई लोगों का अधिकार अनपहरणीय है और चूंकि हम नामीबियाई लोगों की निराशा तथा उत्पीड़न

की इस भावना से पूर्णतया सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीकी का प्राधिकार समाप्त करने के 11 वर्ष बाद भी दक्षिणी अफ्रीका वहाँ न केवल गैर कानूनी रूप से उपस्थित है बल्कि एक कठपुतली सरकार की स्थापना तथा एक नकली आतंरिक समझौते की आड़ में अपनी स्थिति वहाँ और अधिक मजबूत करने के प्रयास में है।

देशभक्त सेनाओं, अर्थात् स्वापो को भारत जो सहायता देना चाहता है, उस पर निरंतर विचार किया जाता है। अब तक भारत ने सामग्री के रूप में जो सहायता की है उसमें वस्त्र, जूते, चाय, कॉफी, दवायें, संचार उपस्कर तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में हम उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं भी देते रहे हैं। स्वापो द्वारा नामांकित व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

भविष्य में हम उन्हें क्या-क्या नैतिक तथा भौतिक सहायता देंगे यह तत्कालीन परिस्थिति की अपेक्षाओं पर तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां के एकमात्र मुक्ति आंदोलन 'स्वापो' द्वारा नामीबिया में मुक्ति संघर्ष को बनाये रखने में हमारे पूर्ण समर्थन की नीति के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा।

कुशल जनशक्ति के लिए ईरान का अनुरोध

10055. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संसदीय कार्य** तथा **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य देशों की सरकारों से उन्हें कुशल जन-शक्ति प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार को कुछ विदेशी सरकारों से भारत से कुशल श्रमिक भर्ती करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ये अनुरोध सामान्यतः भारत के उनके दूतावासों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यह मांग मुख्यतया बिजली मिस्तरियों, फिटरों, वेल्डरों बढ़ईयों और राज मिस्तरियों से सम्बन्धित है। उन देशों के दूतावासों को प्रायः श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किसी भी भर्ती अभिकरण के माध्यम से भर्ती करने की सलाह दी जाती है। सरकार-से-सरकार के आधार पर कुशल भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने के सम्बन्ध में ईरान सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।

Immunisation of Children against Diseases

10056. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the physical targets fixed for Gujarat for 1976-77 and 1977-78 for immunisation of children against tetanus, diphtheria, whooping cough and polio and mothers against jaundice and prophylaxis against blindness in children caused by Vitamin 'A' deficiency and for triple vaccine under the Maternal and Child Health Schemes ; as against the percentage targets achieved.

(b) the target fixed for the State for 1978-79 and when in what form and how much Central assistance is proposed to be provided therefor ; and

(c) whether the Gujarat Government have sought additional Central grant to the tune of Rs. 10 lakhs for Family Welfare Programme for 1977-78 and if so, whether the amount has been allocated and if so, when and how much ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Central Government have sponsored the following immunisation schemes for children and pregnant mothers ;

1. Immunisation against Diphtheria, Whooing Cough and Tetanus for children below 5 years of age. When a combined vaccine against the three diseases is used, it is called triple vaccine.
2. Immunisation against Diphtheria and Tetanus for older children. Whooing cough is not a serious problem among children above 5 years of age.
3. Immunisation against Tetanus for pregnant mothers.

There are no schemes for prevention of polio among children and jaundice among mothers sponsored by the Government of India.

The physical targets allocated to the State of Gujarat and the percentage of achievement for 1976-77 and 1977-78 are given below:—

Scheme	1976-77			1977-78		
	Annual Target	Achievement	% age of achievement	Annual Target	Achievement*	% age of achievement
1	2	3	4	5	6	7
1. Diphtheria, Whooping Cough and Tetanus (Triple immunisation) for children . .	7,00,000	2,86,625	40.9	7,00,000	4,40,000	68.7
2. Diphtheria Tetanus immunisation for children	4,00,000	3,33,100	83.3	6,00,000	4,73,996	86.2
3. Tetanus immunisation for pregnant mothers	4,00,000	1,84,765	46.2	6,00,000	2,50,283	45.5
4. Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency among children . .	8,00,000	6,23,039	77.9	16,00,000	5,05,738	31.6

*Performance upto February, 1978.

(b) Target fixed for the above Schemes are as follows:—

Diphtheria, Whooping Cough & Tetanus for immunisation of children.	Diphtheria Tetanus immunisation for children	Tetanus immunisation for pregnant mothers	Prophylaxis against blindness due to Vitamin 'A' deficiency among children
6,00,000	7,00,000	4,00,000	17,00,000

The Central Government supplies the vaccines and Vitamin 'A' solution required for the implementation of the schemes. The value of the supplies is estimated to be about Rs. 22.08 lakhs.

(c) In this regard, it may be mentioned that against an allocation of Rs. 441.60 lakhs intimated to the State Government for implementation of the Family Welfare Programme, the Government of Gujarat in March, 1978 asked for a release of 698.96 lakhs, an increase of Rs. 257.36 lakhs over the allocations intimated for 1977-78. This was examined on the basis of the various details furnished by the State Government and a total provisional grant of Rs. 505.92 lakhs an increase of Rs. 60.32 lakhs over the allocation, for 1977-78 was sanctioned during 1977-78.

Telephone connection to Moviya Village

10057. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of applications from Moviya village in Gondal Taluka in Rajkot District of Saurashtra region in Gujarat still pending for getting telephone connections from Gondal Telephone Exchange and since when these applications are pending and the reasons therefor and the names of such applicants and when telephone connections will be provided to them from the Gondal Telephone Exchange;

(b) the amount of money deposited by them and when ; and

(c) the number of telephone connections provided so far in Moviya village?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a and (b) 3 applications are pending from Moviya village for provision of telephone connections from Gondal Telephone Exchange. Details are as follows:—

Name of applicants	Since when pending	The amount deposited	Date on which deposited
1	2	3	4
1. Shri Chhagan Lal Thakursi Khunt	16-8-76	Rs. 800/-	16-8-76
2. Shri Bhikhalal Yuvraj Radadia	5-10-76	Rs. 800/-	5-10-76
3. Sarpanch Grani Panchayat	30-10-76	Rs. 800/-	30-12-76

These are long distance telephone connections and could not be provided earlier due to scarcity of line materials. It is hoped to provide these connections during the current financial year.

(c) 4.

Providing Hot Line Telephone Connections in Junagarh District

10058. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of individuals, companies and factories in Junagadh District of Gujarat provided with hot line telephone connections with number of such lines and the number of lines out of them functioning between Manavdar to Bantva and since when;

(b) the number of applications pending for hot lines connections between Manavdar to Bantva date-wise together with reasons therefor; and

(c) when these applicants are likely to get hot lines connections?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sari: (a) Point to point speech circuits provided in Junagadh District are as following:—

Individual	Nil
Companies and factories	10

Out of these only one line is working between Manavdar and Bantva since 5-1-1977.

(b) 3 applications are pending for want of stores. These applications are dated 5-3-76, 22-1-77 and 12-9-77.

(c) No specific date could be given at this stage. However, action has been initiated to procure stores for providing connections at an early date.

नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ हुई वार्ता

10059. **श्री शंकर सिंहजी बघेला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और दौरे पर आये नेपाल के प्रधान मंत्री के बीच हुए विचार-विमर्शों के क्या परिणाम रहे;

(ख) वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें दौरा करने वाले नेपाल के नेता ने भारत का सहयोग मांगा है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत-चीन संबंधी को सामान्य बनाने के बारे में दौरा करने वाले प्रधान मंत्री ने अधिक बल दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) श्री कीर्ती निधि बिष्ट की 15 से 17 अप्रैल 1978 की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों के बीच अधिकांशतः द्विपक्षीय हितों के मामलों पर वार्ता हुई । इस वार्ता का उल्लेख 17 अप्रैल, 1978 को जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति में है और इसी वार्ता के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि भारत ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिये एक बहु विषयक अधिकारी दल नेपाल भेजेगा जिनमें नेपाल के औद्योगिक विकास को संवर्धित करने के लिये भारत-नेपाल संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकें । नेपाल के प्रधान मंत्री ने उपस्कर, मशीनरी आदि खरीदने के लिये औद्योगिक ऋण और नेपाल के कृषि विकास बैंक के लिये ऋण का अनुरोध किया । द्विपक्षीय सहायता के क्षेत्र में यह सहमति हुई कि निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में करारों पर हस्ताक्षर होंगे :—

(क) कोसी अपवाह क्षेत्र में एक 15-वर्षीय भूमि एवं जल संरक्षण परियोजना;

(ख) पर्वतों के मध्य दुलालघाट-धनकुटा मार्ग का भू-सर्वेक्षण; और

(ग) नेपाल में बागवानी के विकास के लिये एक एकीकृत कार्यक्रम ।

(ग) और (घ) नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की प्रक्रिया की सराहना की। सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संवर्धित करने की भारत सरकार की नीति सर्व-विदित है ।

श्री उत्तम चन्द्र मल्होत्रा के फार्म हाऊस का पता लगाया जाना

10060. **श्री समर गुहा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा विदेशी मिशन काबुल में श्री उत्तम चन्द मल्होत्रा के उस फार्म का पता लगा सका है जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ब्रिटिश भारत से जर्मनी जाते हुए आश्रय लिया था;

(ख) क्या काबुल स्थित हमारे विदेशी मिशन ने अफगानिस्तान की मित्र सरकार की सहमति से स्वतंत्रता संग्राम के लिए नेताजी के महान क्रांतिकारी साहसिक कार्यों की याद में एक फलक लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत से बच कर निकल जाने के बाद काबुल में बहुत से घरों में ठहरे थे। इनमें से कुछ घर अब नहीं हैं। यह ज्ञात नहीं है कि वे किसी फार्म हाउस में ठहरे थे। जिस स्थान या जिन स्थानों में वे ठहरे होंगे उनके बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करने का काम जारी है।

नेताजी पर वृत्तचित्र

10061. **श्री समर गुहा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे मिशनों ने नेताजी पर श्री अशीश मुखर्जी द्वारा निर्मित वृत्त चित्र को दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई क्षेत्रों में प्रदर्शित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार को इसकी जानकारी है कि श्री आशीष मुखर्जी ने 1973 में नेताजी के जीवन वृत्त और कार्यकलापों के संबंध में "द फ्लेम बर्न्स ब्राइट" नामक वृत्त चित्र बनाया था। लेकिन भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने "नेताजी" के बारे में उपर्युक्त विषय-वस्तु पर उसी आकार का एक दूसरा वृत्त चित्र तैयार किया था जो उसी वर्ष इससे पूर्व प्रदर्शित किया गया था। इस वृत्त चित्र के प्रिंट विदेश स्थित निम्नलिखित स्थानों में हमारे मिशनों को उनके अनुरोध पर सप्लाई किये गये थे :

1. बैंगकॉक
2. दारेस्सलाम
3. जकार्ता
4. लन्दन
5. ओटावा
6. उलन बटोर
7. सूवा
8. कोलम्बो
9. काठमांडू
10. मोगादिशू
11. खुर्रमशहर
12. जेद्दा
13. मनीला
14. हेलसिंकी
15. हाँगकाँग
16. मेड्रिड

17. मेडन

18. थिम्पु

19. तोक्यो

20. लिलांग्वे

21. रंगून

22. नैरोबी

उपर्युक्त बात को ध्यान में रखकर श्री आशीष मुखर्जी की फिल्म के खरीदे जाने और वितरण किये जाने पर विचार नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे चल-डाकघर

10062. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितने चल-डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उस राज्य में वर्ष 1978 में कितने चल-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) हिमाचल प्रदेश के गांव में डाक वितरित करने में कितना समय लगता है; और

(घ) उक्त राज्य में डाक वितरित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह समय कितना कम किया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 267.

(ख) लगभग 60.

(ग) और (घ) राज्य के 16916 गांवों में से 16,823 गांवों में दैनिक डाक वितरण सेवा उपलब्ध है। शेष 93 गांवों में, जो कि बर्फ से ढके क्षेत्रों में हैं, सप्ताह में तीन बार डाक बांटी जाती है। इन गांवों को वर्ष 1978-79 के दौरान दैनिक डाक-वितरण सेवा के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

एक सामान्य नियम के तौर पर हिमाचल प्रदेश के किसी भी डाकघर में डाक पहुंचने में एक दिन से लेकर सात दिन तक का समय लगता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डाक किस स्थान पर डाक में डाली गई है और उसका गंतव्य स्थान कौनसा है। तथापि, बर्फ से ढके और दुर्गम इलाकों में स्थित शाखा डाकघरों की डाक में कभी-कभी आंधी-पानी आने की वजह से विलंब हो जाता है। शाखा डाकघरों को डाक पहुंचाने के काम में तेजी लाने के उद्देश्य से डाक लाने ले जाने की व्यवस्था का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है और ऐसे सभी प्रयास किए जाते हैं कि डाक ढोने के लिए सबसे तीव्रगामी साधन इस्तेमाल में लाया जाए।

टेलीफोन कार्यालयों द्वारा पत्रों की पावती भेजी जाना

10063. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन कार्यालय जनता से प्राप्त पत्रों की पावती नहीं भेजता है;

(ख) गत छह महीनों के दौरान, महीनेवार, उस कार्यालय में कितने पत्र प्राप्त हुये;

(ग) गत छह महीनों के दौरान, महीनेवार, कितने पत्रों की पावती भेजी गई;

(घ) उपरोक्त अवधि में कितने पत्रों पर कार्यवाही पूरी की गई और कितने पत्र कार्यवाही हेतु अभी तक लंबित पड़े हुए हैं; और

(ङ) जनता से प्राप्त पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिये दिल्ली टेलीफोन कार्यालय के कार्य में समन्वयता सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जनता से प्राप्त पत्रों पर सीधे ही उचित कार्रवाई शुरू कर दी जाती है । तथापि, जिन मामलों में कार्रवाई करने में कुछ समय लगने की संभावना रहती है, उनमें आम तौर पर पत्रों की पावती भेज दी जाती है। इसके अलावा, पब्लिक काउन्टर पर और सार्वजनिक शिकायत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से दिये गये पत्रों की पावतियाँ काउन्टर पर ही दे दी जाती हैं।

(ख) पिछले छह महीनों में जनता से प्राप्त पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

	साधारण डाक से	रजिस्ट्री डाक से	पब्लिक काउन्टर से
नवम्बर, 77	13968	3470	9891
दिसम्बर, 77	15385	5665	12205
जनवरी, 78	14455	4525	11316
फरवरी, 78	16743	9372	11858
मार्च, 78	16721	4978	13173
अप्रैल, 78	15807	4637	11842

(ग) टेलीफोन जिले में इस संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जनवरी से मार्च 1978 की तिमाही के आंकड़े, जिनकी सूचना तत्काल उपलब्ध है, इस प्रकार है :—

निपटाये गये पत्र	अनिर्णीत पत्र
112750	4059

(ङ) सतर्कता कक्ष इस बात की निगरानी रखता है कि प्राप्त हुये पत्रों पर कार्रवाई तत्परता से की जाती है या नहीं और जहां आवश्यक होता है उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में डाकघरों के अपने भवन

10064. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में, अलग-अलग, कितने डाकघरों के अपने भवन हैं और कितने किराये के भवनों में हैं;

(ख) आगामी पांच वर्षों में, वर्षवार, हिमाचल प्रदेश में डाकघरों के भवनों के निर्माण के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में, वर्षवार, हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए मकान उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) हिमाचल प्रदेश में 38 डाकघर विभागीय इमारतों में स्थित हैं और 257 डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं।

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में 20 डाकघरों की इमारतों का निर्माण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । उनके वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं:—

1978-79	2
1979-80	4
1980-81	6
1981-82	4
1982-83	4
योग	20

(ग) हिमाचल प्रदेश में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में शुरू किया जा रहा है । आशा है कि अगले पांच वर्षों में डाक-तार कर्मचारियों के लिए 120 क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा । इन 120 क्वार्टरों में से 32 क्वार्टरों का निर्माण कार्य वर्ष 1979-80 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है । बाद के वर्षों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जिला, सब डिवीजन और खंड मुख्यालयों के साथ दूर-संचार का सम्बन्ध न होना

10065. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस तथ्य से अवगत है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों को जिला, सब डिवीजन और खंड के प्रशासनिक मुख्यालयों के साथ दूर-संचार द्वारा अभी तक जोड़ा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने स्थानों को अभी तक दूर-संचार से नहीं जोड़ा गया है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष में इस मंत्रालय से धनराशि निर्धारित करके विशेषकर आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन उपलब्ध करने के लिये योजना बनाई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यह बाद में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Acquisition of Land for Nanded Telephone Exchange

10066. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether some land was acquired by the Telephone Department for the Nanded Telephone Exchange and the staff quarters vide Survey No. 93/A-Nanded of 1973;

(b) whether a notice was also served on the owner of the land for the execution of land deed after completing legal action and if so, the reasons for not making payment of compensation so far for the land since 1973; and

(c) whether an appeal demanding justice was sent to Government on th 19th April, 1978 and if so, the action taken by Government thereon?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) No, Sir. Only land acquisition proceedings were initiated, which were later cancelled.

(b) The town Development Authority has reserved major portion of the plot asked for by P & T, for the LIC and Green area. The remaining portion of land was found to be insufficient for P & T for construction of a building for an automatic exchange.

(c) An appeal dated 19-4-78 has been received. The position has been clarified to the owner through a letter dated 11th April with reference to his earlier representations. He has been advised to contact the local revenue authorities for any further clarification in the matter.

राजस्थान में अभ्रक खानों, चूना पत्थर और डोलामाईट खानों, तथा बीड़ी उद्योगों में श्रमिक

10067. **श्री एस० एस० सोमानी :** संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलावार, अभ्रक खानों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं।

(ख) राजस्थान में जिलावार, चूना पत्थर और डोलामाइट की खानों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं

(ग) बीड़ी बनाने वाले उद्योगों में घरों में बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों सहित कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ; और

(घ) पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों के कार्य करने को देखते हुए सरकार का विचार इन श्रमिकों के लिए क्या कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करने का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) (क) से (ग) : विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया हैं ;

(घ) संबंधित श्रमिकों और उन के परिवारों को चिकित्सा, मनोरंजन, शैक्षिक, आवास तथा जल आपूर्ति, सुविधाएं प्रदान करने वाली अनेक कल्याण योजनाएं इस क्षेत्र में पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। यह एक सतत कार्यक्रम होने कारण इन सुविधाओं का निधि की समग्र प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष गहन विस्तार करने के प्रयास जारी हैं ।

विवरण

अभ्रक खानें

क्रमांक	जिले का नाम	श्रमिकों की संख्या
1.	भीलवाड़ा	827
2.	अजमेर	37

चूना पत्थर और डोलोमाइट खानें

		डोला माइट	चूना पत्थर
1.	अलवर	4	123
2.	अजमेर	17	45
3.	बूंदी	—	215
4.	चित्तौड़गढ़	—	12785
5.	जयपुर	57	—
6.	जयसेलमैर	14	—
7.	झुनझुनु	36	—

1	2	3	4
8.	सवाई माधोपुर	—	1163
9.	सिकार	81	74
10.	उदयपुर	40	219
11.	डुंगरपुर	—	12
12.	कोटा	—	5848
13.	झालवाड़ा	—	—
14.	भीलवाड़ा	—	119
15.	पाली	—	97
16.	सिरोली	—	82
17.	जोधपुर	—	254
18.	नागपुर	—	153
	जोड़	249	21229

बीड़ी श्रमिक (घरों में बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों सहित)

		श्रमिक की संख्या
1.	टोंक	7000
2.	कोटा	5000
3.	अजमेर	7000
4.	बूंदी	1200
5.	सवाई माधोपुर	750
6.	चित्तोंड़ गढ़	140
7.	बीकानेर	265
8.	जोधपुर	400
9.	सिकार	19
10.	उदयपुर	9
	जोड़	22,248

जिन चूना पत्थर खानों के उत्पादन पर उपकर नहीं लगता है, वहां के श्रमिको के लिए कल्याणकारी सुविधाएं

10068. श्री एस० एस० सोमानी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन खानों के, जिनके उत्पादन पर चूना पत्थर और डोलामाईट कल्याण निधि अधिनियम, 1972 के अधीन उपकर लगता है और जिनके उत्पादन पर उपकर नहीं लगता है, श्रमिकों के बीच कोई भेद रख रही है ;

(ख) यदि नहीं तो चित्तौड़गढ़, जिले के मानपुरा, साबा निम्बाहेडा क्षेत्रों में चूना पत्थर खानों के श्रमिकों को, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है, कल्याणकारी सुविधा उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन क्षत्रों में चूनापत्थर खानों के श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कम लागत के मकानों के निर्माण, छात्रवृत्तियों की मंजूरी, फिल्मों का प्रदर्शन आदि जैसी कुछ कल्याण-सुविधा इस क्षेत्र में पहले ही उपलब्ध हैं। कुछ और सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है।

अभ्रक, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण संगठनों में नियुक्त अधिकारी

10069. श्री एस० एस० सोमानी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) अभ्रक, चूना पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण संगठनों में कितने अधिकारी नियुक्त हैं और उनके वेतनमान तथा क्षेत्राधिकार क्या हैं ?

(ख) क्या भीलवाड़ा के आयुक्त का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर क्षेत्राधिकार है ;

(ग) क्या इतने बड़े क्षेत्राधिकार को देखते हुए सरकार समझती है कि राजस्थान और गुजरात के लिए पृथक अधिकारी होना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों में कल्याणकारी कार्य की प्रभावशालिता को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा, मुख्यतः राजस्थान और गुजरात राज्यों में अभ्रक और चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खान श्रमिकों के कल्याण कार्य की देखभाल कर रहा है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में इन खानों से संबंधित बहुत कम श्रमिक हैं और इसलिए इन राज्यों के लिए एक पृथक अधिकारी को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

विवरण

क्षेत्र	पदो की संख्या	वेतनमान	क्षेत्राधिकार
करमा क्षेत्र			
1. कल्याण आयुक्त	एक	1100-1600 रु०	बिहार (चूना पत्थर और डोलो-
इन के अतिरिक्त चार कल्याण प्रशासक और एक सहायक इंजीनियर भी है । (लेखा अधिकारी का पद रिक्त है)	}	650-1200 रु०	माइट से संबंधित कार्य कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद को हस्तांतरित किया जा रहा है)
भीलवाड़ा	एक	1500-1800रु०	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब
2. कल्याण आयुक्त	(रिक्त)		और हिमाचल प्रदेश । अधिकारी
(इनके अतिरिक्त दो कल्याण प्रशासक और एक लेखा अधिकारी भी है)	}	650-1200रु०	बीड़ी श्रमिक कल्याण से संबंधित कार्य की भी देखभाल करेगा ।
कालीवेड़			
3. कल्याण आयुक्त	एक	1100-1600रु०	केवल अभ्रक के लिए आन्ध्र प्रदेश
(इनके अतिरिक्त एक कल्याण प्रशासक और एक सहायक इंजीनियर भी है)	}	650-1200 रु०	

1	2	3	4
भुवनेश्वर			
4. कल्याण आयुक्त (इनके अतिरिक्त दो कल्याण प्रशासक भी हैं।	एक	1500-1800 रु० 650-1200 रु०	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय (कल्याण आयुक्त (बीड़ी श्रमिकों, लौह अयस्क श्रमिक कल्याण कार्य भी देख रहे हैं)।
बंगलौर			
5. कल्याण आयुक्त (इनके अतिरिक्त दो कल्याण प्रशासक एक उप-कल्याण आयुक्त निजामाबाद (ए०पी)	एक	1500-2000 रु० 650-1200 रु० 1100-1600 रु०	कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल (कल्याण आयुक्त कोयला खान श्रमिक कल्याण, बीड़ी श्रमिक कल्याण, लौह अयस्क श्रमिक कल्याण कार्य भी देख रहे हैं)।
दो सहायक कल्याण आयुक्त (रिक्त पद भी हैं)		700-1300 रु०	
जबलपुर			
6. कल्याण आयुक्त (इनके अतिरिक्त दो कल्याण प्रशासक सहायक कल्याण आयुक्त भी हैं)	एक	1500-1800 रु० 650-1200 रु० 700-1300 रु०	मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गोवा (कल्याण आयुक्त कोयला खान श्रमिक और बीड़ी श्रमिक कल्याण कार्य भी देख रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में असिस्टेंट/हेड क्लर्क की परीक्षा

10070. **श्री शिव नारायण सरसूनिया**: क्या संसदीय कार्य और श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में असिस्टेंट/हैड क्लर्क की परीक्षा लेने से पूर्व यह घोषित किया गया था कि इसके परिणाम अखिल भारतीय स्तर पर घोषित किये जायेंगे;

(ख) क्या उत्तर पुस्तिकाओं को 'गुम' दिखाया गया था और केवल क्षेत्रीय स्तर पर परिणाम घोषित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और क्या सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और उसको ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क), (ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 के अनुसार इन ग्रेडों के रिक्त स्थानों में से 25% रिक्त स्थान विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं। पहली अक्टूबर, 1971 से इन विनियमों में संशोधन कर दिए जाने से पूर्व, इन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा अखिल भारतीय आधार पर की जाती थी। उसके बाद से इन परिणामों की घोषणा संशोधित विनियमों के उपबन्धों के अनुसार क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय दोनों आधारों पर की जाती है। परीक्षा की कोई उत्तर पुस्तिका गुम हुई नहीं दर्शाई गई। इस लिए, सरकार द्वारा पुनरीक्षा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता

सेन्ट्रल प्राविडेंट फंड एम्पलाईज यूनियन के विरुद्ध कथित आरोप

10071. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र के सेन्ट्रल प्राविडेंट फंड एम्पलाईज, यूनियन और एम्पलाईज प्राविडेंट फण्ड कर्मचारी संघ के पद धारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं थे परन्तु एक अधिकारी को छोड़कर जिसके विरुद्ध कदाचार/कर्तव्य का पालन न करने की शिकायतें थी । यह निर्णय लिया गया कि इस अधिकारी पर निगरानी रखी जाए । कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध जो एम्पलाइज़ प्राविडेंट फंड कर्मचारी संघ के पदाधिकारी थे, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और कदाचार/दुर्व्यवहार के लिए उन्हें आरोप-पत्र जारी किए गए ।

T.B. Hospitals

10072. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of T.B. hospitals under the Central Government and the number of such hospitals in 1976-77 and the number of those hospitals proposed to be opened in 1978-79;

(b) the expenditure incurred by the Central Government on the hospitals every year and the number of patients admitted to these hospitals in 1976-77, the number of those cured and the number of those died; and

(c) the facilities provided by the Central Government to the patients admitted to T.B. Hospitals?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Villages Without Post Offices in Bihar

†10073. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of villages in Bihar at present which have still no post offices;

(b) whether any time bound programme is to be prescribed for opening Post Offices in those villages; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Out of 67,566 villages in Bihar, 8764 have been provided with Post Offices and 6,715 have been provided with postal counter facilities through Mobile Post Offices. Thus, 52,147 villages are without Post Offices or postal counter facilities in Bihar.

(b) & (c) Post Offices are opened in the rural areas in a phased manner subject to the fulfilment of prescruibed norms. During 1978-79, it is proposed to open 175 post offices and to provide postal counter facilities to 924 villages through mobile post offices in Bihar.

विलिंगडन अस्पताल में हैल्थ विजिटर एवं हैल्थ एजुकेटर

10074. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिली विलिंगडन एवं सफदरजंग अस्पतालों में हैल्थ विजिटर एवं हैल्थ एजुकेटर का वेतनमान क्या है ;

(ख) क्या हैल्थ विजिटर का वेतनमान अधिक है और उनकी भर्ती सीधी की जाती है तथा हैल्थ विजिटरों की, जो स्वास्थ्य शिक्षा में अपेक्षित डिप्लोमा के साथ स्नातक हैं, उपेक्षा करके इस दिशा में अनुभव न रखने वाले साधारण मास्टर्स डिग्री वालों की भर्ती की जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि हैल्थ विजिटरों एवं हैल्थ एजुकेटरों द्वारा एक ही काम लिया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार हैल्थ विजिटरों में, जो काफी समय से एक ही पद पर हैं, व्याप्त बढ़ते हुए असंतोष को समाप्त करने के लिए दोनों वेतनमानों को मिलाकर एक करने का वांछनीय समझौता है,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य परिचारक का कोई पद नहीं है । इस अस्पताल में परिवार नियोजन विस्तार शिक्षक के पद का वेतनमान 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रुपये है ।

सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य परिचारक और स्वास्थ्य शिक्षक के वेतनमान इस प्रकार हैं: स्वास्थ्य परिचारक 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो० 15-560 रुपये, स्वास्थ्य शिक्षक 425-15-500-द० रो०, 15-560-20-700 रुपये ।

(ख) जी हां । स्वास्थ्य शिक्षक के पद की भर्ती के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :--

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक;

(2) स्वास्थ्य शिक्षा का डिप्लोमा, स्वास्थ्य परिचारक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव अथवा बी० एस० सी० (नर्सिंग)

स्वास्थ्य परिचारक के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं इस प्रकार हैं :—

(1) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष अर्हता।

(2) रजिस्टर्ड स्वास्थ्य परिचारक—एक वर्ष का अनुभव वांछनीय।

(ग) स्टाफ के इन दोनों पदों के कार्य तथा भर्ती के लिए निर्धारित की गई अर्हताएं भिन्न-भिन्न होने के कारण इन पदों के वेतनमानों को मिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Number of Friendship Organisations

10075. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of organisations in the country which have been formed with the objective of establishing mutual friendship with the citizens of certain foreign countries; and

(b) If so, whether Government keep watch on them and, if so, how and if not, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) The right to form associations is guaranteed as a fundamental right under the Constitution. The Government do not keep information about all organisations which may have as one of their objectives establishing mutual friendship with foreign countries and their citizens.

(b) Due precautions are observed that the organisations are not involved in activities prejudicial to national security.

धनबाद में कोयला खान कल्याण संगठन में नैमित्तिक श्रमिक

10076. **श्री ए० के० राय:** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद में कोयला खान कल्याण संगठन में दैनिक मजूरी पाने वाले और मासिक मंजूरी पाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी है, वे किस प्रकार का कार्य करते हैं और उनकी सेवा-अवधि संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनका काम स्थायी किस्म का है जहां नैमित्तिक श्रमिकों को रखने की अनुमति नहीं है और सभी नैमित्तिक श्रमिक नियमित किए जाने के लिए अपेक्षित 240 दिन की निरन्तर सेवा पूरी कर चुके हैं और यदि हां, तो उन्हें नियमित न किए जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या मासिक दर से मजूरी प्राप्त करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को ऐसे वेतनमान में रखा गया है, जो मनमाने ढंग से निर्धारित किया गया है और इस समय प्रभावी केन्द्रीय सरकार के विहित वेतनमानों में जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने विभाग में नैमित्तिक श्रमिक रखने की इस पद्धति को समाप्त करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मद्रास में पदों के लिये विज्ञापन

10077. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के बहुत से व्यक्ति प्रादेशिक समाचार-पत्रों में उनका व्यापक और पर्याप्त प्रचार न किये जाने के कारण आवेदन पत्र नहीं भेज सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीम निगम ने सूचित किया है कि इस के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, रोजगार कार्यालयों या केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है । संघ लोक सेवा आयोग उन पदों के विज्ञापन की जिम्मेदारी लेता है, जिसके संबंध में भर्ती के लिए वह उत्तरदायी है । प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के संबंध में प्रचार का प्रश्न ही नहीं उठता । सभी अन्य पद रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से चयन करके भरे जाते हैं जिसके लिए विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Consultative Committees

10078. **Dr. Ramji Singh** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether recommendations have been made recently for replacement of Consultative Committees attached to various ministries by Standing Committees;

(b) whether it is a fact that little interest is taken in attending consultative committees,

(c) the total expenditure incurred annually on all the Consultative Committees;

(d) whether, in the context of expenditure incurred on the above committees and the corresponding utility thereof, Government propose to consider the appointment of Statutory Standing Committees ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma):(a) No recommendation has been received by Government for the replacement of Consultative Committees attached to various Ministries by Standing Committees.

(b) The attendance of members at the meetings of the Consultative Committees is quite sstisfactory.

(c) Since the expenditure on these Consultative Committees is incurred by different authorities, namely, the Secretariats of both the Houses of Parliament, different Ministries/Departments of the Govt. of India, Public Undertakings, etc., it is not possible to indicate the annual expenditure that may be incurred in connection with meetings of Consultative Committees.

(d) There is no proposal at present under Government's consideration for the appointment of statutory Standing Committees to replace the Consultative Committees.

बोकारो इस्पात लिमिटेड के नगर प्रशासन विभाग में दुकानों आदि के नियतन में अनियमितताएं

10079 **श्री ए० के० राय:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान बोकारो इस्पात लिमिटेड के नगर प्रशासन विभाग में गैर-सरकारी पार्टियों की दुकानों और जमीनों के आबंटन में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और हेराफेरी की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि एक ही पार्टी को. केवल उसके नाम बदल बदल कर 15 दुकानें दे दी गई हैं जब कि हरिजनों, आदिवासियों, विस्थापितों तथा स्थानीय लोगों को छोड़ दिया गया है, विभिन्न समूह के व्यक्तियों को दुकानों के वर्तमान आबंटन के बारे में क्या ब्यौरा है।

(ग) क्या यह सच है कि टाउनशिप में शराब की दुकान खोलने के लिए मकान एवं दुकानें दी गई हैं यदि हां, तो शराब की ऐसी दुकानों की संख्या कितनी है, वे कहां-कहां पर हैं, और वे कब से चल रही हैं; और

(घ) क्या सरकार हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के नगर प्रशासन विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जांच करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बोकारो स्टील लि० के नगर प्रशासन विभाग में गैर-सरकारी पार्टियों को दुकानों और जमीनों के आबंटन में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और हेराफेरी के कोई मामले ध्यान में नहीं आए हैं ।

(ख) जी, नहीं, यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य का संकेत व्यक्तियों के किस समूह की ओर है । फिर भी, विस्थापितों को, जिनमें हरिजन भी शामिल हैं, कम कीमत की 35 दुकानें और 10 प्लाट दिए गए हैं । कम्पनी में किसी दूसरे समूह को दी गई दुकानों और प्लाटों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) बस्ती में शराब की दुकान खोलने के लिए कोई मकान नहीं दिया गया है । फिर भी, इस कार्य के लिए 8 प्लाट दिए गए थे बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए लाइसेंस दे दिए जाएं ।

इनमें से इस समय 3 प्लाटों पर शराब की दुकानें चल रही हैं, तीन दुकानें निर्माणाधीन हैं, एक बण्टिती ने शराब का काम छोड़ कर कपड़े की दुकान खोल ली है और एक बण्टिती ने अभी कोई कारोबार शुरू नहीं किया है। जो तीन दुकानों चल रही हैं उन में से एक दुकान चार वर्ष पहले और एक 2 वर्ष पहले तथा तीसरी दुकान एक वर्ष पहले खोली गई थी।

(घ) बोकारो इस्पात कारखाने के नगर प्रशासन विभाग की कोई ऐसी गतिविधि सरकार के ध्यान में नहीं आई है जिसके लिए सरकार द्वारा उसकी जांच की जाए।

समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन

10080. **श्री डी०डी० देसाई**: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) उस सम्मेलन में भारत क प्रतिनिधित्व किन व्यक्तियों ने किया था;

(ग) सम्मेलन के लिए एक गैर प्रतिनिधि को चेयरमैन चुने जाने के क्या कारण थे;

(घ) सम्मेलन में यदि कोई निर्णय किया गया है और निर्णय की दिशा में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है;

(ङ) सम्मेलन में भारत ने क्या योगदान दिया है;

(च) क्या सम्मेलन में प्रादेशिक जल की 200 मील की सीमा स्वीकार कर ली गई थी; और

(छ) यदि नहीं, तो उसका भारत की अपनी प्रादेशिक जल सीमा की घोषणा पर क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जी हां। इस सम्मेलन का सातवां अधिवेशन 28 मार्च, 1978 को शुरू होगा और 19 मई 1978 तक चलेगा।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता विदेश राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुन्डू है और इसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार श्री एस० पी० जगोता और रक्षा मंत्रालय, खान विभाग और विदेश मंत्रालय के 7 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

(ग) राजदूत अमरसिंह को शुरू से ही सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था जब वे समुद्र-कानून सम्मेलन में श्री लंका के प्रतिनिधिमंडल के नेता थे। सातवें अधिवेशन में वे श्री लंका के प्रतिनिधिमंडल में सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। लेकिन सम्मेलन ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि वे चाहे श्री लंका के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य न भी हो तो भी उन्हें अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहना चाहिये।

(घ) इस सम्मेलन में अब तक इन बातों पर सहमति हो चुकी है 12 मील का प्रादेशिक समुद्र 24 मील का संलग्न क्षेत्र, 200 मील का आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय सीमा के बाहरी किनारे तक अथवा 200 मील तक, दोनों में जो भी अधिक हो विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और समुद्री दूषण को रोकने और इसने नियंत्रण संबंधी प्रशासन में भी काफी सहमति हुई है। लेकिन, सम्मेलन में अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के संदोहन से सम्बन्द्ध समस्याओं पर अभी सहमती होनी है। छठे अधिवेशन के अन्त में अध्यक्ष ने विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के परामर्श से एक अनौपचारिक संशलिष्ट वार्ता-पाठ प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न विषयों पर हुई सहमति सम्मिलित की गई है और इस बात की संभावना है कि इसी के आधार पर एक नया समुद्र कानून अभिसमय सम्पन्न होगा।

(ङ) ऊपर बताए गए कई विषयों पर सहमति पर पहुंचने में भारत ने सम्मेलन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के संसाधनों से सम्बद्ध प्रश्न पर भारत 77 के दल के सदस्य के रूप में विभिन्न सूत्रों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । जिसमें विकासशील और प्रौद्योगिक रूप से विकसित, दोनों प्रकार के देशों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

(च) जी, नहीं, । सम्मेलन के केवल 12 मील की प्रादेशिक समुद्र सीमा स्वीकार की है ।

(छ) भारत ने अपने समुद्र क्षेत्र अधिनियम 1976 के अन्तर्गत केवल 12 मील का प्रादेशिक समुद्र और 200 मील का आर्थिक क्षेत्र घोषित किया है।

Adulteration in Spices

10081. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the cases of adulteration in spices;

(b) if so, the State-wise details of such cases in 1977-78 and comparative details thereof in 1976-77; and

(c) the action proposed to be taken by Government to provide more stringent punishment for these crimes with a view to prevent adulteration ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav : (a) and (b) The position is being ascertained from the State Governments. A comparative statement will be laid on the Table of the House as soon as details are received from various States.

(e) The Government have already amended various provisions of the Prevention of Food Adulteration Act with a view to enable courts to award detergent punishment to those who indulge in adulteration of food articles.

Vacant Posts of Junior Scale Labour Officers

10082. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) Whether 22 posts of Junior Scale Labour Officers lying vacant since 1975 have not been filled so far;

(b) Whether 22 such officers have not been confirmed by the Ministry even after com pletion of 12 years of service, and

(c) If so, action being taken in the matter ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) As on 1st April, 1978 there were 40 vacancies in the post of Junior Scale Labour Officers. The vacancies have been in existence for varying periods. Of tlese 5 posts are vacant since 1975.

(b) & (c) Action is being taken for processing the cases of all eligible officers for confirmation. These include tlie cases of six officeis who have completed a service of 1 2 years or more.

Gold, Silver and Copper Mined during last Two years

10083. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of gold, silver and copper mined during the past two years; the quantity utilized in the country and exported and the amount of foreign exchange earned thereby; and

(b) the percentage content of gold and silver in the ores mined; the expenditure incurred in processing/refining them and the amount of profits accruing to Government ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Quantity of gold, silver and copper produced from ores mined in the country during the past two years is furnished below :—

	1976-77	1977-78
1. Gold (Kg)	3,119.72	2,999.13
2. Silver (Kg)	611.58	12,691.45
3. Copper (tonnes)	2.424	21,446

Out of the above, quantity of silver exported is as follows :—

Year	Quantity exported	Foreign Exchange earned
	(Kg)	(US $—Lakhs)
1976-77	2,485.41	3.88
1977-78	13,000.62	19.73

The remaining quantity of silver and all the copper and gold produced were utilised in the country.

(b) The content of gold in the gold ores mined by the Bharat Gold Mines Limited (Central Government undertaking) and Hutti Gold Minses Company Ltd. (State Government Company of Government of Karnataka) have been as below :—

	1976-77	1977-78
	(gms/tonnes)	(gms/tonnes
Bharat Gold Mines Limited (B.G.M.L.)	5.71	5.21
Hutti Gold Mines Company Limited (H.G.M.L.)	6.3	7.8

Gold is also obtained as by-product in copper mines occurring in traces only. Silver is obtained only as a by-product in lead, zinc, copper and gold mines occurring in very small quantities.

The expenditure incurred in processing/refining of gold in the gold mines during 1976-77 was Rs. 47.34 per gm. at B.G.M.L. and Rs. 46.93 per gm. in H.G.M.L. During 1976-77 B.G.M.L. incurred a net loss of Rs.134.34 lakhs whereas H.G.M.L. made a net profit of Rs. 21.69 lakhs.

Cost incurred and profits made in production and sale of by-product gold and silver are not maintained separately.

Uranium Mines in the Country

10084. **Shri Dayaram Shakya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of uranium mines in the country and the quantity of uranium extracted from them annually; and

(b) whether the uranium requirements of the country can be met out of this quantity and if so, the reasons for which uranium is imported from U.S.A. ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik):(a) It isn ot in the public interest to disclose the number of uranium minesfor the figures of production of uranium in the country.

(b) The present Uranium production in the country is sufficient for the first unit of the Rajasthan Atomic Power Station and for the other pressurised heavy water reactors presently under construction in the country. The Tarapur Atomic Power Station is the only nuclear power station in India which needs ernriched uranium for its operation. Enriched Uranium is not produced in India and has to be imported from the USA under the agreement for cooperation existing between Government of the United States of America and the Government of India.

पश्चिम एशियाई देशों को गये व्यक्तियों की संख्या

10085. **श्री जी० एस०रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में रोजगार के लिये कितने व्यक्तियों को पश्चिम एशियाई देशों को जाने की अनुमति दी गई; और

(ख) आंध्र प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) 1977 और 1978 (अप्रेल के अंत तक) डाक्टर, इंजीनियर आदि जैसे 1636 विशेषज्ञ सरकार से सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अरब देशों में और ईरान में नियोजन के लिए चुने गए थे । इन उम्मीदवारों के नामों का प्रस्ताव कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने किया था । 1977 और 1978 (मार्च के अंत तक) में श्रम मंत्रालय ने इन्हीं देशों में विदेशी नियोजकों द्वारा नियोजन के लिए 28,544 भारतीय श्रमिकों के चयन का अनुमोदन किया था और 25,942 भारतीय श्रमिकों को इन देशों में भारतीय कम्पनी द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं के लिए चुना था। रोजगार के लिए जितने लोग वास्तव में इन देशों में गए उनकी ठीक ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) इन देशों में जाने वाले भारतीय का कोई राज्यवार विवरण नहीं रखा जाता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की कार्यप्रणाली

10086. **श्री पो०जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा इसके कार्यकलापों को युक्तिसंगत करने एवं उनमें सुधार करने के उद्देश्य से श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है और यदि हां, तो कब;

(ग) उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है; और

(ङ) सरकार का विचार इन सिफारिशों को किस प्रकार से और कब क्रियान्वित करने का है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने दिसम्बर, 1977 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी ।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के काम के संबंध में इस समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे लिखे अनुसार है :

(1) विदेशों में अपनी संस्कृति को संवर्धित करने से संबद्ध सरकारी गतिविधियों को क्रियान्वित करने का काम मुख्यत: परिषद् के माध्यम से ही किया जाना चाहिये।

(2) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा किये जा रहे इस काम में कुछ सुप्रसिद्ध गैर-सरकारी सांस्कृतिक एजेंसियों को भी संबद्ध किया जाना चाहिये।

(3) क्षेत्र विशिष्टीकरण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये और इस काम में रत विश्व-विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क रखा जाना चाहिये ।

(4) परिषद् को विशेषज्ञ सलाहकार तथा परामर्श देने वाले ग्रुपों का गठन करना चाहिये जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विषय, वस्तु तथा उनके कार्यान्वयन दोनों के बारे में परामर्श दें।

(5) परिषद् के कर्मचारियों के आवास, पेंशन, पदोन्नति सम्भावनाओं तथा उनको इस प्रकार के दिये जा रहे ऐसे अन्य लाभों के बारे में स्थिति पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा उन्हें तर्कसंगत बताया जाना चाहिये ।

(घ) तथा (ङ) इस समिति की सिफारिशों पर अभी भी सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

संवर्ग-बाह्य पदों पर नियुक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी

10087. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अनेक अधिकारी संवर्ग-बाह्य पदों पर नियुक्त हैं और दस वर्ष से भी अधिक समय से अवर सचिव के पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को पदोन्नति के कोई अवसर प्राप्त हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विदेश सेवा के नियमित संवर्ग में उक्त अधिकारियों के प्रवेश के लिए आवश्यक भर्ती नियम बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) विदेश मंत्रालय में श्रेणी 1 के अनेक अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (क) और (ख) के संवर्गों से इतर पदों पर काम कर रहे हैं परन्तु उनमें से कोई भी अधिकारी अवर सचिव के पद पर एक दशाब्द से अधिक समय से कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) ऐतिहासिक प्रभाग और विधि एवं संधि प्रभाग जैसे प्रभागों में अधिकारियों के अपने विभागीय पदानुक्रम में पदोन्नति के अवसर विद्यमान हैं । परन्तु ऐसा सभी अधिकारियों के लिए नहीं है।

(ग) और (घ) भारतीय विदेश सेवा [शाखा (ख)] भर्ती संवर्ग, वरीयता और पदोन्नति नियमावली 1964 में किये गये संशोधन के अनुसार सामान्य संवर्ग के वर्ग 1 में किसी भी रिक्ति को अपवाद स्वरूप और जनहित में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विदेश मंत्रालय में ग्रुप (क) के संवर्ग-बाह्य स्थायी पद पर कार्य करने वाले अधिकारी की नियुक्ति करके भरा जा सकता है । लेकिन इस संशोधन के संबंध में क्रियाविधि संबंधी ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप देना है ।

विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की संख्या

10088. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों, उनकी राजधानियों तथ अन्य महानगरों के नाम क्या हैं जहां 1 अप्रैल, 1978 को एक अथवा अन्य प्रकार के भारतीय राजनयिक मिशन स्थित हैं;

(ख) क्या 1978-79 के दौरान इनमें से कोई मिशन बन्द किये जाने हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त देशों में अथवा विश्व के अन्य देशों में वर्ष 1978-79 के दौरान नया/अतिरिक्त मिशन खोला जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कहां-कहां तथा कितने ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) सदन के मेज पर वक्तव्य रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० /2343/78]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) जिन देशों में भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां नए मिशन खोलने के प्रश्न पर राजनीतिक, आर्थिक और अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विचार किया जाता है।

Construction of Working Women's Hostels by IRCS

10089. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given approval for assistance for the construction of working women's hostels by the Indian Red Cross Society;

(b) if so, the details of the scheme in this regard; and

(c) the total expenditure involved thereon and the places where these hostels will be built ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shir Jagdambi Prasad Yadav)

(a) The headquarters of the Indian Red Cross Society has not taken up any project relating to construction of working women's hostels.

(b) and (c) Do not arise.

Working Knowledge of Hindi

10090. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Ministry, category-wise and number of these among them who possess working knowledge of Hindi or have acquired proficiency therein;

(b) the number of those employees among them who are doing noting and drafting in Hindi at present;

(c) the reasons for not doing noting and drafting in Hindi by rest of them; and

(d) whether orders have been given to such employees for doing noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) A statement is attached.

(b) & (c) All officers and employees having proficiency in Hindi having now started writing some of their notes and drafts in Hindi. Officers and employees having only working knowledge of Hindi are not doing their noting and drafting in Hindi as according to the existing rules on the subject they are free to use either English or Hindi in their official work.

(d) Yes.

Statement

Category of Officers	Ministry of Health and Family Welfare		Dte. General of Health Services	
	Total No.	Those having knowledge of Hindi	Total Number	Those having working knowledge of Hindi
1	2	3	4	5
Class I	87	57 (25 Administrative & 32 Technical)	52	23
Class II	314	232	174	90
Class III	455	411	416	202
Total :	856	700	642	315

Hindi Knowing Staff

10091. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of sections in the Ministry/Department at present and the number of sections agmong them having more than 80 per cent Hindi knowing staff;

(b) the total numbet of Sections doing noting and drafting in Hindi at present together with the reasons for not doing so by rest of them; and

(c) whether clear instructions have been issued to all the sections to do noting and drafting in Hindi and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in The Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Out of a total of 66 Sections 47 Sections have 80 per cent of staff having working knowledge of Hindi.

(b) 3 Sections are conducting their entire work in Hindi only while the rest are using Hindi partially.

(c) Yes.

Meeting of Language Implementation Committee

*10092. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Official Language Implementation Committee has been constituted in the Ministry;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions, out of them, fully implemented; and

(d) the reasons for delay in fully implementing the remaining decisions ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Yes, Sir.

(b) During the year 1977 the two meetings of Official Language Implementation Committee were held on 27th June, 1977 and 15th December, 1977. The decisions taken in these two meetings were :—

(i) The creation of training reserve posts to facilitate training in Hindi.

(ii) To compile a list of the employees who are yet to be trained in Hindi.

(iii) Supply of Hindi typewriters to Indian Missions abroad.

(iv) To increase the use of Hindi in routine official work in all Sections and Missions abroad.

(v) To supply bilingual stationeries.

(vi) To bring to the notice of all Sections the salient features of the Official Language Rules, 1976.

(vii) To provide additional staff and equipment to increase the use of Hindi in Regional Passport Offices situated in Hindi speaking areas.

(viii) Creation of five more posts of Hindi stenographers to provide assistance to officers so that they may start working in Hindi.

(ix) Supply of Hindi help literature to all Sections and Missions abroad.

(x) Creation of suitable post for vetting the Hindi text of International Treaties and Agreements.

(c) & (d) All the decisions taken in these meetings have been implemented except the decisions where creation of posts are involved and necessary action in this regard is being taken. Creation of five more posts of Hindi stenographers in the Ministry is also under active consideration. However, in order to econcourage the use of Hindi at a higher level; a Hindi PA has been posted to assist senior officers.

Hindi Knowing Typists and Stenographers in the Ministry

*10093. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of typists and Stenographers trained in Hindi typing and stenography, respectively, in the Ministry/Department at present;

(b) the number of typists and stenographers among them whose services are fully utilised for Hindi work;

(c) the reasons for non-utilisation of services of rest of them; and

(d) whether any scheme has been formulated for the utilisation of their services and if so, the details thereof ?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of Lok Sabha.

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की नीति में परिवर्तन

10094. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या विदेश मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की नीति में परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी को नई दिल्ली में कितनी अवधि तक नियुक्त किया जाता है; और

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा के बहुत से अधिकारी एक मिशन से दूसरे मिशन में नियुक्ति करा लेते हैं और नई दिल्ली में अपनी नियुक्ति नहीं होने देते ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी की मुख्यालय में सामान्य कार्यविधि 2 से 3 वर्ष की होती है यह अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है जो सेवा की आवश्यकता पर निर्भर करती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि अधिकांश वर्गों में विदेशों में पदों की संख्या मुख्यालय के उसी वर्ग के पदों की संख्या के अनुपात में दुगुनी है, इसीलिए प्रशासनिक रूप से यह संभव नहीं है कि किसी अधिकारी के विदेश में कार्य करने के बाद उसका स्थानांतरण हर बार मुख्यालय में किया जाए । लेकिन सामान्य रूप से विदेशों में स्थानांतरित होने के बाद अधिकारियों को समय-समय पर मंत्रालय में बुलाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है ।

टेलीफोन उद्योग की स्थापना

10095. श्री सुखेन्द्र सिंह :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने के लिये स्थल चुनने के बारे में अपनाई जाने वाली कसौटी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में टेलीफोन उद्योग स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उनके स्थान के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) टेलीफोन उपस्कर तैयार करने वाले प्रस्तावित एककों के लिए स्थानों का चुनाव करने के लिए जो मापदण्ड रखा गया है वह नीचे लिखे अनुसार है :

(1) प्रशिक्षित, कुशल और अर्द्ध कुशल कामगरों का सुलभ होना।

(2) कारखाने से कच्चे और तैयार माल को रेल या सड़क परिवहन द्वारा लाने ले जाने की सहूलियत और कामगरों के आने जाने की सुविधा।

(3) उपयुक्त जमीन और पर्याप्त मात्रा में पानी व बिजली की निश्चित आपूर्ति (सप्लाई)।

(4) सहायक कारखाने लगाए जाने की संभावना।

(5) कामगरों और कर्मचारि वर्ग के लिए आवास और अन्य सुविधाएं।

(6) उपयुक्त जलवायु—नितान्त गर्म या ठण्डे और धूल भरी जलवायु से बचाव की जरूरत है।

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान, तीन नये कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है । इनमें टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए दो स्विचिंग कारखाने और लम्बी दूरी पारेषण उपस्कर के उत्पादन के लिए एक पारेषण कारखाना।

(ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नये एककों के लिए स्थान तय करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

कम क्षमता का उपयोग कर रहे छोटे इस्पात संयंत्र

10096. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कितने छोटे इस्पात संयंत्रों ने काफी कम क्षमता का उपयोग किया तथा इस अवधि में इन संयंत्रों में कुल कितनी क्षमता उपयुक्त रही;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने छोटे इस्पात संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इन संयंत्रों में पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही इकाइयों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	कार्य कर रही इकाइयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	5
बिहार	6
दिल्ली	1
गुजरात	3
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	9
केरल	1
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	23
पंजाब	8
राजस्थान	7
तमिल नाडु	3
उत्तर प्रदेश	19
पश्चिम बंगाल	18
कुल	124

(ग) छोटे इस्पात कारखानों द्वारा पूरी क्षमता का उपयोग विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे प्रबन्धकों की कार्यकुशलता, बिजली और स्क्रैप जैसी मूल कच्ची सामग्री की उपलब्धि, उत्पादन लागत आदि । इन इकाइयों की अर्थ-क्षमता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) पिण्डों/बेलित उत्पादों के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया गया है :—

(2) मेल्टिंग स्क्रैप पर आयात-शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

(3) दो लाख टन फैरस मेल्टिंग स्क्रैप आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(4) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त की गई हैवी मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर से उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

(5) छोटे इस्पात कारखानों को मिश्र-इस्पात की कुछ श्रेणियो के मिश्र इस्पात तैयार करने की अनुमति दी गई है । कुछ चुने हुए छोटे इस्पात कारखानों की अपनी अर्थ-क्षमता में सुधार लाने के लिए बेलन सुविधाएं लगाने की अनुमति दी जाए।

(6) वित्तीय संस्थानों द्वारा चुने हुए छोटे इस्पात संयंत्रों को वित्तीय सहायता देने के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

(7) देशीय स्त्रोतों से आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का आयात करने की अनुमति दे दी गई है ।

नर्सिंग कार्य में अनुसंधान

10097. **श्री एस०आर० दामाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किये जा रहे "नर्सिंग कार्य में अनुसंधान" कार्यक्रम के अधीन किये जा रहे अनुसंधान की जानकारी है;

(ख) क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली तथा ग्रामीण केन्द्रों में प्रशिक्षित नर्सें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अधिक पसंद करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रशिक्षण के लिये शहरों की अपेक्षा नर्सों के लिए ग्रामीण केन्द्रों में प्रशिक्षण के अवसर उत्पन्न करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि इस संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु सामान्य धारणा यह है कि नर्सें भले ही वे ग्रामीण इलाकों की रहने वाली हों, शहरी इलाकों में कार्य करने को तरजीह देती है ।

(ग) नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-केन्द्रों के रूप में पहले से ही विद्यमान हैं । प्रशिक्षण पा रही नर्सिंग छात्राओं को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ता है । तथापि ग्रामीण इलाकों में रिहायशी मकानों की कमी के कारण उनमें से अधिकांश को प्रतिदिन ग्रामीण इलाकों में आना-जाना पड़ता है ।

बलुआ पत्थर और सेलखड़ी की खानों के श्रमिक

10098. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बलुवा पत्थर की खानों में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं ;

(ख) क्या इन श्रमिकों का शोषण किया जाता है तथा ये अत्यन्त उपेक्षित हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस श्रेणी के कर्मचारियों को किस प्रकार सुरक्षा करने तथा इनके लिये मुफ्त चिकित्सा, पेय जल और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करके कुछ रचनात्मक कल्याण कार्य करने का विचार है; और

(घ) बलुवा पत्थर, सिलखड़ी और अन्य खानों के श्रमिकों के लिये, जिन पर कोई कल्याणकारी विधान लागू नहीं होता, सरकार का कब विधेयक लाने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) 1976 के संबंध में प्राप्त हुई विवरणियों के अनुसार बलुआ पत्थर खानों में नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या 77 है ।

(ख), (ग) और (घ) ऐसी खानों को छोड़कर, जिनके लिये विशिष्ट निधियां स्थापित हैं, अन्य खानों में नियोजित सभी श्रमिकों के लिये एक सांझी कल्याण निधि स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बोकारो स्टील लिमिटेड के कामगारों को प्रोत्साहन

10099. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने बोकारो स्टील लिमिटेड के कामगारों को भिलाई स्टील प्लांट के समान प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या बोकारो में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर भिलाई की दर से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक तथा तार विभाग में क्षेत्रवार विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या

10100. **श्री वसन्त साठे** :

श्री पायस टिर्की :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 तक डाक तथा तार विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी थी और 31 मार्च, 1878 तक ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों के संगठन/संघ ने जनता सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन कर्मचारियों की मुख्य मांगों को पूरा करने तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थायी पदों पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है । करने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से लाभान्वित हुए कर्मचारियों की संख्या तथा विचाराधीन मांगों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 31-3-77 को विभागेत्तर कर्मचारियों की सर्किलवार संख्या प्रदर्शित करने वाला एक विवरण पत्र अनुबन्ध-1 के रूप में संलग्न है । 31-3-78 की सूचना अभी संकलित की जानी है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 2344/78]

(ख) विभागेत्तर एजेंटों ने अपना एक ज्ञापन सितम्बर, 1977 में प्रस्तुत किया था, जिसमें 24 मांगें निहित हैं ।

(ग) से (ङ) इस उत्तर के साथ अनुबन्ध-II के रूप में एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगें और तत्संबंधी स्थिति दिखाई गई है ।

वनों वाले गांवों में श्रमिकों से मुफत काम करवाने की प्रथा को समाप्त करना

10101. **श्री के० प्रधानी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में वनों वाले गांवों में श्रमिकों से मुफ्त काम करवाने की विद्यमान प्रथा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो बंधुआ श्रम पद्धति श्रम की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए वनों वाले ग्रामों के श्रमिकों को मुफ्त काम करवाने की इस प्रथा से मुक्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) जी नहीं । ऐसी कोई प्रथा श्रम मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों से अनुरोध किया गया है है और वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिये बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कदम उठा रही है । मुक्त कराये गये बंधित श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास हेतु मार्गदर्शी हिदायतें भी जारी की गई हैं ।

Destruction of Hindu Temple in U.S.A.

10102. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in this 'Nav Bharat Times" dated the 5th April, 1978 under the caption "America men Onkar Hindu Mandir agnikand men dhwast" (Onkar Hindu Temple in United States of America destroyed in fire);

(b) whether this destruction was done by American citizens by way of malice; and

(c) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Government have seen reports to the effect that the Onkar Hindu temple was destroyed by fire;

(b) & (c) According to first reports received by our Consulate General, it is believed that burglars broke into the temple and finding nothing valuable set it on fire out of frustration. The Secretary of the Sanatan Dharma, who runs the temple, has ruled out racial, religious or ethnic prejudice as a cause of the fire. However, Police are reported to be investigating the cause.

Increase in Expenditure on Indian Embassies

10103. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the expenditure on Indian Embassies abroad is increasing every year and the major portion thereof is incurred on hospitality;

(b) if so, the increase registered in expenditure during the last 3 years ending March, 1978;

(c) the expenditure incurred on setting up new embassies; and

(d) whether Government propose to effect economy in this expenditure and if so, the details thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) There is an increase in the expenditure on Indian Embassies abroad, but it is not on hospitality. The increase in expenditure from year to year is due to the global phenomenon of inflation necessitating upward revision of allowances, pay-scales of local staff, rents of office and residential buildings, etc.

(b) A statement showing the increase registered in expenditure during the last three years ending March, 1978 is placed on the Table of the House.

(c) A statement showing expenditure incurred on setting up new Embassies is placed on the Table of the House.

(d) Broadly, the main features of the economy measures being enforced on a continuing basis are as follows :—

(i) non-filling up of posts which remained vacant for six months, as far as possible.

(ii) keeping posts in abeyance on the basis of the recommendations of the Foreign Service Inspectors from time to time.

(iii) 5% cut in the foreign allowance of India-based personnel serving abroad;

(iv) Strict control over local contingencies.

Statement

Expenditure incurred on new Missions/Posts opened in 1975-76 and onwards

Name of Missions/Posts	1975-76	1976-77	1977-78
	(In thousands of rupees)		
Lisbon	2,25	16,43	14,79
Meputo	5,20	5,14	9,44
Kingston	10,68	7,86	8,12
Port Said .	23	6,51	7,10
Phuntsholing .	61	1,27	1,53
Chicago .		6,35	15,92
Male .		84	1,92
Toronto .		3,20	4,50
Surinam .	..	..	5,55
Total	18,97	47,60	68,87

Statement

Actual expenditure incurred on Indian Missions & Posts Abroad during 1974-75 to 1976-77 and Final Grant for 1977-78

Years	Actual expenditure Incurred	Increase in expenditure over the previous year
	(In thousands of rupees)	
1974-75	17,51,62	
1975-76	21,07,65	3,56,03
1976-77	21,99,45	91,80
1977-78	25,59,04	3,59,59

Note : The above figures are exclusive of expenditure on Supply Wings at London and Washington, which came under the budgetary control of this Ministry from 1976-77. Their expenditure is given below :—

1976-77	1,41,94 (thousand)
1977-78 (Final Grant)	1,75,65 (,,)

Shortage of Doctors and Hospitals

10104. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether there is much shortage of Homeopathic, Ayurvedic and Unani doctors and hospitals in 15 eastern Districts of Uttar Pradesh with the result that people are compelled to incur more expenditure on Allopathic medicines; and

(b) if so, number of these hospitals in these Districts as on 31st March, 1978, District-wise and whether the Central Government propose to provide the facility of such doctors/ hospitals under Central Sponsored Scheme and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Dak Sent Through Q.M.S.

10105. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the 'Dak' addressed to State Capitals bearing pin code numbers is sent through Q.M.S.

(b) if so, the minimum and maximum time taken therein; and

(c) the time by which Q.M.S. is proposed to be made available by Government to other major cities in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasadi Sai): (a) All Pin coded articles posted in special QMS letter boxes and offered at the counter of Post Offices and mail offices for state capitals are despatched through Q.M.S.

(b) According to Departmental norms, the minimum and maximum time is 2 to 5 days depending on the distance involved and the modes of transmission.

(c) At present, there are 45 cities in the National Q.M.S. Additionally 407 centres are covered by the Regional networks. Extension of the Q.M.S. is a continuous process and the service will be extended to other stations as and where justified.

तैयार लोहे का निर्यात

10106. **श्री जो०वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात निर्यात कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार लोहे का भी निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को कितनी-कितनी मात्रा में तैयार लोहे का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया गुण्डा) : (क) संभवतः 'तैयार लोहे' से अभिप्राय केवल कच्चे लोहे से है । भारत से कच्चा लोहा निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) वर्ष 1977-78 में कच्चे लोहे का देशवार निर्यात संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

(ग) वर्ष 1977-78 में निर्यात की गई मात्रा का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य अस्थायी तौर पर 44.13 करोड़ रुपये है ।

विवरण

देश	निर्यात की गई मात्रा (हजार टन)
1	2
1. बंगला देश	29.3
2. चीन	21.00
3. इंडोनेशिया	21 4
4. ईराक	00.10
5. इटली	11.6
6. जापान	247.5
7. कीनिया	नगण्य
8. कोरिया	15
9. फिलीपीन	29.6
10. रूमानिया	10
11. सिंगापुर	54.3
12. ताईवान	23.5
13. थाईलैंड	20.3
14. रूस	194.6
15. वेनजवेला	20.7
जोड़	698.9

आंकड़े सैकड़ों में दिये गये हैं ।

टैलीफोन तथा तार विभाग का विकेन्द्रीकरण

10107. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टैलीफोन तथा तार विभाग के कार्यकरण में सुधार करने के लिये इसके कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस नये ढांचे के बारे में विचार किया गया है उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी वर्तमान प्रगति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) देश से दूरसंचार सेवाओं का संचालन डाक-तार बोर्ड के नियंत्रण के अधीन काम करने वाली स्वतन्त्र क्षेत्रीय यूनिटें करती हैं । क्षेत्रीय यूनिटों को अधिक से अधिक शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है । क्षेत्रीय यूनिटों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इस व्यवस्था से क्षेत्रीय यूनिटें कुछ अधिक सीमा तक स्वतन्त्र निर्णय ले सकेंगी।

सीरिया के राष्ट्रपति से हुआ विचार विमर्श

10108. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दौरा करने वाले सीरिया के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इसराइल और सीरिया के सम्बन्धों के बारे में भी चर्चा की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) सीरियाई अरब गणराज्य के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ तथा वह अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ । सीरिया के राष्ट्रपति की भारत-यात्रा के दौरान भारत-सीरियाई व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए । भारत व्यावसायिक तथा तकनीकी कार्मिक भेजने और फोस्फेट खनन, रेलवे, वस्त्र उद्योग, औद्योगिक बस्तियों के निर्माण, आवास परिसर और संयुक्त औद्योगिक उद्यमों के क्षेत्र में व्यापार एवं सहयोग बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने पर सहमत हुआ ।

पश्चिम एशिया के बारे में हुई बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि न्यायसंगत और स्थायी शांति सिर्फ उसी आधार पर स्थापित हो सकती है जबकि इजराइल द्वारा 1967 के बाद से अपने कब्जे में किये अरब क्षेत्रों को वापस कर दिया जाये और फिलीस्तीनी अरब लोगों को उनके अविच्छेदय अधिकारों फिर से दिलाये जायें ।

Variation of Wages in States for Men and Women

10109. **Shri Anant Ram Jaiswal** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that various State Government Departments have fixed different wages for male and female workers which is against the right to equality;

(b) if so, the names of such Departments State-wise;

(c) whether Government are considering some legal measures to bring about uni - formity in male and female workers wages; and

(d) whether a committee is proposed to be constituted to go into this problem and if so, the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) to (c) Before the enactment of the Equal Remuneration Ordinance, 1975, which was replaced by the Equal Remuneration Act, 1976, some State Governments had, in certain employments, fixed different wages for male and female workes. After the passing of the Equal Remuneration Act, equal wages have to be paid to men and women workers doing the same or similar work in respect of employments notified under that Act; and any clause contained in any law, award, agreement or contract of service which is contraary to the provisions of the Act, shall have no effect.

(d) Does not arise.

Banning of Child Labour in Unorganised Sector

*10110. **Shri Anant Ram Jaiswal** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether he is aware that child labourers are working in a large number in various firms and unorganised industrial sectors;

(b) if so, whether Government have enacted any legislation to bank employment of children below the prescribed age limit; and

(c) if so the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour) Shri Ravindra Varma): (a) According to the 1971 census, the total number of child workers below the age of 15 years was 10.74 million.

(b) and (c) : Employment of children is regulated or prohibited under various enactments, as under :—

Name of the Act	Applies to employment of child worker below the age of
1. The Children (Pledging of Labour) Act, 1933 .	15 years
2. The Employment of Children Act, 1938 . . .	15 years
3. The Factories Act, 1948 . . .	14 years
4. The Plantations Labour Act, 1951 . . .	12 years
5. The Mines Act, 1952 . . .	15 years
6. The Motor Transport Workers Act, 1961 . . .	15 years
7. The Indian Merchant Shipping Act, 1958 . . .	15 years
8. The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966	14 years
9. The Apprentices Act, 1961	14 years
10. Shops and Establishments Act	12 to 14 years in different States.
11. The Atomic Energy Act, 1962 (Radiation Protection Rules, 1971)	18 years except when they are permitted by the competent authorities

Setting up of Employment Exchanges for women

10111. **Shri Anant Ram Jaiswal** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether he is aware that educated unemployed women seeking employment have to encounter great difficulty in getting themselves registered with the Employment Exchanges in the absence of separate such exchanges for them;

(b) if so, whether any Employment Exchange has been set up by Government for exclusive registration of women seeking employment and if so, the details and if not, the reasons therefoe ; and

(c) whether Government have under consideration any proposal to set up an Employment Exchange with women staff only where the educated women seeking employment will be able to get themselves registered and if so, the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Such complaints have not been received. Instructions have been issued to the Employment Exchange for providing the following special facilities to women registrants :—

(i) women applicants should be registered by an officer ;

(ii) a separate record of registration and vacancies notified exclusively for women applicants should be maintained ;

(iii) registration cards of women applicants should be filled separately to facilitate their submission against vacancies earmarked for women as well as against general vacancies ; and

(iv) Employment Officers should visit training institutions for women and other centers in their area to give necessary informaton regarding employment opportunities and also to register those who pass out of these training institutions.

(b) No such employment exchange has been set up. The ultimate object of registration is to be provide suitable employment to men and women applicants, comensurate with their qualifications, experience etc.

(c) There is no proposal for setting up of an Employment Exchange exclusively for women registrants.

Guidelines Formulated To Regulate Foreign Visits

†10112. **Shri Anant Ram Jaiswal** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the former Government formulated any guidelines to regulate foreign visits of the ministers and the legislators and if so, whether a copy thereof will be laid on the table of the House ;

(b) the names of the persons who were allowed to pay foreign visits in accordance with the guidelines during emergency and the number of those who were not allowed in this regard; and

(c) the names of the persons who sought permission for foreign visits after the formation of Janata Government at the Centre and the names of those who were given permission ?

The Minister of External Affairs : (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) to (c) : Indian nationals who are not proceeding abroad on official busines of the Ministry, are not required to obtain prior permission of the Ministry. Similarly, Legislators visiting foreign countries, on their

own, do not require prior permission of the Ministry of Extenal Affairs. The question, therefore, of issuing any public guidelines in this regard does not arise. However, under the Foreign Contributions Regulations Act, 1976, Members of Parliament, M. L. As. etc. accepting foreign hospitality have to seek prior clearance of the Government of India, before they accept foreign hospitality. In order to assist Legislators during their visits abroad the Ministry has asked the Heads of Missions to extend all possible assistance, when approached, to the Legislators, without incurring any financial expenditure.

As far as the Ministers of Central and State Governments are concerned, their visits to foreign countries, which are necessarily in the nature of official visits, require the prior approval of the Prime Minister and/or the Foreign Minister. No public guidelines have been issued in this regard.

तुरन्त डाक सेवा के लेटर बाक्सों में डाले गये पत्रों का वितरण

10113. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुरन्त डाक सेवा के लैटर बाक्सों में डाले गये पत्रों का शीघ्र वितरण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है जैसा कि विभाग द्वारा प्रचार किया गया है, और क्या ऐसे पत्रों को पृथक रखा जाता है अथवा इस प्रणाली के अन्तर्गत न डाले गये पत्रों की तुलना में इन पत्रों की ओर मार्ग में तथा कार्यालय में विशेष ध्यान दिया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसका शीघ्र पहुंचना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है, यदि हां, तो यह भेद किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता तथा अन्य पत्रों के पहुंचने में जिस पर इतना ही शुल्क लिया जाता है क्यों विलम्ब होता है;

(ग) क्या तुरन्त डाक सेवा के लैटर बाक्सों में डाले गये पत्रों और अन्य लैटर बाक्सों में डाले गये पत्रों के मार्ग में लगने वाले समय में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि नहीं, तो सेवा में इस प्रणाली और सरकारी खजाने से व्यय के कारण हैं जिससे डाक सेवा के घाटे में वृद्धि होती है जो पहले ही घाटे में है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) शीघ्र डाक सेवा योजना के अन्तर्गत वे पत्र जिन पर पिन कोड नम्बर लिखे होते हैं और जो देश के अन्य शीघ्र डाक सेवा केन्द्रों के लिये होते हैं, जिसमें राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं, अलग कर लिये जाते हैं और उनकी छंटाई और प्रेषण के दौरान उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है । शीघ्र डाक सेवा के कार्यचालन के कारण शीघ्र डाक सेवा से इतर डाक वस्तुओं के प्रेषण आदि में कोई विलम्ब नहीं होता है ।

(ग) और (घ) ट्रांजिट के दौरान शीघ्र डाक सेवा की वस्तुओं और शीघ्र डाक सेवा से इतर डाक वस्तुओं के प्रेषण के माध्यम एक ही होते हैं । शीघ्र डाक सेवा की योजना प्रमुख रूप के पिन कोड प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये चालू की गई थी जिससे कि अपने अनेक भाषाओं वाले देश में डाक की छंटाई में सुविधा हो सके । नाम-मात्र के अतिरिक्त खर्च कर यह योजना संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं ।

तुरन्त डाक सेवा पर कुल व्यय

10114. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग ने तुरन्त डाक सेवा आरम्भ करने में लैटर बाक्स लगाने, क्लियरेंस और सुपरविजन के लिये कर्मचारी लगाने, मेल मोटर सेवाओं, सार्टिंग कार्यालयों में वस्तुओं की संभाल पर, यदि इन पर विशेष ध्यान दिया जाता हो तो, पृथक-पृथक कुल कितना व्यय किया;

(ख) उक्त सेवा के रख-रखाव के लिये विभाग प्रति मास कितना व्यय करता है; और

(ग) विभाग ने इस बारे में आरम्भ में प्रचार करने के लिये कितना व्यय किया और बाद में उसे बनाये रखने पर कितना व्यय किया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) शीघ्र डाक सेवा पर होने वाले खर्च का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है क्योंकि यह सेवा भी सम्पूर्ण डाक सेवाओं का एक अंग है ।

प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने संबंधी समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना

10115. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध तथा साम्य पूंजी में कर्मचारियों के भाग लेने और सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अभी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) चूंकि श्रमिकों की सहभागिता के विषय का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, इसलिए इस विषय पर गहराई से विचार-विमर्श करना आवश्यक हो गया है । आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट को अगली बैठक में अंतिम रूप दे देगी ।

क्रिस्टल वायलट के स्थान पर मेथाइल वाइलट की सप्लाई

10116. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माता और रीपे रीपेक्र्स क्रिस्टल वाइलेट के नाम पर मेथाइल वाइलेट की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) क्या मेथाइल वाइलेट का उस पर कोई प्रभाव नहीं है जिसके लिए पेस का प्रयोग किया जाता है और यह औषध प्रयोगशाला, बडौदा द्वारा परीक्षण करने पर सिद्ध हो चुका है और प्र,योगशाला ने इस औषध के बारे में अपना प्रतिवेदन भारत के औषध नियंत्रक को जनवरी, 1978 में प्रस्तुत किया था, ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को भारत के औषध नियंत्रक से औषध प्रयोगशाला, बडौदा के प्रतिवेदन के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है और क्रिस्टल वाइलेट के स्थान पर मेथाइल वाइलेट की जो अपमिश्रित है, सप्लाई पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ध) क्या सरकार का विचार ऐसे निर्माताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चूंकि राज्य के औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनिमयम और नियमों के अंतर्गत औषधियों का निर्माण नियंत्रित किया जाता है, इसलिए उनसे अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है। फिर भी, क्रिस्टल वाइलेट के एक देसी निर्माता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कुछक कम्पनियां मेथिल वाइलेट को रिपैंकिंग करके क्रिस्टल वाइलेट के नाम से बेच रही हैं ।

(ख) और (ग) मेथिल वाइलेट में एण्टिसेप्टिक गुण हैं लेकिन दवाइयों में उपयोग के लिए क्रिस्टल वाइलेट को मेथिल वाईलेट के मुकाबले में तरजीह दी जाती है । औषध प्रयोगशाला, बडौदा ने औषध नियंत्रक, भारत को "ए मइक्रोबायोलोजिकल ऐसे मथड फार मेडिसिनल जेन्टीयन वाइलेट (क्रिस्टल वाइलेट)" नामक एक लेख भेजा है । इस लेख से यह सिद्ध नहीं होता कि मेथिल वाइलेट में इन्टी-सेप्टिक गुण नहीं है, लेकिन यह जीवाणुओं के विशेष स्ट्रेन के विरूद्ध एक एन्टीसेप्टिक के रूप में क्रिस्टल वाइलेट की श्रेष्ठता दर्शाता है । इस लेख पर भारत के औषध नियंत्रक द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(घ) राज्यों की औषध नियंत्रण अथारिटियों से अनुरोध किया गया है कि यदि उनके राज्य में क्रिस्टल वाइलेट का उत्पादन/रिपैंक किया जा रहा हो तो वह भारतीय भेषज संहिता में निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुरूप हो । औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों तथा नियमों के अधीन स्टेन्डर्ड क्वालिटी की दवाइयों का उत्पादन न करने, मिलावटी औषधियों तथा जाली छाप वाली दवाइयों का निर्माण करने वाला यदि कोई निर्माता हो तो उसके विरुद्ध राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में तालाबन्दी

10117. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबील्स लिमिटेड में जनवरी, 1978 से तालाबन्दी तथा हड़ताल जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मजदूर संघ तथा उद्योग के पक्षों संबंधी तथ्यों का पता लगा लिया गया है;

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की सहायता से इस गतिरोध को हल करने के लिये क्या प्रयास किये हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो बम्बई उद्योग समूह के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा भड़का रहे हैं तथा अवैध हड़ताल करवा रहे हैं तथा औद्योगिक अशान्ति पैदा कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यतः राज्य क्षेत्र में आता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० के प्रबंधतंत्र ने 17 जनवरी, 1978 से अपने डोम्बीवली प्लांट में तालाबन्दी घोषित कर दी और उसी तारीख से अपने वडाला तथा कुर्ला प्लांटों में कार्य को बंद रखा । यह सूचित किया गया है कि संबंधित पक्षों के बीच समझौते के कारण 26 अप्रैल, 1978 से डोंबीवली प्लांट में तालाबन्दी उठाली गई है और 29 अप्रैल, 1978 से वडाला तथा कुर्ला प्लांटों में कार्य पुनः आरम्भ हो गया है ।

(घ) इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही के लिए यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

डाक-तार विभाग के व्यपगत अनुदान

10118. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-78 डाक-तार विभाग को दिए गए करोड़ों रूपयों के अनुदान व्यपगत हो गए और सीमेन्ट की खरीद, स्टोर करने और अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में बड़ी राशि अवरूद्ध, अन्तिम क्षण में बड़ी मात्रा में धनराशि व्यय करने के प्रयास किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) क्या डाक-तार विभाग में वरिष्ठ वास्तुशिल्पियों के पदों को न भरे तथा योजना अनुसार उसकी संख्या न बढ़ाए जाने के कारण इतनी बड़ी राशि मूलतः व्यपगत हुई थी और यदि वरिष्ठ वास्तु-शिल्पियों के पद फालतू समझे जाते थे, तो बजट प्राक्कलन में उनके लिए उपबंध करने के क्या कारण थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) भवन निर्माण कार्यों के मामले में सब मिलाकर निधियों का कोई व्यपगमन नहीं हुआ है । डाक-तार पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम में कुछ निधियां अभ्यर्पित कर दी गई थीं । इसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांशतः दूरसंचार उपस्कर के आयात के जरिए अपेक्षित साज-सामान प्राप्त नहीं हुआ था।

वरिष्ठ आर्किटेक्टों के सभी स्वीकृत पद वर्ष भर में भर दिए गए थे ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में भ्रष्टाचार

10119. **श्री के० ए० राजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन किसी समय जुलाई, 1977 में प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में जांच की जा रही है ।

MAITHALI AS SECOND LANGAUGE IN NEPAL

10120. **Shri Surender Jha Suman** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to states :

(a) whether it is a fact that in Nepal "Maithali" has been recognised as Second Language along with Nepali ;

(b) whether it is also a fact that in South Eastern Tarai, port of Nepal most of the Nepali citizens are Maithali speaking ;

(c) if so, whether Government are maping or propose to make any cultural use thereof in the form of a India-Nepal link language through Indian Embassy in Nepal; and

(d) if so, what is or will be its form and if not, the reasons therefor ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of such a proposal has not arisen.

(d) Does nor arise.

10121. **श्री वयालार रवि :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ काश्मीर के मसले पर बातचीत करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं, जब कि ऐसा कोई मसला है ही नहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटलबिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । लेकिन हाल ही में मेरी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान हुई बातचीत में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने शिमला समझौते के क्रियान्वयन के संदर्भ में कश्मीर का उल्लेख किया था । हमने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि भारत इस समझौते का पालन करेगा ।

कश्मीर के संबंध में भारत-सरकार की यह नीति सर्वविदित है कि जम्मू-काश्मीर संविधान और कानूनों की दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग है ।

Report of Team sent to gulf countries

10122. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Yuvaraj :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the report of the Committee appointed to consider throughly the porblems and the condition of the labourers working in foreign countries has been examined; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Raivindra Varma) : (a) & **(b)** : Presumably, the refernce in part (a) of the Question is to the Committee which has been set to examine the whole question of overseas deployment of Indian skilled workers. The Committee has not yet submitted its report.

Non-Functioning of automatic Machines in Telephone Exchanges.

10123. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the automatic machines in telephone exchanges are not working properly ; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government for ensuring their proper working ?

The Minister of State or Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) No Sir; However for ensuring proper working of automatic telephone exchonges they are regularly routine tested and wherever necessary the parts are adjusted or worn-out parts are replaced. In some of the crossbar exchanges which had been installed earlier, a systematic upgradation programme has also been undertaken to incorporate known improvements.

Availability of Corugated Sheets

10124. **Shri Laxminarain Naik** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the sale of corrugated sheets has been controlled by Government and if not, since when control thereon has been lifted;

(b) whether corrugated sheets are not at all available to the people in rural areas now and whether its price which was Rs. 15/- per sheet long ago is now being sold for Rs. 80 and Rs. 90/-;

(c) the measures being taken by Government to make it available to the people at cheaper rates; and

(d) the price thereof in 1968 when it was a controlled commodity?

The Minister of state in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a)

(a) At present, there is no control on sale of Galvanized Corrugated Sheets. Control on price and distribution of this item was lifted on 1st May, 1967.

(b) and (d) : People in rural areas can purchase their requirements from the nearest stockyard of the Main producers. Prices of Main producers are per tonne and not per sheet. The stockyard price for 24 gauge Galvanized sheets as on 1st May, 1978 is Rs. 4,793 per tonne. The corresponding price on 1st May, 1967 was Rs. 1333.84 per tonne. Price increase during the last 11 years was not on account of scarcity, but on account of various factors like escalations in the cost of inputs, increase in excise duty, railway freight, etc.

(c) Every effort is being made to rush materials to stockyard in the areas like North Eastern Region where the open market prices of this material are reported to be ruling high so that actual consumers can draw their requirements from the stockyards. The operation of Course 7 of Iron & Steel (Control) order, 1956 has been revived with effect from the 10th April, 1978 so that mis-utilisation of Galvanised sheets can be checked.

उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र

10125. **श्री पदमाचरण सामन्ती सिसेरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कहां पर और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या है और वह कब चालू किया जा रहा है,

(ग) उड़ीसा में कुल कितनी मात्रा में लौह-अयस्क उपलब्ध है, और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और सर्वेक्षण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भकड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) वर्तमान अनुमानों के अनसार उड़ीसा में लौह-अयस्क का कुल भण्डार लगभग 2800 मिलियन टन है ।

नवम्बर, 1977 में स्पात संयंत्रों के प्रतिनिधियों की बैठक में किये गये निर्णय

10126. **श्री भगत राम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1977 में उनकी अध्यक्षता में हुई सभी इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधियों की बैठक में क्या निर्णय किये गये थे;

(ख) कौनसे निर्णय क्रियान्वित किये गये हैं; और

(ग) संघों की मान्यता के लिये सी० आई० टी०यू० तथा अन्य संघों द्वारा 12 अप्रैल, 1978 को "सीक्रेट बैलट डे" (गुप्त मतपत्र दिवस) के रूप में मनाये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अप्रैल, 1977 में गठित किए गए छः अध्ययन दलों के सदस्यों की 30 नवम्बर, 1977 को हुई पूर्ण बैठक से है । इस बैठक में अध्ययन दलों की रिपोर्ट औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गई थीं । यह भी स्वीकार किया गया था कि संयंत्र स्तर पर यूनियन को मान्यता गुप्त मतदान द्वारा दी जानी चाहिए । फिर भी, यह बात बता दी गई थी कि इस मामले में श्रम-मंत्रालय के साथ आगे लिखा-पढ़ी करनी पड़ेगी ।

(ग) सरकार का इरादा शीघ्र ही एक नया कानून बनाने का है जिसमें एक संस्थान/उद्योग में एक सौदा एजेन्ट के प्रश्न सहित मालिक-मजदूर सम्बन्धों के सभी पहलू शामिल होंगे । प्रस्तावित कानून के उपबन्ध इस्पात उद्योग पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

इस्पात एककों के लिये आसाम में कोयला

10127. **श्री ए०के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान दिनांक 20-4-1978 के "हिन्दस्तान टाइम्स" में "आसाम कोल यूसेबल इन स्टील यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या यह सच है कि आसाम कोकिंग कोल एक तिहाई राख के तत्व के साथ कोक दे सकता है जिसकी लागत आस्ट्रेलिया के कोयले की तुलना में, जिसका आयात करने का सरकार का विचार है, आधी होगी; और

(घ) यदि हां, तो आयात करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम के कुछ चुने हुए कोयले का, जिसमें राख की अधिकतम मात्रा लगभग 4% तक है, दूसरे कोकर कोयले में मिलाकर परीक्षण किया गया है । परीक्षण से पता चला है कि इस कोयले का मिश्रण-योग्य कोयले के रूप में केवल 10% तक उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा अधिक है । यद्यपि ऐसी सम्भावना है कि परिष्करण के पश्चात् आसाम के कोयले में राख की मात्रा कम हो जाएगी तथापि इसमें गंधक की मात्रा अत्याधिक अर्थात् लगभग 3—5% है जबकि दूसरे भारतीय कोयले में आमतौर पर गंधक 0.6%0.7% है । अतः दूसरे कोयले के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल किया जा सकता है । आसाम की खानों से निकाले गए कोयले में राख की मात्रा 17% है । पता चला है कि कोल इंडिया लि० कोयले की एक शोधनशाला लगाने की योजना बना रही है जिसमें कोयले को साफ करके राख की मात्रा 5% की जाएगी और ऐसे कोयले का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाएगा । अगर यह शोधनशाला स्थापित हो जाती है और संभार-तन्त्र (लाजिस्टिक्स) लाभप्रद हो तो यह सम्भव हो सकेगा कि आसाम का साफ किया हुआ कोयला इस्पात कारखानों की कुल आवश्यकता के 10% तक इस्तेमाल किया जा सकेगा ।

(ग) फिलहाल यह कहना समयपूर्व होगा कि क्या कोककर कोयले का आयात आस्ट्रेलिया अथवा किसी दूसरे देश से किया जाएगा । आसाम के साफ किए हुए कोयले की लागत की तुलना आयात किए गए कोककर कोयले की लागत से करना उचित न होगा क्योंकि आसाम का कोयला अनिवार्यतः मिश्रण-योग्य कोयला है जिसमें गंधक की मात्रा अधिक है जबकि आयात किए जाने वाला कोककर कोयला प्राइम अथवा मीडियम किस्म का कोयला होगा जिसमें गंधक की मात्रा कम होगी ।

(घ) : निम्नलिखित कारणों से कम राख वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है :

1. राख की कम मात्रा वाले कोयले के आयात से देशीय सप्लाई की क्वालिटी में गिरावट रोकी जा सकती है जिससे इस्पात कारखानों को गंभीर प्रौद्योगिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।
2. कम राख वाले आयातित कोयले के सम्मिश्रण के इस्पात कारखानों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी ।
3. इसमें देश में कोककर कोयले के सीमित भण्डारों का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी । चूंकि इस समय विदेशी मद्रा की स्थिति काफी अच्छी है इसलिए कोककर कोयले का आयात करने का यह अच्छा मौका है ।
4. चूंकि इस समय विश्व में इस्पात उद्योग में मन्दी का रुख है इसीलिए हो सकता है कि यह कोयला हमें कम कीमत पर मिल जाए ।

Telephone connection to milk producers' Cooperative society, Kamalpur.

*10128. **Shri Motibhai R. Choudhary :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the milk producers' Cooperative Society, Kamalpur village, Mehsana District, (Gujarat) applied for a telephone connection from the Dhinoj telephone exchange and deposited a sum of Rs. 800 on 3rd November, 1976 for the purpose; and

(b) whether telephone connection will be provided to it early in view of the fact that it is a cooperatwe society and has to call for frequently the veterinary doctor from Mehsana dairy for cattle treatment?

Minister of state for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) (a) Yes, Sir, the advance deposit of Rs. 800 for this telephone was deposited on 2-11-76.

(b) The telephone is required at a distance of about 5 kms from Dhinoj exchange and the same will be provided soon after procurement of necessary stores.

P.C.O. in villages in Banaskantha and Mehsana District

*10129. **Shri Motibhai R. Chaudhary :** Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) the number of villages with a population of above 2500 in Banaskantha and Mehsana District in Gujarat where P.C.Os. have been set up and when such offices will be set up in rest of them together with reasons for delay ; and

(b) the norms laid down for opening a Public Call Offices and whether there are rules for determining population for the purpose with details of rules applicable to backward districts ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) (a) Public Call Offices (PCOs) have been provicded at 46 villages with a population of 2500 and above in Banaskantha district and 86 such villages in Mehsana district. The number of such villages without PCOs. is 4 in Banaskantha and 98 in Mehsana districts. The policy decision to provide the PCO facility at such villages was taken only last year and the facility is being extended gradually according to a phased programme. All such places are likely to be covered during the plan period 1978—83.

(b) The policy for provision of Public Call Offices is given in the annexure. For determining the population of village, the figures are taken from the 1971 census report, both for ordinary and for backward districts.

Policy for provision of PCOs & Cos. on loss Categories of Stations.

(1) District Headquarters.

(2) Sub Divisional Headquarters.

(3) Tehsil Head quarters.

(4) Sub Tehsil Headquarters.

(5) Block Headquarters.

(6) Places with a population of 5000 or more in ordinary areas ((2,500 or more in backward or hilly areas).

Condition for provision of Public Call Offices.	Condition for provision of Combined Offices.
Will be provided progressively irrespective of loss and with-out any conditions of minimum revenue	Will be provided progressively irrespectively of loss and without any conditions of minimum revenue.

(7) Places with police Stations under the charge of an officer of the rank of a Sub-Inspector of Police or above.

Condition for provision of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices.
The anticipated revenue should be at least 25% of the ARE (Annual Recurring Expenditure) in ordinary areas, and 15% of ARE in backward areas, and 10% of ARE in hilly areas.	The anticipated revenue should be at least 25% of the ARE (Annual Recurring Expenditure in ordinary areas, 15 of ARE in backward areas and 10% ARE in hilly areas.

(8) Out of the way places.

Condition for provision of Public Call Offices.	Condition for provision of Combined Offices.
(a) Should be beyond 40 K.Ms. (radial distance) from an existing exhange.	(a) should be beyond 20 K.Ms. (radial distance) from an existing Telegraph Office.
(b) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas; and 10% ARE in hilly areas.	(b) The anticipated revenue should be at at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas, and 10% of ARE in hilly areas. (c) The anticipated loss should not exceed Rs. 2.000 p.a. in ordinary areas and Rs. 5,000 p.a. in backward/hilly areas.

(9) Tourist/pilgrimage centres/agricultural/irrigation/power project sites/townships.

Condition for provision of Public Call Offices.	Condition for provision of Combined Offices.
(a) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas and 10% of ARE in hilly areas.	(a) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas, and 10% of ARE in hilly areas. (b) The anticipated loss should not exceed Rs. 2,000 p.a. in ordinary areas and Rs. 5,000 p.a. in backward/hilly areas.

(10) All other Stations.

Condition for provision of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices.
On the basis of financial viability or on rent and guarantee in case of loss.	On the basis of financial viability or on rent and guarantee in case of loss

NOTES : (1) For considering the population figures, the population of the town or village alone should taken into account and not that of a group of towns or villages.

(2) No telegraph Office should be opened on loss if another telegraph office is already working within 8 kms. of the proposed office.

SC/ST Employees in Lok Nayak Jayprakash Hospital Delhi.

10130. **Shri Chaturhbhuj :**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8377 on the 27th, April, 1978 and state :

(a) whether some Nursing Sisters belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes working in Lok Nayak Jayaprakash Narayan Hospital have submitted memoranda for their promotion under the reserved quota; and

(b) if so, the action taken thereon so far and the time by which they will be promoted?

Minister of state for Wealth and Family Welfare Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes Sir. One Nurising Sister belonging to the Scheduled Caste has submitted a Representation for promotion to the post of Assistant Nursing Superintendent under the reserved quota.

(b) It has not been possible to promote her because she does not possess the essential qualification required for promotion to the post of Assistant Nursing Superintendent.

'एशिया वर्ल्ड' का प्रकाशन

10131. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान सल्तनत, ओमान सरकार द्वारा उस देश में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीय पत्रिका "एशिया वर्ल्ड" द्वारा जनवरी/फरवरी 1978 के अपने अंक में प्रकाशित की गई कुछ तस्वीरों/फोटो की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार को पता है कि एशिया वर्ल्ड ने बिक्री आदि के मामलों में विभिन्न अमरीकी और यूरोपीय पत्रिकाओं के सामने एक चुनौती पेश की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस भारतीय पत्रिका की हिम्मत बढ़ाने एवं समर्थन लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और कथित आपत्तिजनक चित्रों का मामला ओमान सरकार के साथ उठाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (क) जी नहीं । ओमान सल्तनत स्थित अपने मिशन से ऐसे किसी पत्र आदि के विषय में सरकार को जानकारी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन एक मुक्त व्यवसाय है और इसके विक्रय वितरण के प्रश्न पर, जोकि आज के प्रतिस्पर्धापूर्ण संसार में अनेक कारणों पर आधारित होता है, सरकार को कुछ नहीं कहना है ।

(घ) किसी विशेष भारतीय पत्र को समर्थन देना सरकार की नीति नहीं है ।

अफगानिस्तान में सैनिक क्रांति

10132. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में अभी हाल में सैनिक क्रांति होने और राष्ट्रपति दाऊद और उनके कुछ रिश्तेदारों के मारे जाने के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या अफगानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों में इससे कोई अन्तर आयेगा;

(ग) क्या सरकार ने नई सरकार को मान्यता दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो तन्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड़)क्या भारती दूतावास और वहां रह रहे भारतीयों के परिवारों के सदस्यों को जन धन की कोई हानि पहुंची है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) अफगानिस्तान की घटनाएं उस देश का एक अतिरिक मामला है । हम आज्ञा करते है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे परम्परागत और निकट मैत्रीपूर्ण संबंध यथावत् बने रहेंगे ।

(ग) और (घ) सरकार ने अफगानिस्तान की नई सरकार को 1 मई, 1978 को मान्यता प्रदान कर दी है ।

(ड़) सरकार को अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय राजदूतावास और अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है ।

मानव अधिकारों के बारे में अन्तर्संसदीय परिषद् का संकल्प

10133. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्संसदीय परिषद् ने कुछ मास पूर्व सोफिया में आयोजित अपने एक अधिवेशन में "सांसदों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन" के बारे में एक संकल्प पारित किया था ;

(ख) क्या सरकार को उक्त संकल्प की एक प्रति मिली है ;

(ग) क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) इस संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) (क) से (घ) : सरकार को जानकारी मिली है कि अन्तर संसदीय परिषद् ने अपने सोफिया अधिवेशन में सांसदों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बद्ध एक संकल्प स्वीकार किया था। सरकार ने उस संकल्प की एक प्रति देखी है और वह समझती है कि इसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध है।

अन्तर – संसदीय परिषद् अलग – अलग देशों के, अलग – अलग पार्टियों के संसद सदस्यों का एक गैर सरकारी संगठन है। इसके विभिन्न निर्णयों / संकल्पों में आमतौर से संसद सदस्यों से विभिन्न मामलों पर कोई कार्यवाही करने की अपील की जाती है। इसलिये इस प्रकार के संकल्पों / निर्णयों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ

10134. **श्री यशवन्त कोरोले** :क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों ने गत कुछ वर्षों में अनेक ज्ञापन पेश किये है जिनमें अध्यापक तथा गैर अध्यापक संवर्गों के बीच समानता लाने की मांग तथा अन्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अन्य मागें थी ;

(ख) क्या उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) इस मामले में निर्णय कब तक किया जायेगा जिससे कि असन्तोष आगे नहीं फैले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ अधिकारियों दवारा प्रस्तुत किए गये ज्ञापनों में उठाई गई विभिन्न बातें जिन विषयों से संबधित है वे हैं : विशेषज्ञ ग्रेड –I के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का होना, परस्पर वरिष्ठता रखना, शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों को अलग-अलग करना, परामर्शदाताओं के पदों को बनाना, वरिष्ठता एंव सिविल सूचियों को जारी करना, विशेषज्ञ ग्रेड II अधिकारियों में से विशेषज्ञ ग्रेड I के पदों को भरना, पेंशन और उपदान नीति आयोजन मंचों में प्रतिनिधित्व, विदेश में नियुक्ति, टेलीफोन की सुविधाएं और सचिवालय, सुविधाएं, सवारी भत्ता, सम्मेलनों में भाग लेने संबंधी सुविधाएं, छुट्टी रिक्ति, स्थानापन्न वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता । इन ज्ञापनों में उठाई गई विभिन्न बातों पर इस विभाग ने जो कार्यवाही की वह इस प्रकार है: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करना ; विशेषज्ञ ग्रेड I के पदों और सुपरटाइप ग्रेड II के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के वास्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है। इसकी सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रहा है।

परामर्शदाताओं के पदो का बनाना : जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है सस्थाओं को कुशलता और सुचारू रूप से चालने के दृष्टि से परामर्शदाताओं के पदों को बनाया जा रहा है। इस बात का पालन करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के पुनर्वास और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एक-एक के हिसाब से परामर्शदाताओं के दो पद बनाये गये हैं।

वरिष्ठता एवं सिविल सूची : विशेषज्ञ ग्रेड के अधिकारियों की वरिष्ठता एवं सिविल सूची प्रकाशित कर दी गई है और उसे परिपत्रित कर दिया गया है।

पेंशन और उपदान : जिन अधिकारियों ने सेवा में विलम्ब से प्रवेश किया उनकी सेवा के कुछ जुड़े हुए वर्षों की मंजूरी के प्रश्न पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श लेते

हुए पहले ही विचार किया जा चुका है और केन्द्रीय स्वास्थय सेवा के नियमों में आवश्यक संशोधन पहले ही जारी कर दिए गये हैं। इस निर्णय से केन्द्रीय स्वास्थय सेवा अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के समय पांच अतिरिक्त वर्षों तक का लाभ मिलेगा।

नीति आयोजन के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व : इससे पहले कि सरकार कोई अंतिम निर्णय ले स्वास्थय सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् जैसी विभिन्न तकनीकी समितियों से हमेशा परामर्श लिया जाता है।

विदेश में नियुक्ति : केन्द्रीय स्वास्थय सेवा अधिकारियों की विदेश में नियुक्ति पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध को समाप्त करने/उसमें संशोधन करने के औचित्य की जांच की जा रही है।

टेलीफोन सुविधाए और सचिवालय तथा अन्य सुविधाएं : ऐसे प्रस्तावों की पहले संबंधित संस्थाओं द्वारा जांच की जानी होती है और मंत्रालय में उनके गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

सवारी भत्ता : नियमों के अनुसार विभिन्न समूहों के केन्द्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है। अस्पताल में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के संबंध में इस मामले को फिर से जांच की जा रही है।

सम्मेलनों में भाग लेने की सुविधाएं : जब यह महसूस किया जाता है कि ऐसे सम्मेलनों में भाग लेना जन सेवा के हित में है तो प्रायः इसकी अनुमति दे दी जाती है।

छुट्टी, रिक्ति, स्थानापन्न, वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में छुट्टी-रिजर्व और प्रतिनियुक्ति रिजर्व पद बनाने का निर्णय किया गया है और इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस तरह छुट्टी रिक्ति और स्थानापन्न वेतन का प्रश्न अपने-आप हल हो जाएगा। जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सहयोगी यूनिटों में प्रतिनियुक्ति का संबंध है कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं है। फिर भी जब वे अन्य विभागों या संवर्गबाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों में उठाए गए अन्य प्रश्नों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए मंत्रालय में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है ताकि दल की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया जा सके। कार्यकारी दल ने सभी पहलुओं का अध्ययन कर लिया है और वर्तमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और विधि मंत्रालय से परामर्श करते हुए केन्द्रीय स्वस्थ्य सेवा नियमों का संशोधन करके कार्यवाही दल की सिफारिशों को लागू करने का विचार हैं।

एक स्विस बैंक के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख डालर की अदायगी के बारे में विदेश मंत्री द्वारा सभा में दिये गये कोचिंग भ्रामक वक्तव्य के संबंध में उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS re. ALLEGED MISLEADING STATEMENT ABOUT 11 MILLION DOLLARS THROUGH A BANK.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय मैंने निदेश 115 के अधीन एक सूचना दी है

अध्यक्ष महोदय : निदेश 115 के अधीन कोई मामला उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है । मैं इसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज रहा हूं । सम्बन्धित मंत्री की टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात ही इसको उठाया जा सकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : प्रश्न काल के पूर्व आपने मुझे तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव पेश करने के लिए आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रस्ताव नियम 184 के अन्तर्गत उठाया है । मंत्री जी क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : नहीं श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : वह सहमत नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यन स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमान् मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जांचकर्ता अधिकारी के पुत्र की आज मृत्यु हो गई है । सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है । आपने मेरी अनुमति नहीं ली है।

(व्यवधान)

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : In Nagarwala Case. Mr. Nagarwala was died and in the Case of 'Kissa Kursi ka" the son of investigating officer has killed. If such things happen, how the things eill go on.

(Interruption)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मारे गए लड़के के बारे में कुछ कहना चाहता हूं.... **व्यवधान****

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं आपकी अनुमति से एक मिनट बोलना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी को व्यक्तव्य देना चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : एक लड़का मारा गया है ।

(व्यवधान)**

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं नियम 350 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियम स्पष्ट है । कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता ।

(व्यवधान)**

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : नियम 376 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । समूची सभा इस पर चर्चा करने की इच्छुक है । आज के बाद सभा की बैठक नहीं होगी ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ज्योंही मुझे इसका पता चला मैंने पुलिस महानिरीक्षक से कहा कि वह इसका शीघ्रातिशीघ्र पता लगायें। उन्होंने कहा कि जीप का पता चल गया है और शाम तक दोषी व्यक्तियों का पता लग जायेगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)**

श्री मोरारजी देसाई : अब मामले पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा । मैंने सम्बन्धित अधिकारी से भी बात कर ली है । इसकी जांच की जा रही है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री उन्नीकृष्णन तथा श्री वयालार रवि के विशेषाधिकार के प्रस्तावों पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार आपको सूचना केवल मुझे ही नहीं बल्कि सम्बन्धित मंत्री को भी देनी है ।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : बिना नाम बताए मेरे लिए अपनी सूचना की व्याख्या करना असंभव है । मंत्री जी ने सूचना देख ली है । मैंने आपको सभी दस्तावेज दे दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको नामों से कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : मैंने जो कुछ कहा है, उसके सिवाय मैं और किसी बात का उल्लेख नहीं करना चाहता । मेरा प्रस्ताव श्री वाजपेयी के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं नियम 222 का क्षेत्राधिकार जानने के लिए विधि मंत्री से परामर्श करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर राय : इस मामले को सभा की सम्पत्ति होने दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)** मैंने इस बारे में 17 उदाहरण दे दिए हैं । सभा में इस तरह के मामले पर चर्चा हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं पहले नियम 222 के क्षेत्राधिकार पर विचार करूंगा क्योंकि इस मामले में परस्पर विरोधी विनिर्णय हैं । सभाध्यक्ष ने जो विनिर्णय दिया है, वह पहले के विनिर्णयों के अनुसार नहीं है । इसलिए मुझे विधि मंत्री से परामर्श करना है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपने पहले मुझे बुलाया है. इसलिए पहले मुझे ही अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : इस विषय पर विधि मंत्री की बात ही प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती । आपको सभा की राय जाननी है । कई सदस्य समुचित सलाह दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सलाह लेना मेरा अपना अधिकार है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं केवल श्री उन्नीकृष्णन, श्री रवि तथा विधि मंत्री को सुनना चाहता हूं ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : आपको निर्णय लेने से पूर्व अन्य सदस्यों की बात भी सुननी होगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । आप विधि मंत्री से परामर्श करना चाहते हैं । ये नियम सभा ने बनाए हैं और हम सब इनकी सही व्याख्या करने में सक्षम हैं । मैं समझता हूं कि इस बारे में विधि मंत्री की सलाह लेना उचित नहीं है ।

श्री वयालार रवि: नियम 222 विल्कुल स्पष्ट है । यह अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वह किसी भी सदस्य को मामला उठाने की अनुमति दे । नियम 222 के अन्तर्गत सभा के समक्ष व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : आप नियम 222 के अन्तर्गत क्या सहायता चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षों द्वारा अतीत में कुछ ऐसे विनिर्णय दिए गए जो कि परस्पर विरोधी है। पहला विनिर्णय यह है कि अध्यक्ष की अनुमति दिए बिना या न दिए बिना सदस्य की बात सुनने का अधिकार है। दूसरा यह है कि यदि एक बार सभा को मामले पर वाद विवाद करने की अनुमति दे दी जाये तो उसके पश्चात अध्यक्ष की अनुमति का कोई अर्थ नहीं होता। पहले का विनिर्णय यह है कि नियम 222 अध्यक्ष को अनुमति देने या न देने से पूर्व सुनवाई से नहीं रोकता।

श्री सी० एम० स्टीफन : व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत व्याख्या का प्रश्न केवन तभी उठाया जा सकता है जब कि कार्य सूची सभा के समक्ष आ जाये। या तो आप चैम्बर में किसी व्यक्ति से परामर्श करिये या फिर सभा से परामर्श कीजिए

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अनुमति नहीं दी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरी सूचना की स्वीकार्यता का प्रश्न विल्कुल स्पष्ट है । **(व्यवधान)** सारी बात स्वीकार्यता के बारे में है । **(व्यवधान)** जब तक मैं अपनी सूचना की व्याख्या नहीं करता **(व्यवधान)**

श्री नरेंद्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 389 के अन्तर्गत उत्पन्न होता है। यह मामला पूर्णतया आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैंने ग्राह्यता प्रश्न पर सूचना दी है। मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए ।

श्री गौरी शंकर राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है माननीय सदस्य को अपनी सूचना पढ़नी चाहिए और उसके बाद उन्हें केवल सूचना के बारे में कहना चाहिए **(व्यवधान)**

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : विशेषाधिकार का प्रश्न 12.4.78 को श्री वाजपेयी द्वारा दिये गए उस वक्तव्य के बारे में है जो संविधान तथा संसद के साथ की गयी धोखाधडी तथा भारत की समेकित निधि से सम्बन्धित है।

3 मार्च 1978 को श्री श्यामनंदन मिश्र ने नियम 377 के अर्न्तगत भारत की समेकित निधि से एक करोड़ दस लाख रूपये की अदायगी करने तथा विदेश मंत्रालय के इससे सम्बद्ध होने के बारे में सूचना मांगी थी। 12 अप्रेल 1978 को इसके उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन अदायगियों की पूरी तरह से छानबीन की है। ऐसा करते हुये निश्चय ही सम्बन्धित दस्तावेजों तथा फाईलों को देखा गया होगा।

अब मेरा आरोप यह है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जानबूझ कर सभा के गुमराह किया है और सभा तथा संविधान के साथ धोखाधड़ी की है।

मंत्री ने अपने वकतव्य में उन दो अदायगियों पर जोर दिया है जिनमें से प्रत्येक 55,00,000 रूपये की "आंशिक अदायगी" है और जिन्हें 15 मार्च 1976 तथा 28 अकतूबर 1976 को स्वीकृत किया गया और ये अदायगियां भारत और ईरान के बीच हुए वाणिज्यिक सौदे के अनुसार की गयी हैं।

मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि इस समझौते के अनुसार ये भुगतान स्विटजरलैण्ड में स्विस फ्रैंक में किये जाने थे। मंत्री ने दावा किया है कि बजट में विशेष विबेकाधीन व्यय के अन्तर्गत इन राशियों का व्यवधान किया गया है और इनका भुगतान चेक द्वारा किया गया है और किसी भारतीय का कोई अवैध भुगतान नहीं किया गया है।

मंत्री ने यह भी कहा है कि हिन्दुजा ब्रादर्स की अशोक ट्रेडरस कम्पनी ईरान में पंजीकृत है और जहां तक मुझे मालूम है, इस कम्पनी को यह राशि नहीं मिली है। श्री वाजपेयी ने भारत के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने की बात कही है । परन्तु मेरा आरोप यह है कि इस लेने-देन के पीछे अपराधी लोग, चाहे वे कोई भी और कहीं भी हों, अपनी करतूतों को छिपाने के लिये भारत-ईरान मैत्री का उपयोग करने का प्रयास कर रहे है।

मेरा तर्क यह है कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरह विदेश मंत्रालय कारोबार कर सकता है या भुगतान कर सकता है या समझौता कर सकता है जैसाकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अन्तर्गत और इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अधीन अनुमति दी गई है। विदेश मंत्रालय की लेन-देन करने या भुगतान करने या कोई समझौता करन की कानूनी क्षमता, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 299(1) में दिया गया है, कारोबार नियतन नियमों तक ही सीमित है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन समझौतों में विशेषरूप से यह कहा गया है कि 11 मिलियन डालर का भुगतान किया जाये, यदि हां, तो किसको ? समझौते पर किसने हस्ताक्षर किये। क्या आंशिक भुगतान किया जा रहा है या वे समाप्त हो गया है ? इस बारे में भेद खोलना आवश्यक है।

15 मार्च 1976 के रिकार्ड से पता चलता है कि तत्कालीन विदेश सचिव, श्री केवल सिंह ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें 5.5 मिलियन अमरीकी डालर का स्विस फ्रैंक में तुरन्त भुगतान करने के लिये कहा गया था, जो श्री के० शंकरन नायर को क्रेडिट सूची या यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैण्ड, जेनेवा में देय है। प्रश्न उठता कि ये भुगतान स्विटजरलैंड में क्यों किये गये ? क्या श्री शंकरन नायर, जो उस समय मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव थे, को यह भुगतान किया गया ? या क्या वह केवल धन ले जाने वाले ही थे? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या यह सच है कि भूतपूर्व वित्त सचिव ने इन भुगतानों पर आपति की थी और उन्हें इस मामले में दखल न

देने के लिये कहा गया था ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ सम्बन्धित दस्तावेज़ वित्त मंत्रालय और विदेश डिवीजन में नष्ट किये गये ?

इस बात पर भी विचार किया जाना है कि इस सारे मामले में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके पुत्र श्री संजय गांधी की क्या भूमिका रही है। क्या यह सच है कि 50 करोड़ रुपये की राशि उन्हीं एजेन्टों के माध्यम से पास की गई जिन्हें इनका भुगतान किया गया था और लगभग 20 करोड़ रुपये का भुगतान नार्मल बैंकिंग और अवैध चैनलों के माध्यम से वापस दिया गया। ये एजेन्ट हिन्दुजा ब्रादर्स के अलावा और कोई नहीं है। सरकार को मेरे तर्क का खण्डन करना चाहिये।

इस सौदे का समुचा भुगतान भारत की समेकित निधि में से किया गया। विदेश मंत्रालय ने इसे प्रमाणित किया और वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल को 30 मार्च 1977 को वर्ष 1976-77 के लिये तीसरी अनुपूरक मांगे पेश करमें के लिये कहा था जिसमें मांग संख्या 32 भी शामिल है जो उस शीर्षक के अन्तर्गत थी जिसमें ये धोखेधडी वाले भुगतान भी शामिल है । अतः सरकार ने विश्वास भंग किया है।

विदेश मंत्री ने एक चेक का उल्लेख किया है। वह बार-बार संसद को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कोष नियमों के अधीन चेक और ड्राफ्ट में कोई अन्तर नहीं है परन्तु इन भूगतानों के मामले में, जिनपर नेगोशियबल इंस्ट्रुमेंटस एक्ट आफ 1884 की धारा 6 और 12 लागू होती है, ये भिन्न-भिन्न हैं।

अतः मेरा तर्क यह है कि यह सब जानकर और भुगतान के स्वरूप को जानते हुए भी विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जानबूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

मांग संख्या 32, राजस्व अनुभाग, मुख्य शीर्षक 261 के अधीन जिसमें मार्च 1977 के भुगतान भी शामिल हैं। भुगतान का समर्थन करने से पिछली सरकार के गलत कारनामों में वह भी 30-3-1977 और 12-4-1978 को शामिल हो गये हैं ।

अतः मंत्री विशेषाधिकार भंग और सभा के अवमान के दोषी हैं। देश के खजाने पर लोक-सभा के एकमात्र अधिकार पर यह एक हमला है और मंत्री एक धोखेधड़ी का काम करने के दोषी हैं ।

यह प्रत्यक्षतः मामला बनाया गया है जैसाकि नियम 222 के अधीन अपेक्षित है और हमारा संसदीय लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा यदि हमारे अधिकारों तथा भारत की संचित निधि पर इस प्रकार के हमले होते रहे ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सभा को स्मरण होगा कि लोक-सभा में जनता संसदीय दल के उपनेता श्री श्यामनन्दन मिश्र ने 3 मार्च, 1978 को यह मामला उठाया था। विदेश मंश्री को इस मामले का अध्ययन करके सभा में विवरण देने में 5 सप्ताह लग गये। उन्होंने कहा है कि 5.5 मिलियन डालर की दो अदायगियां 15 मार्च और 28 अक्तूबर, 1976 को की गई थीं। तत्कालीन प्रधान मंत्री के आदेशानुसार हमारे आर्थिक कार्य विभाग द्वारा वार्ता किये जाने के बाद भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते के ये अदायगियां अनुकूल थीं ।

यदि यह एक वाणिज्यिक समझौता है तो आयोग के बारे में एक खण्ड होना चाहिये । लेकिन इस समझौते में ऐसी कोई बात नहीं । यदि ऐसा कुछ है तो उसे सभा-पटल पर रखा जाये ।

जहां तक विशेष स्वैच्छिक निधि में से अदायगियों का प्रश्न है, विदेश मंत्री ने कहा है कि बजट व्यवस्था में इसे पहले से दिखाया गया है। लेकिन यह तो संशोधित प्राक्कलन और वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई अनुपूरक मांगे हैं । अतः श्री वाजपेयी सभा को गुमराह न करें ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदायगियां दोनों सरकारों के बीच नहीं हुई हैं। मैं अधिकार से यह बात कह सकता हूं कि हिन्दुजा परिवार का एक सदस्य जेनेवा में मौजूद था ताकि उन्हें विस्तार से बताया जा सके और प्रारूप की स्वीकृति हेतु बैंक के साथ वार्ता की जा सके। सरकार द्वारा किये जा रहे समझौते में उसे उपस्थित नहीं होना चाहिये था। अतः यह कहनाता सभा को गुमराह करना है कि समझौता दो सरकारों के बीच हुआ है।

अतः यह न केवल विशेषाधिकार का मामला है वरन् संसद का अधिकार भी है। प्रत्येक सदस्य को इसमें रूचि लेनी चाहिए। इस मामले में संसद को पूरी जांच करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष महाधिवक्ता को बुलाकर इसके विधिक पहुलूओं पर सलाह ले सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): इसे किसी भी प्रकार से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना जा सकता। श्री उन्नीकृष्णन हर तरह की असंगत बातें ले आये हैं यद्यपि वे महत्वपूर्ण तो हैं। किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में यह समझौता सबसे बड़ा घपला है जिसकी जांच होनी चाहिए।

विशेषाधिकार का प्रश्न तब उठता है जब जान-बूझ कर गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया गया हो। इस पर चर्चा हुए बिना इसे विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे मान सकते हैं।

यह कहा गया कि विदेश मंत्री ने कुछ छिपा कर सभा को जान-बूझ कर गुमराह किया है। वह क्या छिपा रहे हैं? फाइल पर कई चीजें हो सकती हैं लेकिन सदस्य महोदय ने जो मामला उठाया है हो सकता है वे उससे सम्बन्धित न हों। अतः फाइल में दिया गया सब कुछ बताने की जरूरत नहीं।

विशेषाधिकार का अर्थ है कि अपराध सिद्ध हो चुका है और अपराध तभी सिद्ध हो सकता है जब यह मान लिया जाये कि मंत्री जी ने जान-बूझ कर सभा को गुमराह किया है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मंत्री जी ने सभी प्रमुख तथ्य और महत्वपूर्ण बातें सभा के समक्ष पेश कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि अदायगियों को मंजूरी दी जा चकी थी और विदेश मंत्रालय की स्वैच्छिक निधि में से उन्हें चुकाया गया। दूसरे इन अदायगियों का सम्बन्ध वाणिज्यिक समझौते से नहीं है। नहीं तो मंत्री जी हमें यह न बताते कि इसका वाणिज्यिक समझौते से सम्बन्ध नहीं हालाँकि विदेश मंत्रालय की स्वैच्छिक निधि से अदायगियां की गई हैं।

स्पष्टतयः दोनों में असंगति है यदि मंत्री महोदय दोनों के बीच की असंगति को छुपाना चाहते तो वे राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हुए सभा में कोई जानकारी न देते और यदि वह कुछ जानकारी न देते तो सारा मामला यहीं खत्म हो जाता और सभा को इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाता अतः मेरे विचार में मंत्री महोदय ने सदन को कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की है।

अतः यह कोई विशेषाधिकार का मामला नहीं। निस्संदेह मंत्री महोदय पर सारी जिम्मेदारी है लेकिन जो कारनामे भूतपूर्व सरकार ने किए हैं उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I support the views expressed by Shri Mishra. No privilege issue is involved in this case. All the material facts have been submitted by the External Affairs Minister before the House. There is no delibrate or wilful omission of facts by him. But in this connection I would like to know from the minister whether the then External Affairs Minister was present in Iran on that day on which the agreement regarding oil was concluded with Iran by our Ambassador. I would also like to know whether it is a fact that Shrimati Gandhi herself wrote to the secretary, External Affairs that this payment must be made.

The Ministry of External Affairs has nothing to do with the Commercial dealings and as such this matter should have been dealt with the Ministry dealing with foreign trade and if are they who should have made the payment. It is a very serious matter that our External Affairs Ministry is required to deal in foreign trade. The procedure adopted is thus unprecedented and unparalleled. The whole case is suspicious and fishy and an independent enquiry should be held into it. I would also request the External Affairs Minister to reveal all the facts in his possession relating to this case.

I would request the movers of the motion to withdraw it.

श्री वसंत साठे (अकोला) : अब चूंकि इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी गई है अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर पूरी चर्चा करवाई जाये तथा मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सभी तथ्य सभा के समक्ष रखे।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : आज सत्र का अन्तिम दिन है ..** **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं कीजिए।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : यह ममला प्रत्यक्षतः सिद्ध हो चुका है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजना ही पड़ेगा।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने किसी विशेषाधिकार का उल्लधन नहीं किया। मैंने जान बूझकर किसी तथ्य को नहीं छिपाया और न ही सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। यह भुगतान भूतपूर्व सरकार द्वारा किया गया था और इस सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। निसंदेह इन सौदों में कुछ स्वछंदता से काम लिया गया है क्यों कि 11 मिलियन डालर का भुगतान समान्य बैंक अथवा किताबी लेन देन के आधार पर न करके स्विटजरलैंड में दो किश्तों में विशेष स्वेच्छिक निधि से किया गया है 1976 में विदेश मंत्रालय द्वारा इन अदायगियों के लिए स्वीकृति दी गई और तब तक मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभाला था यद्यपि इस सौदे के बारे में बातचीत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा तत्कालीन सरकार ही दे सकती है।

जिस अधिकारी ने सारी बातचीत की थी दुर्भाग्यवश वह अब इस संसार में नहीं है और इसी-लिए मामले की जांच में काफी कठिनाई हो रही है। जितनी जानकारी मुझे उपलब्ध है उसे सदन को बताने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

स्विटजरलैंड में 11 मिलियन डालर का जो दो किश्तों में भुगतान किया गया है वह ईरान के साथ नवम्बर 1975 में 250 मिलियन डालर के एक ऋण समझौते से संबंधित है। ऋण समझौते का ब्यौरा आर्थिक कार्य विभाग के पास उपलब्ध है। यह समझौता ईरान के तत्कालीन भारतीय राजदूत द्वारा स्टेट बैंक आंफ इण्डिया की ओर से किया गया और राशि स्टेट बैंक में भारत सरकार के खाते में जमा की गई। यह एक उदार ऋण है और इस पर केवल 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष मैनेजमेंट फीस भी लगेगी ऋण 12 वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा और 6 वर्ष का अनुग्रह समय भी दिया गया है। ऋण दो किस्तों में प्राप्त किया गया और जमाखाते में आने के पश्चात् अदायगियां स्विटजरलैंड में की गयीं।

इस ऋण के बारे जुलाई 1974 से वार्ता शुरू हुई। उस समय तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण भारत भुगतान संतुलन को गम्भीर समस्या का सामना कर रहा था। सरकार आई एम० एफ से पैसा कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded

लेने में संकोच कर रही थी। एक करोड़ 10 लाख डालर की आदयगियों को ध्यान में रखते हुए वापिस आदयगी करना उस समय की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए लाभदायक था।

अनुदानों की मागें में व्यवस्था किए जाने के बारे में यह कहा जा सकता है कि 1975-76 तथा 1976-77 की मांगें तथा मार्च 1977 की अनुपूरक मांगों का कुल जोड़ एक करोड़ 10 लाख डालर बनता था। रजिस्टरों के इंदराज द्वारा इस प्रकार की अदायगी नहीं की जा सकती थी। खजाना नियम के अन्तर्गत "चैक" तथा "डिमांड ड्राफ्ट" शब्द समार्नाथक हैं।

इस सौदे की गोपनीयता बनाये रखने के लिए जिसके बारे मैं कुछ नहीं जानता, आदायगी स्विटजरलैंड में की गयी। मैं समझता हूं कि तत्कालीन सरकार ने अनुभव किया कि सौदे की गोपनीयता ऐच्छिक अनुदान से अदायगी करके ही कायम रखी जा सकती है जिसके लिए विदेश मंत्रालय के बजट में व्यवस्था की गयी। यही केवल एक सौदा है जिसके लिए विदेश मंत्रालय के स्वेच्छिक व्यय के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था की गयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस व्यय के लिए अनुमति दी थी।

मेरी इच्छा न पहले और न ही अब तथ्यों को छिपाने तथा सभा को गुमराह करने की रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई भी विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा। अब प्रपत्र सभा पटल पर रखे जायेंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : हम इन प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि यह ऐतिहासिक प्रतिवेदन है.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं इससे चर्चा आरम्भ हो जायेगी। मैं इसकी अनुमती नहीं देता

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि यह संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानून की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः मैं प्रधानमंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सदन की अनुमति हो, तो सत्र कम से कम एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाये ताकि सदन की इस पर अच्छी प्रकार चर्चा करने का अवसर मिल सके.....

शाह आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन तथा सम्बद्ध पत्र

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात स्थिति के दौरान किये गये अधिकार के दुरूपवोग ज्यादतियों और कदाचारों की जांच करने के लिए गठित शाह जांच आयोग का दिनांक 11 मार्च, 1978 का अन्तरिम प्रतिवेदन I (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और दिनांक 26 अप्रैल, 1978 का अन्तरिम प्रतिवेदन II.

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ज्ञापन।

(2) अन्तरिम प्रतिवेदन II और की गयी कार्यवाही के ज्ञापन के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2338/78]

प्रो०पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है ....** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं कीजिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर :**

तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन (नवम्बर, 1976) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल मूल्य समिति —नवम्बर, 1976 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 2324/78]

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2325/78]

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन 1½ वर्ष के बाद सभा पटल पर रखा गया है । इसे सभा पटल पर रखने में इतना समय क्यों लगा ? मेरी जानकारी यह है कि मुख्य प्रतिवेदन अंग्रेजी में है और इसके हिन्दी अनुवाद में अधिक समय लगने के कारण इसे सभा पटल पर रखने में इतना विलम्ब हुआ है । अतः मैं मांग करता हूं कि कम से कम अंग्रेजी संस्करण तुरन्त सभा पटल पर रखा जाना चाहिये था ताकि सभा यह जान सके कि समिति ने क्या कहा है । हिन्दी प्रतिवेदन बाद में आ सकता है । मद संख्या 2 में भी इतना ही विलम्ब हुआ है । मैं आप से मामले की जांच करने के लिये अनुरोध करता हूं । यदि हिन्दी अनुवाद तैयार नहीं है तो या तो उसे शीघ्र तैयार कराया जाये या अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मैं बार-बार कह चुका हूं ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण**) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०–2327/78]

(2) (एक) भारतीय सामाजकि विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये परिषद् के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है ।

(3) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल०टी–2328/78]

(4) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण)@ तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(5) (क) उपर्युक्त (8) एक में उल्लिखित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा (ख) लेखे का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०–2329/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सा० नि० 270(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या 198/76 सैन्ट्रल एक्साइज में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–2330/78]

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था ।

@लेखे का अंग्रेजी संस्करण 8 मई, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 589 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जिसमें दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 762 (ङ) के हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-2331/78]

उर्वरक संयंत्रों के अधिष्ठापित क्षमता के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 6387 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Fertilisers (Shri Janeshwar Mishra) : I beg to lay on the Table (i) a statement correctng the reply given on the 11th April, 1978 to Unstarred Question No. 6387 by Shri Raj Keshar Singh, regarding installed capacity of fertilizer plans and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2332/78]

जम्मू तथा कश्मीर में सलाल पन बिजली परियोजना का निष्पादन, प्रबन्ध तथा संचालन राष्ट्रीय पन बिजली निगम को सौंपना

The Minister of State in the Ministry of Energy (Shri Fazlur Rahman): I beg to lay on the Table a statement (H]ndi and English versions) regarding Transfer of the execution, management and operation of the Sala Hydro-Electric Project in Jammu and Kashmir to the National Hydro-Electric Power Corporation as an Agent of the Government of India.

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-2333/78]

30-5-77 को हुई तेजपुर एक्सप्रेस रेल दुर्घटना सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : I beg to lay on the Table a copy of the Report (**Hindi versions) of the Commission of Inquiry on the Railway accident relating to 13 Up Tezpur Express between Udalguri and Rowta Bagan stations on Rangiya-Rangapara North Section of the Northeast Frontier Railway on the . 30th May, 1977, under sub-section (4) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952.

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2334/78]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचना

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh) : I beg to lay on the Tablea copy of Notification No.S .O. 287(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 29th April, 1978 making certain corrections in Schedule XI of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, under sub-section (2) of section 9 of the Representation of People Act, 1950.

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-2335/78]

कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, बम्बई को दी गई अग्रिम राशि/ऋण सुविधाओं सम्बन्धी एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण तथा सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना ।

**English version of the Report and Hindi and English versions of Memorandum of Action taken on the Report were laid on the Table on the 22nd March, 1978.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : श्री जुल्फीकारूल्ला की ओर से मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(16) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को दी गई अग्रिम/ऋण सुविधाओं सम्बन्धी एक सदस्यीय जांच समिति के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-2336/78]

(17) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 271 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-2337/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु : पीठासीन अधिकारी द्वारा हमें कई बार आश्वासन दिया गया है कि वह यह देखेंगें कि क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा सकता है। यह टी० एन० घोष समिति कपाड़िया अथवा कोहिनूर मिल्स के घोटाले की जांच कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रतिवेदन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम चाहते हैं कि एक सदस्यीय जांच समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये ।ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर के एककों के कार्यकरण के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम राशि निकाले जाने के बारे में वक्तव्य।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा भैती) : मैं (18) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के एककों के निर्वाध कार्यकरण के लिये भारत की संचित निधि में से अग्रिम राशि निकाले जाने के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-2339/78]

नियम 377 के अधीन मामले
(Matters under rule 377)

श्री सो० एम० स्टीफन (इदक्की) : प्रधान मंत्री द्वारा इस सत्र के अन्तिम दिन शाह आयोग के अन्तर्गत प्रतिवेदन सभा पटल रखना दुर्भाग्यपूर्ण है । इससे सदस्यों को इन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा।

सरकार को ये प्रतिवेदन ऐसे समय पर सभा पटल पर रखने चाहिए थे जबकि सदस्यों को इन्हें पढ़ने और इन पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलता । मुझे सरकार की इस कार्यवाही पर घोर आपत्ति है क्योंकि इसके द्वारा रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित होंगी । गृह मंत्री द्वारा यह घोषणा भी की शाह आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं तभी से उनके उद्धरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं । लेकिन यहां ये प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे । यह समाचार अव-मानन ही है । मुझे इसपर घोर आपत्ति है कि ये प्रतिवेदन यहां सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व ही इनके उद्धरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गये हैं ।

यह मेरा तथा मेरे दल का विचार है कि आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्ष अस्वीकार किए जाने योग्य हैं । हम इस मामले को देश की जनता तक ले जायेंगे और देशव्यापी आन्दोलन द्वारा उनसे अस्वीकार करवायेंगे । हमारे विचार में यह प्रतिवेदन एक ऐसा दस्तावेज है जो राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है ।

मैथ्यू आयोग के निष्कर्षों की सरकार ने सम्भवतः इस वजह से अस्वीकार किया है क्योंकि इसके सभी साक्ष्यों को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता । यदि साक्ष्यों का उपलब्ध न होना आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करने का आधार है तो इस मामले में भी ऐसा ही आधार उपस्थित है । प्रक्रिया की वैधता और आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दायित्व का प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है । यदि न्यायालय आयोग के विरुद्ध अपना निष्कर्ष देता है तो आयोग के समक्ष दिया गया साक्ष्य अवैध हो जायेगा और जिन लोगों ने आयोग के समक्ष साक्ष्य देने से इनकार किया है उनके विरुद्ध आयोग अपने आरोप नहीं लगा पायेगा । अतः सभी सरकार को चाहिए कि वह आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार न करे । न्यायालय का निर्णय आने तक आयोग के निष्कर्ष निलम्बित रखे जाने चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत आ सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : अन्त में मेरी यह मांग है कि प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाये और इन पर चर्चा के लिए 4 दिन का समय नियत किया जाये । और नियत समय से पूर्व प्रतिवेदनों के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय दिया जाये । मेरा यह सुझाव है कि इस सत्र को समाप्त किए बिना इसे किसी आगामी तिथि तक स्थगित किया जाये और जो दिन नियत किए जाये उस दिन सदन की बैठक बुलाई जाये ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार पर लगाये गए आरोपों पर मुझे घोर आपत्ति है । लेकिन अतीत की बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे विपक्ष के नेता के इससे बेहतर किसी और बात की आशा भी नहीं थी ।

विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि वह शांतिपूर्वक ढंग से जब तक उनका दिल चाहें आन्दोलन कर सकते हैं लेकिन यदि कोई हिंसात्मक कार्यवाही की गई तो हम उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने में झिझकेंगे नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमारा आन्दोलन अहिंसावादी होगा । लेकिन.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(दो) सिंथेटिक एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, बरेली द्वारा तैयार किये गये सिंथेटिक रबड़ की विभिन्न किस्मों के मूल्यों का मामला ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहानपुर) : सिंथेटिक्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, बरेली द्वारा निर्मित सांश्लिष्ट रबड की विभिन्न किस्म की वस्तुओं के मूल्य 1974 तक तो नियंत्रण में थे। लेकिन बाद में कंपनी ने नये नामों से नई किस्म की चीजे तैयार कीं, जिनका फामूला मामूली सा ही बदला था और उनके बहुत ऊंचे मूल्य लेने शुरू कर दिए हैं । यह कम्पनी टायरों, ट्यूबों तथा रबड़ की अन्य वस्तुओं की बहुत अधिक कीमत ले रही है । सरकार को इन्हें नियंत्रित करना चाहिए । इस कम्पनी के बोर्ड में सरकार के दो प्रतिनिधि होने चाहिएं ताकि इसके कार्यकलापों पर नजर रखी जा सके और हो रहे अपव्यय को रोका जा सके ।

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
Not recorded.

(तीन) हिंडालको मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के प्रबन्धकों की छटनी का समाचार

Shri Ugra Sen (Deoria) : Sir, the owners, Birla Brothers of Hindalco (Mirzapur), U.P. have recently retrenched about 1100 employees and workers on the pretext that they were not getting electricity from Uttar Pradesh Government. They are now getting 20 Megawatts of electricity under the orders of the Supreme Court; but they have not taken back the retrenched employees. In the past also they had been getting power at comparatively cheaper rates. I, therefore, demand that Hindalco should immediately be taken over by the Government.

(चार) सलाल परियोजना के पूरा होने में धीमी प्रगति का कथित समाचार ।

श्री बलदेव सिंह जतरोटिया (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान लोकटक बैड़ा सियुल और सलाल जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं । लोकटक मणिपुर में है जिस पर 1970 में काम शुरू हुआ था। इस परियोजना पर अब तक 80 करोड़ रुपये खर्च हो चुकने के बाद अब वहां काम ठप्प पड़ा है ।

हिमाचल प्रदेश बैड़ा सियुल पनबिजली परियोजना की स्थिति भी अच्छी नहीं है । इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम को सौपां जा रहा है ।

कुछ दिन हुए जम्मू और कश्मीर राज्य में निचली झेलम पनबिजली परियोजना पर 70 करोड़ रुपये लग चुके हैं और वहां अब काम बन्द पड़ा है। सलाल परियोजना, जो राष्ट्रीय महत्व की ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की है, भी रुग्ण पड़ी है । पता चला है इन सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम को सौंपा जा रहा है ।

यह कार्य 1970 में 55 करोड़ रुपये के परिव्यय से इस आशा में आरम्भ किया गया था कि इनमें 1976-77 तक काम शुरू हो जायेगा । लेकिन ऐसा न हो सका। अब इन योजनाओं का परिव्यय 222 करोड़ रुपये हो गया है और फिर भी इनके पूरे होने की कोई आशा दिखाई नहीं देती है ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

अतः सरकार से आग्रह है कि इस मामले को विचार के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति को सौंपा जाये । यदि सी०बी०आई० की सहायता की जरूरत हो तो उनकी सहायता से दोषी व्यक्तियों को पकड़ा जाये, क्योंकि इस परियोजना में काफी गोलमाल और घपला है ।

(पांच) ग्वालियर रेयनस् एण्ड सिल्क मैनुफेक्चरिंग एण्ड वीविंग कम्पनी, मेवूर के लुगदी डिवीजन के श्रमिको और प्रबन्धकों के बीच विवाद का कथित समाचार ।

श्री के० ए० राजन : ग्वालियर रेयनस् एण्ड सिल्क मैनुफैक्चरिंक एण्ड वीविंग कम्पनी, मेबूर का पल्प डिवीजन एक औद्योगिक उपक्रम है, जो रेयन पल्प का निर्माण करता है, में लगभग 2500 मजदूर काम करते हैं । इसके अलावा सारे राज्य में ठेके पर और ठेकेदारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25,000 श्रमिक काम करते हैं । यह उपक्रम 30-11-1977 से काम नहीं कर रहा है ।

प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच दीर्घकालीन समझौता 26-10-1975 को समाप्त हो गया था । निर्वाह सूचकांक में कमी के कारण गत दो वर्ष की अवधि में श्रमिकों के वेतन में भारी कमी के कारण

श्रमिकों में भारी असन्तोष व्याप्त है । यद्यपि एक नये दीर्घकालीन समझौते के लिये वार्ता शुरू की गई, फिर भी समझौता न हो सका । इन परिस्थितियों में मजदूरों ने 30-11-77 से हड़ताल शुरू कर दी । श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री की उपस्थिति में कई एक सम्मेलन हुए । परन्तु वे प्रबन्धकों को रूखे तथा असहयोगपूर्ण रवैये के कारण सफल न हो सके ।

अब स्थिति अत्यन्त गम्भीर है । हजारों श्रमिक तथा उनके परिवार प्रबन्धकों के इस प्रकार के रवैये के कारण भारी विपत्ति में हैं । केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को उत्पाद-शुल्क तथा बिक्री कर के रूप में करोड़ों रुपये की हानि हो रही है । इससे राज्य सरकार मजबूर हो गई और उसने फैक्टरी को चालू रखने के लिये कुछ अस्थायी प्रबन्ध किये हैं । तदनुसार राज्य सरकार कम्पनी को अस्थायी तौर पर अपने हाथों में लेने के लिये तुरन्त कदम उठा रही है । केन्द्रीय सरकार को इस मामले में राज्य सरकार का पूरा समर्थन करना चाहिये ।

(छः) निर्यात और आन्तरिक उपयोग के लिये चमड़े और रबड़ के कपड़ों के उत्पादन सम्बन्धी मामला ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : निर्यात और देश की खपत के लिये चमड़े तथा रबड़ के जूतों के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसके फलस्वरूप हमारी निर्यात आय पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ेगा । ये वस्तुएं राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भेजी जाती हैं इस तरह राज्य व्यापार निगम को भी भारी हानि होगी । समूचे पूर्वी क्षेत्र की खपत के लिये बाटा की दुकान नहीं चल रही हैं और इसके फलस्वरूप आम उपभोक्ता को ये आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही है । ऐसा विदेशी कम्पनी, अर्थात् बाटा शू कम्पनी लिमिटेड के कड़े रवैये के कारण हो रहा है । उन्होंने बोनस अधिनियम का पालन करने से इनकार किया है और इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों की जायज न्यूनतम मांगों को पूरा करने के लिये एक ग़लत रूख अपनाया है । अब वे 65 दिन से अधिक से हड़ताल पर हैं ।

कम्पनी के कुछ विशिष्ट अधिकारियों को भारी इनाम दिये गये हैं जबकि वे न्यूनतम जायज आवश्यकता पर आधारित वेतन देने से इनकार कर रहे हैं । इस एक कम्पनी में लगभग 157 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बहुत अधिक वेतन मिलता है । इससे इसे वस्त अर्थात् जूता तथा रबड़ के सामान के मूल्य बढ़ रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करके इस कम्पनी की दो फैक्टरियों, एक बाटा नगर में और दूसरी मोकामा में सम्बन्धित राज्य सरकारों और मजदूरों तथा कर्मचारियों के परामर्श तथा सहयोग से चालू करने के लिये मजबूर करना चाहिये ।

कम्पनी विधि मंत्री को कम्पनियों के बड़े बड़ अधिकारियों के वेतन ढांचे पर विचार करना चाहिये ताकि बड़ी तन्खाह पाने वालों और कम तन्खाह पाने वालों के बीच के अन्तर को युक्तिसंगत बनाया जा सके । यह कम्पनी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के मामले में सरकार को धोखा देती हुई अनेक बार पायी गई है और उसके आर्थिक अपराधों के बारे में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में अनेक बातों का रहस्योदघाटन हुआ है । अतः विधि मंत्री तथा उद्योग मंत्री को मामले में हस्तेक्षप करके मामले में सुधार कराना चाहिय ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

समाचार पत्र संस्थानों के कर्मचारियों का हड़ताल करने का कथित समाचार ।

Shri Chhabiram Argal : Sir, I call the attention of the Minister of Parliamentary Affairs and Labour to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Reported decision of the employees of newspaper establishments to go on strike to press their demands for revision of wages.

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : जैसा कि मैंने इस सदन को बताया था, नेशनल कन्फेडरेशन आफ न्यूजपेपर एण्ड न्यूज एजेंसी इम्पलाइज आर्गनाइजेशंस ने हमें उस प्रस्ताव की एक प्रति भेजी है जो कलकत्ता में 28 मार्च, 1978 को हुई समाचारपत्र कर्मचारियों की कन्वेंशन द्वारा पारित किया गया था। इस प्रस्ताव द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उक्त कन्फेडरेशन को यह प्राधिकार दिया गया था कि "वह एक ऐसे आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार करे जो अन्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप धारण कर ले।"

2. इसे छोड़कर हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि समाचार पत्रों के कर्मचारियों ने मजदूरी दरों के संशोधन के बारे में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करने के बारे में कोई विशिष्ट निर्णय किया है। तथापि, विभिन्न विषयों को लेकर कुछ राजनैतिक दलों द्वारा आम हड़ताल करने के आह्वान के प्रत्युत्तर में दिल्ली के समाचारपत्रों के कर्मचारियों के कुछ वर्गों ने 11 मई, 1978 को सांकेतिक हड़ताल की। कुछ यूनियनों द्वारा दिए गए नोटिसों में उल्लिखित प्रश्नों में इन मजदूरी बोर्डों संबंधी प्रश्न भी शामिल था। परन्तु इनमें से एक यूनियन इस हड़ताल से अलग हो गई। यह हड़ताल केवल सांकेतिक हड़ताल थी, जो एक दिन तक चली।

3. जैसा कि सदन को मालूम ही है, गैर-पत्रकारों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में क्रमशः 11 जून, 1975 और 6 फरवरी, 1976 को भी अलग-अलग मजदूरी बोर्ड गठित किए गए थे। इन मजदूरी बोर्डों से सलाह करने के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 1977 को अंतरिम मजदूरी-दरें अधिसूचित कर दीं और इन बोर्डों ने मजदूरी के अंतिम ढांचे के प्रश्न पर सार्वजनिक सुनवाई-कार्य शुरू कर दिया।

4. दिसम्बर, 1977 में नियोजकों के प्रतिनिधियों ने सरकार को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वे इन मजदूरी बोर्डों से अलग हो रहे हैं क्योंकि उनके संगठनों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। मजदूरी बोर्डों से इन प्रतिनिधियों के अलग हो जाने के बाद इन बोर्डों की बाद की सार्वजनिक सुनवाइयों को रद्द कर दिया गया। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि इन मजदूरी बोर्डों के काम को पुनः चालू किया जाये और उसे शीघ्र ही पूरा किया जाय ताकि सामाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में संशोधित मजदूरी ढांचा लागू हो सके। इन बोर्डों से नियोजकों के प्रतिनिधियों के हट जाने से उत्पन्न हुई समस्या का समाधान ढूंढने और इस गतिरोध को दूर करने के लिए मैंने समाचारपत्रों के नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से अनेक बैठकें की हैं। इन बैठकों में विभिन्न संभावनाओं और विकल्पों पर विचार किया गया है। मुझे पूरी आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई हल निकल आयेगा।

Shri Chhaliram Argal : I have gone through the statement made by hon. Minister with raft attention and I have come to the conclusion that he has tried to twist the facts. On 11th May, 1978 there was complete strike and not token strike as stated by hon. Minister. So on 12th June, no newspaper was published. The workers of several industrial houses factories and mills also remained on strike. The owners of newspapers are paying the same salary to their employees which were fixed 10 or 12 years back whereas they are constantly increasing their advertisement and other rates. This must be looked into by the Minister. The workers who work on daily wages in newsapaper agency, their wages are very little *i.e.* just three or four rupees. Steps should be taken to increase their wages.

I would also like to know from hon. Minister why a wage Board has not been constituted for newspaper employees ? When the Government is likely to cone forward with a proper legislation for providing welfare facilities to newspaper workers? When Government will implement the entire wage structure of newspaper industry and all their problems of workers will be solved in consultation with management of newspapers industry ?

Lastly I request the Government to reject the Bhootlingham Committee and want to know whether a time bound programme will be prepared by the Government for providing increased dearness allowance to employees ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : सदस्य महोदय ने कहा है कि मैंने तथ्यों को तोड़-मोड़ कर पेश किया है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। परन्तु यह सही है कि मैंने ध्यानाकर्षण विषय के भीतर रहने की चेष्टा की है।

देश में औद्योगिक संबंधों के बारे में कई प्रश्न पूछे गये हैं। सरकार द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा सम्बन्धों को सुधारना चाहती है। बहुत से वैकल्पिक सुझावों पर दोनों पक्ष तथा सरकार विचार कर रही है। यह ठीक है कि 11 मई की हड़ताल के कारण 12 मई को कोई पत्र नहीं निकला। परन्तु राजधानी ही पूरा देश नहीं है। देश के अन्य भागों में समाचार छपे थे।

उन्होंने वेतन जाम (फ्रीज), भूतलिंगम समिति आदि विषयों को उठाया है। यदि आप आदेश दें कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत है तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण तक सीमित रहें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमें उम्मीद है कि द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जायेगा।

विभिन्न तेल कम्पनियों की वर्तमान तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) वितरण प्रणालियो के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)

इस सदन में मैं पहले ही बता चुका हूं कि तरल पेट्रोलियम गैस (ल०पी० जी०) अथवा खाना पकाने की गैस की विभिन्न कंपनियों की वर्तमान वितरण एजेंसियों के पुनर्गठन और उसके फलस्वरूप नयी एजेंसियों के खोलने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा। मैं अब सदन को इस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहता हूं।

2. जहां यह जरूरी है कि खाना पकाने की गैस के विभिन्न कंपनियों के वितरकों के पास एजेंसी का आकार ऐसा हो जो एजेंसी के किफायती और दक्षतापूर्ण काम करने में सहायक सिद्ध हो, वहां इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि ये वितरण एजेंसियां इतने बड़े आकार की न हो जायें या इतने बड़े आकार की न बनी रहें जिससे अन्य व्यक्ति इस प्रकार की वितरण एजेंसियों को चलाने का अवसर से वंचित रह जायें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब एक ऐसी सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है जहां तक कोई वितरक अपना व्यापार जारी रख सकेगा या बढ़ा सकेगा। काम करने की विभिन्न शर्तों और विभिन्न इलाकों में कार्य संचालन की लागत पर विचार करते हुए वितरक के लिए प्रति माह सिलिण्डरों के रिफिल की अधिकतम संख्या निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है :—

मार्केट	प्रतिमाह रिफिल की संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर	3,500
दो लाख और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगर	3,000
अन्य स्थान	2,500

सहकारी समितियों को उक्त सीमाओं से छूट होगी।

3. तेल कंपनियों को अब निर्देश दे दिया गया है कि वे इन सीमाओं के आधार पर अपनी वर्तमान एजेंसियों के पुनर्गठन के लिए कदम उठायें। परन्तु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० और कैलटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमि० की खाना पकाने की गैस की वितरण अधिकांशतः मैसर्स कोसन गैस कंपनी, ईस्ट कोस्ट गैस कंपनी, डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमि० आदि अनुदानग्राही कंपनियों (कंसेशनरीज) के माध्यम से किया जाता है। ये अनुदानग्राही कंपनियां अपने एजेंटों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस सप्लाई करती हैं। इन अनुदानग्राही कंपनियों का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लेने के बाद ही इनकी ऐजेंसियों के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करना संभव होगा। इस संबंध में पहले से ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। अन्य दो कंपनियां अर्थात इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमि० और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० को जो खाना पकाने की गैस की मार्केटिंग सीधे अपने वितरकों के माध्यम से करती हैं, इन्हीं सीमाओं के आधार पर अपनी वर्तमान एजेंसियों का पुनर्गठन करने की सलाह दी गयी है। इंडियन आयल कार्पोरेशन अपने उन कुछ वितरकों के व्यापार में सुधार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठायेगा जिनके वर्तमान व्यापार में उचित लाभ की व्यवस्था करने के लिए सुधार अपेक्षित है।

4. सदन में पहले से यह भी घोषणा की गयी थी कि अगले वर्ष में विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा तीन लाख नये ग्राहकों को गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। इन सीमाओं के आधार पर वर्तमान वितरण एजेंसियों के पुनर्गठन और तीन लाख ग्राहकों को गैस सप्लाई करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कुकिंग गैस की मार्केटिंग पर विचार करते हुए देश के विभिन्न भागों में 87 स्थानों पर नयी एजेंसियां खोली जायेंगी।

5. हमने सितम्बर, 1977 में निर्णय लिया था कि नयी खोली जाने वाली एजेंसियों में से 25% एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आबंटित की जायेंगी। इन 87 एजेंसियों में से 24 एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिये जाने का प्रस्ताव है।

6 उन स्थानों के नाम, जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को को ये नयी एजेंसियां दिये जाने का प्रस्ताव है, ये हैं : बंगलूर, बेतुल या बालाघाट, ग्रेटर बम्बई, (2) बड़ौदा, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कड़प्पा, या अनन्तपुर, दिल्ली, गौहाटी, जयपुर, कानपुर, खानपुर, या उडिपी, मद्रास, महाड़, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नानकेड़, पटना, पुणे (2), रत्नागिरि और सूरत।

7. स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण का जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

रुग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : POLICY OF SICK INDUSTRIES

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : पिछले कुछ वर्षों में बड़े एवं लघु दोनों ही प्रकार के उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता अत्यन्त सामान्य बात बन गई है। उद्योगों में इस प्रकार की रुग्णता विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है परन्तु ऐसी रुग्णता का सामान्यतः जो प्रभाव पड़ता है वह कठिनाइयाँ बढ़ना, औद्योगिक एकक में कार्यरत मजदूरों में बेरोजगारी फैलना तथा राष्ट्रीय साधन स्रोतों का अपव्यय होना है। अतः न केवल रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों में प्रभावी रूप से इसका मुकाबला करने के लिए उचित उपाय करना ही अत्यधिक जरूरी समझा जाता है अपितु औद्योगिक रुग्णता का पता लगाने तथा इस विषय में मानीटरिंग करने हेतु शीघ्र ही उपयुक्त व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

2. सामान्यतः आशा यह की जानी चाहिए कि उपक्रम की सुदृढ़ तथा ईमानदार प्रबंध व्यवस्था करने तथा रुग्णता का निवारण करने के लिए औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधक वर्ग मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा

परन्तु जहां प्रबंधक वर्ग अनिच्छुक है अथवा अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ है तो राष्ट्रीय संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संस्थानों तथा सरकार को अपनी कुशल सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। औद्योगिक रुग्णता न केवल प्रबंध व्यवस्था के नियंत्रण से बाह्य कारणों से ही उत्पन्न होती है, अपितु प्रबंध व्यवस्था के घोर अक्षम तथा ईमानदार न होने से भी पैदा होती है। अतएव, औद्योगिक रुग्णता का निदान करने हेतु व केवल रुग्णता के स्वरूप और उसके कारणों पर भी विचार करना पड़ेगा।

3. यह भी समझ लेना चाहिए कि रुग्ण औद्योगिक उपक्रम का पुनरुत्थान करने की जिम्मेवारी किसी एक ही अभिकरण की नहीं हो सकती तथा सभी संबंधितों जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, श्रमिक वर्ग, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, प्रबंधक वर्ग तथा शेयरधारियों द्वारा अपने-अपने तरीके से जिम्मेदारी निभाने तथा भार बहन करने से प्रभावी रूप में पुनरुत्थान का कार्य उत्पन्न किया जा सकता है।

4. निवारक तथा औद्योगिक रुग्णता के विषय में सरकारी नीति के निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे :—

(1) निवारक दिशा में जहां प्रबंध व्यवस्था की सुदक्षता अथवा ईमानदारी संदिग्ध पायी जाये वहां वित्तीय संस्थानों द्वारा और अधिक सतर्कता का बरता जाना अत्यधिक जरूरी समझा जाता है। वित्तीय संस्थान मिलकर व्यावसायिक निदेशकों के एक ग्रुप की स्थापना करेंगे तथा ये निदेशक संस्थानों के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे जिन्हें संदिग्ध प्रबन्ध व्यवस्था वाली कंपनियों के निदेशक मंडल में नामांकित किया जा सकेगा। जिनमें इन संस्थानों की पर्याप्त पूंजी लगी है। ये निदेशक रुग्णता दूर करने के उपायों के संबंध में संस्थानों को अपनी रिपोर्ट देंगे। यदि किसी भी कंपनी के कार्य संचालन में कदाचार, अथवा घोर अक्षमता का पता उस निदेशक को लगता है तो वह आगे जांच करने के लिये वित्तीय संस्थानों को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके पश्चात् संबंधित संस्थान आई०डी०बी०आई० की अध्यक्षता के अंतर्गत बनाये गये अंतर संस्थागत ग्रुप को इस विषय में सूचित करेगा। यदि इस ग्रुप द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रबंधक वर्ग ने स्पष्ट रूप से अदक्षता पूर्वक काम किया है अथवा कदाचार किया है, तो सभी संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्णय लेना चाहिये कि जब तक प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर दिया जाता हैं तब तक उसी प्रबंध व्यवस्था के अधीन इस एकक तथा किसी अन्य एकक को वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

(2) उन औद्योगिक एककों के मामलों में जो पहले से ही रुग्ण हैं, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन उनके प्रबंधकों को हाथ में लेने से पूर्व सर्वप्रथम निम्नलिखित विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए :—

(क) राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पुनर्वास के लिए वित्तीय एवं आवश्यकतानुसार प्रबंधकीय पुनः संरचना करके दोनों ही प्रकार की सहायता दी जायेगी। ऐसे मामलों में जिनमें उद्योग, विकास तथा विनियमन अधिनियम के ढांचे के बाहर एकक के पुनर्वास हेतु समन्वित कार्रवाई करनी जरूरी हो उनमें संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय को समन्वित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए।

(ख) निजी क्षेत्र के रुग्ण एकक को स्वस्थ एकक में विलय के प्रस्ताव पर यदि कोई हो तो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा इस बारे में दिए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

(3) उपर्युक्त दो विकल्पों में से जब कोई भी संभव अथवा वांछनीय न हो तो केवल तभी उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

(4) कार्य के सभी वैकल्पिक उपायों की जांच करने तथा सर्वाधिक उपयुक्त उपायों के बारे में निर्णय करने के लिए जैसी कि सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, यह प्रस्ताव किया जाता है कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, वित्तीय संस्थानों तथा ऐसे उपक्रमों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित सचिव (औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में एक संवीक्षा समिति की स्थापना की जाये ।

(5) उद्योग विकास एवं विनिमयन अधिनियम के अधीन प्रबंध हाथ में लेने पर विचार करते समय संवीक्षा समिति निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी :—

(क) एकक में नियोजित व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में अपेक्षित और अधिक पूंजी निवेश,

(ख) उसी क्षमता के साथ एक नया संयंत्र स्थापित करने की लागत के संदर्भ में रुग्ण एकक की पुनः स्थापना करने के लिए अपेक्षित निवेश,

(ग) क्या निकट भविष्य में एकक को वाणिज्यिक दृष्टि से जीव्य बनाया जा सकेगा । "जीव्यता" का निर्धारण पिछली देयताओं को पूरा करने और अधिग्रहण के बाद एकक का जीव्य संचालन करने में श्रमिकों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले संभावित योगदान पर विचार करने लेने के बाद किया जायेगा ।

(घ) संवीक्षा-समिति द्वारा प्रबंध हाथ में लेने हेतु सिफारिश करते हुए विस्तृत नोट में बताए अनुसार राज्य सरकारों मजदूरों, प्रबंधक-वर्ग, शेयरधारियों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया सहयोग संगत कारक होगा ।

(6) यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जायेगा कि जहाँ कहीं भी उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अधीन संकटग्रस्त उपक्रम का प्रबंध हाथ में लिया जाता है, एकक उसी प्रबंधक मंडल को नहीं सौंपा जायेगा ।

(7) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा समिति शुरू में प्रबंध हाथ में लेने और निम्नलिखित किस्म के मामलों में अनुवर्ती कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है ।

(क) जहां एक एकक में 500 से अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और ।जसकी अचल आस्तियाँ 1 करोड़ रु० से कम की नहीं है ।

(ख) जहां वित्तीय संस्थानों द्वारा खासतौर से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अथवा राज्य सरकारों द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि किसी एकक का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तथा यह कि संबंधित वित्तीय संस्थान अथवा राज्य सरकार संबंधित एकक को आवश्यक प्रबंध और वित्त की व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, और

(ग) अपवादस्वरूप मामलों में जहाँ प्रबंध अधिग्रहण राष्ट्रहित में आवश्यक समझा जाता है । प्रबंध अधिग्रहण सामान्यतः अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसके दौरान और आगे कार्रवाई करने का निश्चय और कार्यान्वयन किया जायेगा।

(घ) उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के अधीन प्रबंध हाथ में लेने के बाद निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध रहेगें :—

(क) उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक उपक्रम आरक्षित कीमत निश्चित करके उसकी कार्यशील उपक्रम के रूप में बिक्री की जा सकती है।

(ख) उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उपक्रम का पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्रकार के पुनर्निर्माण में शेयर मूल्यों को कम करके पूंजी की पुनसंरचना करना, ऋणों को इक्विटी में बदलना, सरकार द्वारा शेयरों का अधिग्रहण करना तथा नए निदेशक मण्डल का गठन करना आदि शामिल होगा।

(ग) एकक का सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने के उपक्रम के साथ विलय पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) उपयुक्त प्रकरणों में उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(9) औद्योगिक विकास विभाग उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध-व्यवस्था को हाथ में लेने के बाद आवेदनों पर आगे कार्रवाई करने तथा संवीक्षा समिति के लिए प्रकरणों की तैयारी करने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा।

(10) लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

राज्य वित्त निगमों से कहा जाये कि वे लघु क्षेत्र के संकटग्रस्त उद्योगों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करें और जो सहायता वे इस प्रकार के एककों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदान करे उसे रियायती ब्याज दर पर आई०आर०सी०आई० अथवा आई०डी०बी०आई० द्वारा पुनर्वित्तीयन के लिए अर्ह किया जाना चाहिए।

(11) लघु उद्योगों के उत्पादों के सरकारी तथा अन्य खरीदारों को निदेश दिए जाने चाहिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर लघु एककों को देय राशि का भुगतान करें तथा वाणिज्यिक बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि वे बड़े क्षेत्र के एककों को कार्यकारी पूंजी हेतु दी गई उधार राशि का उपयोग सर्वप्रथम लघु उद्योग संभरणकर्ताओं को देय राशि को पूरा करने के लिए करें।

(12) उन मामलों में जहां तकनीकी उद्यमियों द्वारा संबंधित लघु उद्योग एकक उनके नियंत्रण के बाहर के कारणों से बंद हो जाता है, उद्यमियों द्वारा उनमें किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम बीमा योजना तैयार करने पर विचार किया जायेगा। उद्यमियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने वाली एक उपयुक्त जोखिम बीमा योजना तैयार करने की संभावना की जांच की जायेगी।

(13) आशा है कि उपर्युक्त नीति के कार्यान्वित होने से बड़े एवं लघु दोनों ही क्षेत्रों के रुग्ण एककों के केवल व्ययस्थित पुनः स्थापन में ही सहायता नहीं मिलेगी अपितु इन उपक्रमों में रोजगार और सरकारी संसाधनों के निवेश को संरक्षण भी प्राप्त हो सकेगा। इस नीति की सफलता निश्चय ही स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों, श्रमिकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य लोगों से हमें मिलने वाले सहयोग पर निर्भर करेगी। हम यह भी आशा करते हैं कि इनकी सहायता से उद्योग में पनपने वाली रुग्णता को कम किया जा सकता है तथा इस नीति के अधीन गैर-ईमानदार प्रबंधकों से भी उचित ढंग से निबटा जा सकता है।

(14) मैं इस नीति के लिए इस सदन के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक निवेदन किया था। क्या आप उस पर ध्यान देंगे।

श्री जार्ज फर्नांडीज : हम उस पर तुरन्त ध्यान देंगे।

———

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (FORTY-FIFTH AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): मैं प्रस्ताव करता हू कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): मैंने श्री फर्नांडीज के नीति वक्तव्य के बारे में अध्यक्ष महोदय को लिखा था । मैंने लक्ष्मी काटन मिल्स तथा महुवा की कृष्ण कुमार मिल्स, जोकि कई वर्ष से बन्द पड़ी हैं, के बारे में लिखा था ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करना चाहते हैं ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर: मैं विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करता हूं । विधेयक के कुछ भाग तो अत्यन्त उपयोगी हैं । परन्तु खेद है कि इस विधेयक का एक भाग सिद्धान्ततः गलत है और अव्यवहार्य है । यह आशा थी कि सरकार समूचे 42वें संशोधन को समाप्त करने के लिए एक सरल सा विधेयक लाएगी । विधेयक के अधिकांश उपबन्धों से मैं सहमत हूं ।

उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी विवरण के पृष्ठ 2 पर मूल ढांचे का उल्लेख है परन्तु उसमें जिस प्रक्रिया का उल्लेख है वह स्वीकार्य नहीं है ।

यह खुशी की बात है कि अनुच्छेद 352 में उचित संशोधन कर दिया गया है । आम राय लेने का यह विचार इस देश में सर्वथा नई बात है । संविधान के निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा था । किसी भी लोकतंत्रीय देश में संविधान में परिवर्तन के लिए आम राय की व्यवस्था नहीं है । स्विट्जरलैंड में ही इसकी व्यवस्था है ।

श्री शान्ति भूषण: अमरीका में भी ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: अमरीका में यह आंशिक रूप से ही है ।

मुझे खुशी है कि मूल ढांचे की परिभाषा दे दी गई है । भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 368 के उपयोग द्वारा समूचे संविधान का रूप बदल दिया था ।

अतः यह अच्छी बात है कि आप उसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं । मैं 4 खंडों से सहमत हूं अर्थात् लोकतांत्रिक निरपेक्ष गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, वयस्क मताधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता । इस मूल ढांचे के 4 पहलुओं में से किसी भी पहलू में फेर बदल करने के लिए 51 प्रतिशत आम राय की जरूरत होगी । यदि ऐसी बात है तो इस तरह की आम राय कैसे ली जा सकती है । ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है और इसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । 51 प्रतिशत लोग यह नहीं कह सकते कि बेसिक गैर बेसिक हो जाये । यहां तक कि 99.99 प्रतिशत लोग भी नहीं समझ सकते कि संविधान में बेसिक क्या है । मैं आम राय के उपबन्ध तथा मूल ढांचे में परिवर्तन किए जाने के कारण इसका विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि श्री शान्ति भूषण, श्री मावलंकर द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर दें, मैं यह बता दूं कि हमें 4 बजे किसी दूसरी मद पर विचार करना है । किन्तु हमें इसमें कुछ फेर-बदल करना होगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस विधायी कार्य के लिए 15 मिनट का समय बढ़ाया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आधा घंटा बढ़ा देते हैं । ज्योंही इस पर चर्चा समाप्त होगी, हम अगली मद पर विचार आरम्भ कर देंगे ।

श्री शान्ति भूषण : यह पहले ही कहा जा चुका है कि 42वें संशोधन का निरसन करने के लिए छोटा सा विधेयक लाना सम्भव नहीं है । यह कहा गया है कि विशेषकर भारत जैसे देश में आम राय की व्यवस्था खतरनाक है । इसका अर्थ है लोगों पर अविश्वास करना । भारत की जनता सर्वोपरि है और अपने हित को समझते हैं । यह कहा गया है मूल ढांचे से सम्बन्धित चार मामलों के सम्बन्ध में संशोधन के समय दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत आवश्यक नहीं होगा । परन्तु यह एक और सुरक्षा है । दोनों ही सदनों में दो तिहाई बहुमत का होना संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है । यह तो एक अतिरिक्त सुरक्षा की जा रही है । अपने हितों के विरुद्ध किसी भी बात को लोग स्वीकार नहीं करेंगे ।

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the Chair]

आम राय जानने के सम्बन्ध में भी कम से कम 51 प्रतिशत लोगों को अपनी राय देनी होगी अन्यथा आम राय जानने का कोई अर्थ नहीं होगा । वस्तुतः यह एक अतिरिक्त सुरक्षा है जिससे यह न मान लिया जाए कि जनता सहमत है और संविधान संशोधन विधेयक के अस्तित्व में आने से पहले देश की जनता की सहमति भी आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

हरियाणा और उत्तर (प्रदेश सीना परिवर्तन) विधेयक

HARYANA AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री घनिक लाल मंडल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री धनिक लाल मंडल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) विधेयक
PRIZE CHITS AND MONEY CIRCULATION SCHEMES (BANNING) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि इनामी चिटों और धन परिचालन स्कीमों के सम्प्रवर्तन या संचालन पर पाबन्दी लगाने के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि इनामी चिटों और धन परिचालन स्कीमों के सम्प्रवर्तन या संचालन पर पाबन्दी लगाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री जुल्फिकार उल्लाह: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री एस० डी० पाटिल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 338 क अन्तर्गत प्रस्ताव
MOTION UNDER RULE 388

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक को, जहां तक यह उन सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रहीं हैं, सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है ।"

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कृपया नियम 74 तथा 110 को देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह वित्त विधेयक है और यह अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत आता है न कि 110 के ।

श्री वसंत साठे : प्रस्ताव यह है कि यह सभा नियम 74 के प्रथम परन्तुक को निलंबित करती है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम परन्तुक को निलंबित क्यों किया जा रहा है । इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जिनका सम्पत्ति आदि से सम्बन्ध है । आपको इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देनी है । हम किसी परन्तुक को निलंबित नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि परन्तुक लागू नहीं होगा । नियम 388 के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता । अतः यह एक आवश्यक उपबन्ध है, जिसे परन्तुक को निलंबित करके समाप्त नहीं किया जा सकता । यदि यह धन विधेयक नहीं है तो इस परन्तुक को निलंबित क्यों किया जा रहा है । यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह धन विधेयक नहीं है तो फिर इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है । आपको इसे पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं साठे जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी नियम के परन्तुक को निलंबित नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यदि नियम को निलंबित नहीं किया जा सकता है तो परन्तुक को भी निलंबित नहीं किया जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान के शब्दों तथा भावना के अनुसार धन विधेयक के मामले में लोक सभा की शक्ति सर्वोपरि है । राज्य सभा धन विधेयक पर तभी विचार कर सकती है, जब वह लोक सभा द्वारा पास किया जा चुका हो । इस प्रस्ताव के अनुसार इस सभा द्वारा धन विधेयक पर विचार किये जाने से पूर्व ही उस में राज्य सभा को शामिल किया जा रहा है । आप इस बारे में अपना विनिर्णय दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न यह है कि यह धन विधेयक है अथवा वित्तीय विधेयक ? दो बातें हैं। सब धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, परन्तु सब वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसलिए यदि यह धन विधेयक है, तो राज्य सभा को शामिल नहीं किया जा सकता और यदि वित्तीय विधेयक है तो परन्तु के निलम्बन की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: इस प्रस्ताव के द्वारा सभा को केवल नियम का निलम्बन करने को नहीं कहा जा रहा, अपितु संविधान का निलम्बन करने को कहा जा रहा है। सभा ऐसा नहीं कर सकती।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी): जैसा कि माननीय सदस्य श्री कामत ने कहा है सरकार इस प्रस्ताव के द्वारा संविधान में संशोधन करना चाहती है। परन्तु मैं समझता हू कि उन्होंने इस विधायक को धन विधेयक नहीं समझा है।

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Krishna Kumar Goyal): I want to make it clear that technically it is not a money bill, But.....

अध्यक्ष महोदय: संविधान की दृष्टि से बताइए।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): संविधान के अनुसार धन विधेयक के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को नहीं सौंपा जा सकता। परन्तु वित्तीय विधेयक को सौंपा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह बताइए कि आप इसे धन विधेयक समझते हैं अथवा वित्तीय विधेयक ?

संसद कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): हम तो इसे वित्तीय विधेयक समझते हैं। आपका जो विनिर्णय होगा, वह हमें मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय: संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अनुसार यह केवल वित्तीय विधेयक है। इसलिए निलम्बन की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और विधेयक पेश करता हूं।

[इस समय दीर्घा से एक दर्शक ने पर्चे फेंके और नारे लगाये।

At this stage, there was throwing of leaflets and shouting by a visitor from the galleries]

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक

MULTI STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उन सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही हैं।

सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्यों, इस सभा के 30 अर्थात् : (1) श्री अहमद हुसैन (2) श्री छबिराम अर्गल (3) श्री प्रद्युमन बाल (4) श्री राजगोपाल राव बोडेपल्ली

(5) चौधरी ब्रह्मप्रकाश (6) श्री मोंतीभाई आर० चौधरी (7) श्री दाजिवा देसाई (8) श्री सुशील कुमार धारा (9) श्री मोहन धारिया (10) श्री इकबाल सिंह ढिल्लो (11) श्री ए० सी० जार्ज (12) श्री अन्नासाहिब गोटखिण्डे (13) श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (14) श्री हुकम राम (15) श्री साम्भा जीराव ककाडे (16) श्री आर० कोलनथाइवेलू (17) श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (18) श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन (19) श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ती (20) श्री एस० एच० नायक (21) श्री अहमद एम० पटेल (22) श्री राम लाल राही (23) श्री के० ए० राजन (24) श्री राम देव सिंह (25) श्री रमापति सिंह (26) श्री रामधारी शास्त्री (27) श्री तेज प्रताप सिंह (29) श्री धर्मवीर वशिष्ट (29) श्री हरगोविन्द वर्मा (30) श्री कृष्ण कुमार गोयल

और राज्य सभा के 15 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए यथापूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन सहकारी सोसाइटियों से. जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही है, सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 45 सदस्यों, इस सभा के 30 अर्थात् : (1) श्री अहमद हुसैन (2) श्री छबिराम अर्गल (3) श्री प्रधुमन बाल (4) श्री राजगोपालराव वोडेपल्ली (5) चौधरी ब्रह्मप्रकाश (6) श्री मोतीभाई आर० चौधरी (7) श्री दाजिवा देसाई (8) श्री सुशील कुमार धारा (9) श्री मोहन धारिया (10) श्री इकबाल सिंह ढिल्लो (11) श्री ए० सी० जार्ज (12) श्री अन्नासाहिब गोटखिण्डे (13) श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (14) श्री हुकम राम (15) साम्भाजीराव ककाडे (16) श्री आर० कोलनथाइवेलू (17) श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (18) श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् (19) श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मुर्ती (20) श्री एस० एच० नायक (21) श्री अहमद एम० पटेल (22) श्री राम लाल राही (23) श्री के० ए० राजन (24) श्री राम देव सिंह (25) श्री रमापति सिंह (26) श्री रामधारी शास्त्री (27) श्री तेज प्रताप सिंह (28) श्री धर्मवीर वशिष्ट (29) श्री हरगोविन्द वर्मा (30) श्री कृष्ण कुमार गोयल

और राज्य सभा के 15 ;

कि सयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए यथापूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें लागू होंगे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में, सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक

Mental Health Bill

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I beg to move :

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto, referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30 from this House, namely :—

(1) Shri Subhash Chandra Bose Alluri
(2) Dr. Baldev Prakash
(3) Shri K. B. Choudhari
(4) Shri Anant Dave
(5) Shri Raj Krishna Dawn
(6) Ch. Hari Ram Makkasar Godara
(7) Shri Harikesh Bahadur
(8) Shri S. Jaganathan
(9) Shri Kacharulal Hemraj Jain
(10) Shri Hukam Chand Kachwai
(11) Shri Ramachandran Kadannappalli
(12) Dr. Bapu Kaldate
(13) Shri Rajshekhar Kolur
(14) Dr. Sarojini Mahishi
(15) Shri Mallikarjun
(16) Dr. Bijoy Mondal
(17) Shri S. G. Murgaiyan
(18) Dr. Sushila Nayar
(19) Shri T. A. Pai
(20) Shri K. Ramamurthy
(21) Shri Rudoplh Rodrigues
(22) Dr. Saradish Roy
(23) Shri Sakti Kumar Sarkar

(24) Shri Shrikrishna Singh
(25) Shri H. L. P. Sinha
(26) Shri Suraj Bhan
(27) Shri N. Tombi Singh
(28) Shri Jagdambi Prasad Yadav
(29) Shri Yuvraj
(30) Shri Raj Narain

and 15 from Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देख-रेख से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की बाबत बेहतर उपबन्ध करने के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक को, दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा के 30 अर्थात् : (1) श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी (2) डा० बलदेव प्रकाश (3) श्री के० बी० चौधरी (4) श्री अन्नत दवे (5) श्री राज किशन डान (6) चौधरी हरी राम सक्कारार गोदरा (7) श्री हरिकेश बहादुर (8) श्री एस० जगन्नाथन (9) श्री कचरुलाल हेमराज जैन (10) श्री हुकम चन्द कछवाय (11) श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली (12) डा० वापू कालदते (13) श्री राज शेखर कल्लूर (14) डा० सरोजिनी महिषी (15) श्री मल्लिकार्जुन (16) डा० विजय मंडल (17) श्री एस० जी० मुरुगय्यन (18) डा० सुशीला नायर (19) श्री टी० ए० पाई (20) श्री के० रामामूर्ति (21) श्री रूडोल्फ रोडरिगूरा (22) डा० सरदीश राय (23) श्री शक्ति कुमार सरकार (24) श्री श्रीकृष्ण सिंह (25) श्री एच० एल० पी० सिन्हा (26) श्री सूरज भान (27) श्री एन० टाम्बी सिंह (28) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (29) श्रीयुवराज (30) श्री राज नारायण

और राज्य सभा के 15 :

कि संयुक्त समिति की बठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई होगी,

कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन कर देगी,

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे पवितंन तथा रूपभेदो के साथ जैसा कि अध्यक्ष करें, लागू होंगे,

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

प्रेस परिषद् विधेयक

PRESS COUNCIL BILL

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 1 मार्च, 1978 को अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये और 3 मार्च, 1978 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गयी इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाये रखने और समाचार पत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्तर को कायम रखने तथा उसमें सुधार लाने के प्रयोजनार्थ एक प्रेस परिषद की स्थापना करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्य नामनिदिष्ट किये जायें ; अर्थात् : (1) श्री नाना साहिब बोंडे (2) श्री सोमनाथ चट्टर्जी (3) श्री ईश्वर चौधरी (4) श्री एस० आर० दामाणी (5) श्री गिरधर गोमांगो (6) श्री निर्मल चन्द्र जैन (7) श्री पी० कानन (8) श्री पी० जी० मावलंकर (9) श्री मोहम्मद हयात अली (10) श्री अमृत नाहाटा (11) श्री फिरंगी प्रसाद (12) श्री रतन सिंह राजदा (13) श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (14) श्री जगन्नाथ राव (15) श्री जगभाल कोंडाला राव (16) श्री पी० ए० सईद (17) श्री सूरत बहादुर शाह (18) श्री दिग्विजय नारायण सिंह (19) श्री पी० वैंकटासुब्बैया (20) श्री यादवेन्द्र ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कृपया उपरोक्त पैरा को ही देखिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मद संख्या 27 के बारे में यह निर्णय किया गया है कि उसे अगले सत्र में लिया जायेगा । इस लिये अब हम मद संख्या 28 को लेंगे ।

विश्वविद्यालयों में बढ़ते हुए छात्र असंतोष के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : GROWING STUDENT UNREST IN UNIVERSITIES

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar-Delhi) : I beg to move :

"That this House expresses its concern at the growing student unrest in universities and other institutions for higher education deemed to be universities and recommends to the Government to take appropriate steps to remove the causes of ununrest."

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय, मद संख्या 27 का क्या हुआ । उस पर चर्चा अगले सत्र में हो सकती है । परन्तु सरकार को कम से कम यह आश्वासन तो देना चाहिये कि प्रसारण माध्यमों को स्वायत्ता के सम्बन्ध में वर्गीज समिति की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : सरकार प्रसारण माध्यमों के स्वायत्तता प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The problem of growing unrest in Universities and other institutions of higher education is so serious that it could pose a great danger to our democracy and law and order situation in the country. Government should, therefore, consider this matter seriously and they should take steps to solve this problem at the earliest.

The problem of unrest among students is not a party question, but it is a national problem. So it is the responsibility of the House to devise some method by which peace could be restored in Universities and peaceful atmosphere could be created there.

The main reason for unrest among students is the frustration among them because nothing has been done to fulfil their expectations and aspirations. Democracy has been restored. Freedom of Press has been granted. But is it most unfortunate and entirely wrong that the students community is still at the mercy of police or those authorities like Principals or Vice-chancellors who committed excessef against them during the period of emergency.

I condemn the violence and all the hon. Members of the House are with me in condemning the violence. But who committed violence in Delhi University this time. Though the committee constituted to inquire into the incidence of violence was that of committed persons. Yet they have to say on the basis of evidence tendered before them, that the students susticated were trying to avert violence. It is a clear case of discrimination I want to know from the hon. Minister whether the Grants worth crores of rupees are given by the House to U.G.C. and the Central Universities only for the purpose of destroying democracy. Lathi charging the students, and committing excesses on them.

श्री राम मूर्ति पीठासीन हुए

[SHRI RAM MURTI *in the Chair*]

The Minister of Education can not get rid of his responsibility on the plea that Education is a State subject or the Central Universities are autonomous. It is unfortunate that no change has so far been introduced into our educational institutions and nothing has been done to the structure of our universities. A committee should be set up to look into the grievances of the students and some machinery should be devised to remove those grievances.

Another reason for growing unrest among students is that they fell that their future is dark. There is complete darkness before them. They do not know whether thay will be in a position to earn their livelihood after completing their studies. The Janta Party has declared that unemployment will be rooted out in ten years time. Ten years period is a very long period. The Government should fix up some annual target of providing employment to educated people and ensure that the targets are definitely achieved. If this is done this will go a long way in solving the problem of unrest among student.

I have been hearing since my childhood that our education system is defective and it should be changed. Many commissions have been appointed to give them recommendations in the matter of education. Numerous reports have been submitted from time to time regarding education. But Government is still not clear about the concept of education. There is a confusion. I think the Government should have a clear picture in its own mind what type of education they want.

It is very unfortunate that text books are not available to the students. It has been stated reply to a question that out of 60 text books prescribed by the NCERT for classes I to VIII, only 12 are available. The position for classes IX, X and XI is still worse. For XII standard, for which the students have to appear for the Board Examination in March, 1979, except English and Hindi Text books, no other text books has so far been compiled for printing. Since the Publications Division at Fatiala House are sole distributing agents of the NCERT, it is not know that the sales wing of NCERT are doing.

The Education Minister should play a positive role in solving the problems of education. Is it the only reply that it concerns the State Governments ? Are you here only to look after the Ministry of Education ? They have been given crores of rupees. You can not take the plea that it is an autonomous Board or University and you can not interfere in their affairs. You must be effective and you must see that action is taken against those who indulge in illegal activities.

Colleges are over crowded today and there is no rapport among teachers and students. The quality of higher education has to be maintained. The Government should chalk out a definite policy in this regard.

The Hon. Minister should convene a meeting of political parties and a code of conduct should be formulated. This should be done without delay. An agreement should be worked out that violence should not be resorted to in order to get redressal of grievances however genuine they might be. A suitable machinery should be evolved to attend to the demands of students, teachers and other employees.

I wish that the Government should make clear the policy about 10+2+3 system. There should be no doubt in the minds of the people in this regard. Education should be brought under concurrent list. The Government should give guidelines to the States so that there is integrity and democracy in the country.

The education Minister is himself an experienced professor and he should see that early decision is taken in the matter. So that education may become purposeful and meaningful and confidence is restored among the students.

The Hon. Minister should become more effective and assert a bit more so that everything is set right.

The matter has been entrusted to the Prime Minister for Enquiry but he is too busy a person. There should be no more delay in the matter.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा विश्वविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालय समझे जाने वाले उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में बढ़ते हुए छात्र असन्तोष पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि असन्तोष के कारणों को दूर करने के लिये समुचित पग उठाये जायें ।"

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकम देव नारायण यादव (खगरिया) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अनन्त देव (कच्छ) : मैं अपना सशोधन सख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री युवराज (कटिहार) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : माननीय सदस्य ने अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला रखा है । मैं समझता हूं कि छात्रों के असन्तोष के मामले पर श्री कंवर लाल गुप्त से भिन्न दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । छात्रों का असन्तोष हमारे समाज में विद्यमान सामाजिक असन्तोष को व्यक्त करता है । छात्र समाज से भिन्न नहीं हो सकते ।

छात्रों में असंतोष समाज में व्याप्त सामाजिक असंतोष का प्रतीक है । यदि समाज में शांति हो और आराम से काम चले और सरकार की नीतियां युवा वर्ग को संतुष्ट करती हों तो छात्र वर्ग में असंतोष की गुंजाइश बहुत कम होती है ।

सरकार की करनी और कथनी में बहुत अन्तर है और यह अन्तर अब बहुत बढ़ता जा रहा है । स्वतन्त्र भारत में नये जीवन का आश्वासन दिया गया था । आर्थिक सुधारों और शिक्षा की बहतर प्रणाली जिससे हमारे छात्रों में असन्तोष की समस्या मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है । हमें शैक्षणिक सुधारों के प्रश्न और छात्रों के लोकतान्त्रिक अधिकारों के प्रश्न से निपटना होगा । सबसे ज्यादा विकट समस्या परीक्षण की समस्या है । गत तीस वर्षों में हमारी परीक्षा प्रणाली में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं हुआ है । हमें छात्रों को विश्वास में लेना चाहिये । हमें छात्रों, शिक्षकों तथा उन लोगों, जिनकी शिक्षा में रुचि है, की बैठक बुलानी चाहिये । उन्हें शिक्षा सुधारों विशेषकर परीक्षा प्रणाली में सुधारों के प्रश्न पर विचार करना चाहिये । छात्र अच्छे भावी नागरिक बनेंगे, के लिये वचन दिये गये थे लेकिन आप उन सभी वचनों से मुकर गये हैं ।

युवा वर्ग में बेरोज़गारी की समस्या सबसे विकट है । जनता सरकार ने तथा प्रधान मंत्री ने यह वचन दिया है कि वे दस वर्षों के भीतर देश से बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मुझे सन्देह है कि वह शायद ही 10 वर्षों के भीतर इसका समाधान कर पायें ।

बहुत से मामलों में पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु भारतीय जीवन से सम्बन्धित नहीं है और छात्र उन्हें पढ़ कर बहुत बोरियत महसूस करते हैं । ऐसी बातों का हमारे देश या आज के समाज में कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः विषयवस्तु ऐसी होनी चाहिये जो इस देश के एक नागरिक के रूप में छात्रों के लिये उपयोगी होनी चाहिये । मार्क्सवाद को एक विषय बनाया जाये जिसे छात्र पढ़ें । छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के वातावरण में अध्ययन करना चाहिये । लोकतन्त्र के विचार को अमल में लाना चाहिये न कि उसके लिये उपदेश देना चाहिये । छात्रों को छात्र यूनियन बनाने का अधिकार देकर और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों के प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी का अधिकार देकर उसका पालन विश्वविद्यालय कैम्पस में किया जाना चाहिये । छात्र यूनियन लोकतन्त्र ढंग से काम करें । यहां तक कि परीक्षाओं के लिये प्रश्न-पत्र बनाते समय छात्रों की भागीदारी ठीक है । परीक्षा भवनों में खुली पाठ्य पुस्तक नीति अपनाई जानी चाहिये । अध्यापकों की जीवन दशा ठीक नहीं है । उनकी दशा में सुधार किया जाना चाहिये ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि छात्रों को हिंसा में भाग नहीं लेना चाहिये । परन्तु सरकार को देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि छात्र हिंसात्मक गतिविधियों में भाग न लें । सरकार को इनके साथ व्यवहार में बहुत सावधान, हमदर्द तथा सतर्क रहना चाहिये । यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हिंसा की गुंजाइश कम रह जाती है । छात्रों को यह महसूस हुआ है कि जहां कांग्रेस

गत 30 वर्षों में असफल रही है वहां जनता पार्टी ने 13 महीने में असफलता की बड़ी धूमिल तस्वीर प्रस्तुत की है । यदि ऐसी स्थिति आगे भी रहती है तो छात्रों में विद्रोह की भावना तथा असन्तोष और भी बढ़ेगा । यदि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने में, शिक्षा में सुधार करने, उन्हें रोजगार का वचन देने, विश्वविद्यालयों में लोकतन्त्र वातावरण पैदा करने, शैक्षिक स्वतन्त्रता देने, भागीदारी का अधिकार देने तथा लोकतन्त्री अधिकार देने में सफल हो जाती है, तो सरकार एक ऐसा वातावरण पदा करने में सफल होगी जहां छात्र असन्तोष नहीं होगा ।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : There is widespread unrest among students particularly in universities. A number of studies have been made of the cause of unrest. The real thing to be done away with to remove the cause of unrest.

We should go to the root of the problem. It will not be sufficient to deal with it superficially. Our system of education is out-moded and worn-out. With such a system of education student unrest is bound to be there. When our system of education neither gives any inspiration to students nor guaranteed employment, it is natural that student unrest will be there. We should change our presente system of education. It will not be proper to lay the entire blame on our social and economic systems. We should have to pay attention both to the education system as well as to improving our economic and social systems.

Our youth had great expectations from the Janata Party. If we are unable to meet their aspirations unrest is bound to increase.

We have to pay attention to building up the character of teachers. If we do not have teachers capable of handling the students properly peace in the student would be disturbed. There is a generation gap between the students and teachers. Unless the teachers understand properly the thinking of the students they will not be able to give them education properly.

Education in our country should be imparted through the mother-tongue. Mere academic education will not solve our problems. Our education should be job-oriented and purposeful.

We should discuss the problem of student unrest with students in all universities. Cooperation of all political parties should also be sought to restore peace in universities. Unless there is a dialogue with students this problem will not be tackled. Mere posting of C.R.P. in university campuses will not help.

Shri H.L. Patwary (Mangaldoi) : We have not so far been able to decide as to what type of education system we should have. We should evolve a suitable system of education before long.

Education is in the Concurrent List. It should not be included in the State List, but should be retained in the Concurrent List. The Education Minister should never take the plea that the Janata Party's manifesto wanted it to be made a State subject. It is not so, the Party's manifesto did not say that.

Teachers and students who have supported the Janata Party are now getting alienated from the party. It is because we have not been able to chalk out a proper system of education. The people want our system of education to be Indian and also such as would in ushering in an egalitarian society.

The buildings of schools in rural areas are not proper. The Government should pay adequate attention to providing basic necessaries in the schools in these areas.

We should pay proper attention to primary education which is the foundation of our educational structure. Unless our foundation is strong our structure cannot be strong. More of funds should be allocated for primary education. There should be a link between the primary education and the university education.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : जब समूचे समाज में असंतोष व्याप्त है तब हम यह नहीं सोच सकते कि छात्रों में संतोष हो सकता है । जब एक छात्र का पिता बिना भोजन के है, उसके मां बाप कठिनाई में हैं तब हम शान्ति की बात कैसे सोच सकते हैं ? एक अनिश्चितता से घिरे समाज में छात्रों में शान्ति कैसे हो सकती है ।

कुछ सदस्यों ने कहा कि उत्तर में अधिक असंतोष है । ऐसा नही है । सभी जगह ऐसा है । दक्षिण में भी कुछ विश्वविद्यालय बन्द हैं । सभी जगह एक सी हालत है ।

इसका कारण परीक्षाएं अथवा शिक्षा में सुधार न किया जाना बताया जाता है । परन्तु मेरे विचार से चुनाव इसका कारण है । आंध्र प्रदेश में तिरूपति विश्वविद्यालय में चुनाव छात्रों में असंतोष, हड़ताल और अन्य बातों का कारण है।

छात्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में अधिकारियों, विश्वविद्यालयों और सरकार को भी अधिक रुचि लेनी चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। यदि वे लोग वाइस-चान्सलर की नियुक्ति अथवा प्रोफेसर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो यह उनकी सीमा से बाहर है।

कुछ विश्वविद्यालयों में राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों के लिए छात्रों को उकसा रहे हैं। सम्पूर्ण क्रान्ति और युवा शान्ति का उपयोग करने के नाम पर बिहार में छात्रों को उकसाया गया । क्या यह सत्य नहीं कि यह असंतोष उसी का परिणाम है ? इसीलिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे छात्रों को उकसाना नहीं चाहिए।

अनेकों समितियों का गठन किया गया । उन्होंने अपने विचार बनाए । एक समिति ने कहा कि कालेजों में छात्रों की भीड़ के कारण छात्रों और अध्यापकों के बीच तादात्मक स्थापित नहीं हो पाता । अतः शिक्षा के गठन में परिवर्तन किए जाने का सुझाव देना है और चाहता हूं कि 10+2+3 के बजाय अमरीका के समान हमारे यहां 8+4+2 क्यों न हो ? तब सारी 12 कक्षाएं गांवों में होंगी और कस्बों और नगरों में छात्रों की भीड़ घटेगी और इस प्रकार हम कुछ सीमा तक छात्र समस्या को हल कर सकेंगे ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं बर्नार्ड शा की तरह यह नहीं कहूंगा कि जवानी युवा अवस्था तथा आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित होती है । मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि युवकों का उपयोग उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है ।

विद्यार्थी असंतोष एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है लेकिन हम विद्यार्थी जीवन छोड़ने के बाद ही उपदेश देने में अभ्यस्त हो गये हैं । सम्भवतः पीढ़ियों का अंतर ही विद्यार्थी असंतोष का कारण है और इसके लिये हम इस असंतोष के सही कारणों का पता नहीं लगा सके हैं । पीढ़ी का अंतर इतना अधिक है कि हम इन लोगों की आकांक्षाओं को नही समझ सकते और अधिकांश मामलों में तो हम राजनीतिज्ञ ही असंतोष का कारण रहे हैं और भविष्य के लिये भी इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं ।

विद्यार्थी असंतोष को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में राजनैतिक तथा वैयक्तिक कारणों से प्रेरित और दूसरी श्रेणी में राष्ट्रीय कारणों से प्रेरित विद्यार्थी असंतोष आते हैं। बापूजी द्वारा विद्यार्थियों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत किया जाना एक राष्ट्रीय कारण था जो उचित भी था। आजादी के विद्यार्थियों के अंदर जो असंतोष किसी भी कारण पैदा किया गया वह औचित्यपूर्ण नहीं था। उस और वर्तमान पीढ़ियों के बीच अंतर था जो इस असंतोष का उपयोग वैयक्तिक लाभ के लिये करना चाहती थी। वैयक्तिक लाभ से मेरा तात्पर्य सम्पत्ति बटोरने से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष द्वारा अपने राजनैतिक अस्तित्व के बनाय रखने से है। यदि वह वैयक्तिक लाभ क्षेत्रीय राजनीति से सम्बन्धित हो तो वह विद्यार्थी के क्षेत्रियता की ओर घसीटेगा। यदि प्रश्न किसी राज्य के दो विरोधी गुटों के बीच के संघर्ष से सम्बन्धित हो तो उसके लिये विद्यार्थियों को प्रेरित किया जायेगा।

हमने देखा है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच अंतर रहा है। मैं अध्यापकों के दोषी नहीं ठहराता। लेकिन यदि इसका विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा कि अध्यापन व्यवसाय किसी अच्छे व्यवसाय के लिये एक अस्थायी प्रबन्ध मात्र रह गया है। 'गुरु' और 'शिष्य' के बीच उचित सम्पर्क हुआ करते थे। गुरु का आदर होता था क्योंकि उन दिन वह ही असली 'गुरु' होते थे लेकिन अब 'गुरु' इस देश में दलाल ही बन कर रह गया है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैंने सोचा था कि जनता सरकार इस मामले पर विचार करेगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि वे एक स्वच्छ प्रशासन लायेंगे। इन्होंने विद्यार्थियों को कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण ही वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे और बेरोजगारी वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने यह सब कहा है लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने स्वयं क्या किया। लार्ड एकटन ने कहा है—"सत्ता भ्रष्ट करती है और अधिक सत्ता और भी अधिक भ्रष्ट करती है"। मैंने यह नहीं कहा है कि यह सरकार बहुत भ्रष्ट है। लेकिन सत्ता का स्वाद लेने वाले तत्व भी बीच में हैं। सत्ता के इस प्रकार के स्वाद लेने से ही देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ है। इस देश में जब कभी भी कोई विद्यार्थी असंतोष हो तो वे कारण जाने बिना ही उसे दबाना चाहते हैं।

हम हमेशा कहते आये हैं कि भविष्य युवकों के हाथों में है और वे ही देश के भावी निर्माता है। हर काम आने वाली पीढ़ी को ही करना है। जब हम कालेज में थे तो हम में भी यही आशाएं जगायी गयीं थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें 30 वर्ष के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। वैसी ही निराशा आज भी है। असंतोष का मुख्य कारण यही है।

देश में छात्रों के असंतोष का मुख्य कारण यह है कि वे वर्तमान शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं। परीक्षा में केवल उनकी अज्ञानता की ही जांच होती है बुद्धि की नहीं। यही स्थिति भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी है। जब तक हम ठीक ढंग से प्रणाली का विश्लेषण नहीं करते तब तक परीक्षाएं व्यर्थ ही हैं। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि छात्रों को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाये और उनकी बुद्धि का उपयोग किया जाये। हमने भारतीय छात्र को भारतीय परिपेक्ष्य में पढ़ने का अवसर नहीं दिया। वह तो सोवियत संघ, चीन या अमरीका या योरुप के परिपेक्ष्य में अध्ययन करता है।

ब्रिटिश शिक्षा की आलोचना करते समय कहा जाता था कि वे दलालों या क्लर्कों के माध्यम से हम पर शासन करना चाहते थे। लेकिन सरकार आज क्या कर रही है ? क्लर्कों के स्थान पर बी डी ओ आदि पैदा किए जा रहे हैं। उनमें रचनात्मक विचार नहीं हैं। जब तक सरकार छात्रों को अपनी बात कहने और रचनात्मक विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देते और उनकी समस्याएं नहीं सुलझाते, उपदेश देने के स्थान पर गम्भीरतापूर्वक कार्य नहीं करते तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता।

हमें छात्रों पर विश्वास करके उन्हें वास्तविक नागरिक समझना चाहिये । भविष्य उन्हीं के हाथ में है । यदि सरकार जो उपदेश देती है उसका 10% भी व्यावहारिक कार्य करे तो देश में छात्र असंतोष समाप्त हो जायगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : छात्र असंतोष बुरी बात नहीं है क्योंकि उससे प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है । अतः कुछ छात्र असंतोष का तो स्वागत होना चाहिय । लेकिन यदि यह हिंसात्मक और प्रयोजनहीन हो जाता है जिसमें कोई नैतिक मूल्य नहीं तो यह बहुत बुरी बात है । दूसरे छात्र असंतोष केवल यहीं नहीं है । यह तो विश्व भर की समस्या है ।

देश में शैक्षिक वातावरण संताष जनक नहीं । हर जगह अशैक्षणिक शिक्षा व्याप्त है । शिक्षा में कोई ईमानदारी नहीं, कोई उत्साह नहीं और भागीदारिता की भावना भी नहीं है । लेकिन अच्छे शैक्षणिक संस्थान भी हैं, शिक्षक भी हैं और छात्र भी हैं, प्रबन्धक भी हैं, पर व अपवाद ही हैं । न तो अध्यापक, न सरकार और न ही अभिभावक शैक्षिक जरूरतों को समझते हैं । युवा पीढी की समस्याएं नहीं समझीं जातीं । अध्यापक और अभिभावक छात्रों की जरूरतों को नहीं समझते । छात्र असंतोष इसी कारण है ।

छात्र असंतोष के अनेक कारण हैं । उनमें से एक अपर्याप्त निधि का होना है । अपर्याप्त निधि, कम सुविधाएं, खराब उपकरण और असंतोषजनक शिक्षा का ढंग तथा परीक्षा के गलत तरीकों के कारण अच्छे परिणाम नहीं निकलते ।

राजनीति की अधिकता और पढ़ाई की अत्यधिक कमी आज हमारे शैक्षिक संस्थानों में व्याप्त है जिससे छात्र असंतोष बढ़ता है । असुरक्षित भविष्य, बेरोजगारी भी छात्रों को परेशान रखती है ।

हम केवल सरकार की उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते । गलत शिक्षा का उत्तरदायित्व तो प्रबन्धकों, शिक्षकों, उपकुलपतियों, अभिभावकों, नेताओं और सरकार सभी का है । हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं हैं । अध्यापक इसलिए अध्यापक हैं क्योंकि उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलती । यदि शिक्षा के प्रति प्रेम के कारण इस व्यवसाय में लोग आयें तो समस्या सुलझ सकती हैं ।

अपनी ओर न देख कर दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति बहुत खराब चीज है । छात्रों को विश्वविद्यालयों, समाज और स्वयं अपने वर्ग के प्रति एक प्रकार का विद्रोह करके स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिये । जब तक वे अपनी गलती नहीं पहचानते तब तक छात्र असंतोष की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती । हमें यह समझना चाहिय कि यह विद्रोह जीवन के गिरते हुए स्तर के विरुद्ध है । यदि छात्र और शिक्षक अपने कर्त्तव्यों के प्रति ईमानदार हों तो छात्र असंतोष मिटाया जा सकता है ।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : The motion under discussion referred to a national problem. It is rather an international problem. The educational policy of the previous Government was totally unimaginative and despite various Committees and Commissions, no tangible changes have been introduced in the system of education. Therefore, the Janata Government will now have to take revolutionary steps to implement the various suggestions to fulfil the expectations of students.

In order to improve the existing condition in University Campuses, the most essential thing is to introduce radical changes in the present system of education, and measure should be taken to create a peaceful academic atmosphere in universities. Only such competent persons as will influence students through their knowledge and character should be appointed as Vice-chancellors in Universities.

Closure of universities has become today the order of the day and so, Government should take some definite decision and effective steps to improve the situation in this regard.

The problem of unrest among students can be solved by adopting long term measures to change the present educational system in such a manner that it creates a sense of involvement and a sense of confidence and responsibility among students with a view to developing their individuality as well as their country.

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : We have to identify the root cause of the problem of the unrest among students. This unrest will continue to grow if it is not curbed in a right manner.

The main cause of student unrest is that students do not feel any guarantee about their future. A right to job should be added to the fundamental rights enshrined in the Constitution. Otherwise, a provision should be made for the payment of unemployment allowance. At the same time, the age limit for recruitment to services should be abolished.

Our system of education should not be discriminatory; it should be uniform for all sections of people. It should inspire students for doing constructive work.

Radical changes should be made in the system of education and there should not be different kinds of schools for different categories of society. Our education should be made uniform for all sections of the community.

The subject of education should be included in the Concurrent List. It should be made job-oriented, and provision should be made to impart free and uniform education for weaker sections of the society.

*श्री मुकन्द मंडल (मथुरा पुर) : छाज असन्तोष के दो पहलू है। पहला यह है कि छात्रों की कुछ जायज़ शिकायतें तथा मांगें हैं। छात्रों की न्याय संगत तथा जायज़ मांगों की कई स्थानों पर उपेक्षा की जाती है जिससे छात्र असन्तोष पैदा होते हैं तथा आन्दोलन किये जाते है । इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि कुछ अमीर तथा सम्पन्न छात्रों की शक्ति कि उपयोग शिक्षा संस्थानों में उपद्रव और असन्तोष पैदा करने के लिये किया जाता है। यह शक्ति हमारे देश में अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों से आई है।

छात्र असन्तोष का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में उचित तथा स्वस्थ शिक्षा प्रद्धति नहीं है । इसके लिये उचित शिक्षा पद्धति होनी चाहिये। इसके अलावा शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। इनमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में दूसरी मुख्य त्रुटि यह है कि यह रोजगार प्रधान नहीं है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम नहीं होता कि वे अपना जीवन विर्वाह कैसे करें। यदि हमारी शिक्षा रोजगार प्रधान होती है तो छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ काम आसानी से मिल सकता है । शिक्षा संस्थानों में खेल की गतिविधियों का और उचित जोर नहीं दिया गया है । इस सुविधा की कमी से भी छात्रों में असन्तोष पैदा होता है।

कुछ राजनीतिक दल अपने छोटे-छोट राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा सरकार को बदनाम करने के लिये छात्रों को हिंसा के लिये भड़काते है। यह निन्दनीय है और इसे रोका जाना चाहिये।

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Hindi version of English Translation of speech delivered in Bengali.

यह एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या भी है। विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अपर मध्यम वर्ग और अपर वर्गों के छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते है। निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों में जाना कठिन है। इस से निराशा पैदा होती है तथा छात्र असन्तोष पैदा होती है। अतः जब तक हम इस समस्या को सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में नहीं लेते तब तक हम सामाजिक सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं ला सकते, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

आज भी हमारे यहा महंग पब्लिक स्कूल है जहां पर सम्पन्न वर्गों के छात्र ही केवल प्रवेश पा सकते हैं। इस पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्गों के प्रति भेद भाव होगा। सारे देश में स्कूल स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाना चाहिये। सरकार को इस उद्देश्य के लिये पूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व निभाना चाहिये।

शिक्षा केवल राज्य के हाथों में होनी चाहिये। छात्रों को उचित शिक्षा देने के लिये केवल राज्य ही यह निर्णय कर सकता है कि कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिये। शिक्षा एक राज्य शिषय ही रहना चाहिये।

वर्तमान शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिये। छात्रों को वर्तमान पद्धति में कोई विश्वास नहीं है। प्रसिद्ध तथा अनुभवी शिक्षाविदों से परामर्श किया जाना चाहिये और उन्हें परीक्षा की उचित पद्धति का विकास करना चाहिये। एक ओर हमारे यहां शिक्षा रोजगार प्रधान होनी चाहिये और दूसरी ओर उच्च शिक्षा के मामले में हमारे यह अनुसन्धान प्रधान पद्धति होनी चाहिये।

सभा का अवमान

CONTEMPT OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थानीय शिकायत के बारे में कुछ गड़बड़ की गयी थी। उसे कुछ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये।

कुछ सदस्य: जी हां

अध्यक्ष महोदय: सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है जब इस की राज्य सभा के साथ संयुक्त बैठक होगी।

सभा संयुक्त बैठक में विचार की जाने वाली कार्यवाही के समाप्त होने के बाद अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा राज्य सभा के साथ संयुक्त बैठक के लिये मंगलवार, 16 मई, 1978/ 26 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई*।

The Lok Sabha then adjourned* till Eleven of the clock on Tuesday, May 16, 1978/ Vaisakha 26, 1900 (Saka) to meet in a joint sitting with the Rajya Sabha.

---

*लोक सभा 16 मई 1978/26 वैशाख 1900 (शक) को संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के समाप्त होने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

*Lok Sabha adjourned *sine die* after the conclusion of the joint sitting of the Houses of Parliament on May 16, 1978/Vaisakha 26, 1900 (Saka).

MGIPRRND/—22 LSS/78—Sec. I Day 24-10-78—210

P.L.S. 48/XV/58/78(N)
210

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त
लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।

© 1978 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT
PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064